खण्ड-186, अंक-5
शनिवार, 2 भाद्रपद, शक संवत् 1879
(24 अगस्त, 1957 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 186 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५७

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शनिवार, २४ अगस्त, १९५७ ई०

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य (२९७)

अजीज इमाम, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्या प्रसाद आर्य, श्री
अल्लाह बख्श, श्री शेख
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
असगर अली खां, कुंवर
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आनन्दब्रह्मशाह, श्री
आर्थर सी० ग्राइस, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसेन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री उपनाम कमले
कल्याणराय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमार सिंह, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कैलाश प्रकाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह, चौधरी
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गयाबक्शसिंह, श्री
गयूर अली खां, श्री
गरीबदास, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरु प्रसाद सिंह, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपाली, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्द सिंह विष्ट, श्री

गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रभाल मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिका प्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्रपतिसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्त सिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ, चौधरी
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगबीर सिंह, श्री
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जागेश्वर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वर प्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द्र माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजसिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम, चौधरी
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दीपंकर, आचार्य
दुर्योधन, श्री
दुलारादेवी, श्रीमती
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
देवी प्रसाद मिश्र, श्री
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर प्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पन्नेराम, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवान सिंह, चौधरी
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलवानसिंह, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसमेश, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बर सिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुलाकीराम, श्री
बुद्धीसिंह, श्री

बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखान सिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूदअली खां, कुंवर (मेरठ)
महमूदअली खां, श्री (रामपुर)
महमूदअली खां, श्री (सहारनपुर)
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्ररिपुदमनसिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद ,श्री
मान्धाता सिंह ,श्री
मुकुटबिहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फरहसन, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्ला प्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रऊफजाफरी, श्री
रघुरनतेजबहादुर सिंह, श्री उपनाम लाल साहब
रघुराजसिंह ,चौधरी
रघुवीर राम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पान्डेय, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण, श्री
रामलखन, श्री (जौनपुर)
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसिंह चौहान, श्री वैद्य
रामसूरत प्रसाद, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायण राय, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लायक सिंह, चौधरी
लालबहादुर सिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगविहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
बिजय शंकर सिंह, श्री
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती

विशनलसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वनाथ सिंह गौतम, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
ब्रजगोपाल सक्सेना, श्री
ब्रजबिहारी मेहरोत्रा, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमशुल इस्लाम, श्री
शम्भूदयाल, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शीतला प्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल,श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुर शाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सूरतचन्द्र रमोला, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्श सिंह, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
होरीलाल यादव, श्री

१९५७–५८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या १८—लेखा शीर्षक : ३६—वैज्ञानिक विभाग और ३७—शिक्षा

*गृह मन्त्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—माननीय, मैं राज्यपाल महोदय की अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १८ शिक्षा—लेखा शीर्षक : ३६—वैज्ञानिक विभाग और ३७—शिक्षा के अन्तर्गत १५,१४,५८,००० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५७-५८ के लिये स्वीकार की जाय ।

माननीय, मैं अपना यह बड़ा सौभाग्य समझता हूं कि अपने देश के सबसे बड़े प्रदेश की शिक्षा के सम्बन्ध में बजट उपस्थित करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है । किसी व्यक्ति के लिये यह गौरव की ही बात है । मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि यह अवसर मुझे मिला ।

उत्तर प्रदेश वैसे हमारे देश का सबसे बड़ा प्रदेश है । ज्ञान का, संस्कृति का और शिक्षा का बहुत ही प्राचीन काल से केन्द्र रहा है । ऐसा प्रदेश है जिसकी नदियों के तट पर बैठ कर हजारों वर्ष पूर्व से विद्वानों और विचारकों ने और मनीषियों ने गंभीर चिन्तन किया है और ज्ञान

---

*वक्ता ने अपने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

और विज्ञान के तर्क व तथ्य के साक्षात्कार की साधना सफल की है। जैसा कि किसी कवि ने कहा है :—

सायं प्रातर्मुजीनां कुशकुसुमच्यैश्चधन्न तीरस्थनीरं

तो हां गंगा और यमुना के तट पर हजारों वर्ष पूर्व से ज्ञान का और विज्ञान का विचार होता रहा है। बड़े-बड़े विद्वान संस्कृत की रचना करते रहे हैं और हमारा यह प्रदेश विज्ञान का, संस्कृत का लीला भूमि रहा है। भारतीय संस्कृति की जो हजारों वर्ष प्राचीन है, बहुत कुछ रूपरेखा का चिह्न, चित्रण और अंकन हमारे इस प्रदेश में ही हुआ है। आज उस प्रदेश में शिक्षा की व्यवस्था के लिये माननीय सदन के सम्मुख कुछ थोड़े से धन और राशि की मांग करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं।

कई सौ वर्ष की पराधीनता में हमारे देश की शिक्षा की व्यवस्था जिस प्रकार और सारी हमारी व्यवस्थायें छिन्न-भिन्न हुई हैं, उसी प्रकार यह भी क्षत और विक्षत हुई है। कोई देश पराधीन होता है तो उसका चतुर्मुख विनिपात होता है। उसका अधिपतन होता है, वह सर्वतोमुखी होता है। किसी बड़े राष्ट्र को पराधीन बनाये रखने के लिये जो सबसे बड़ी आवश्यकता होती है, किसी ऐसी विदेशी सत्ता को, जो उस देश में शासन करना चाहे, तो सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की होती है कि उस राष्ट्र को वह आत्म-विस्मृत हो जाने दे, अपने को भूल जाने दे, कोई ऐसे व्यूह की रचना करे कि राष्ट्र स्वयं अपनी आत्मा को, अपने इतिहास को और अपने गौरव को भूल जाय। मानवता का सारा इतिहास इस का साक्षी है कि जब किसी देश ने किसी दूसरे देश को पराधीन बनाने की चेष्टा की तो उसने उसकी अन्तरात्मा पर कुठाराघात किया और इसके लिये आवश्यक यह होता है कि यथासंभव शिक्षा, जिसके माध्यम से मनुष्य की सांस्कृतिक रचना होती है और पुनर्जीवन होता है उसको मूल से ही उच्छिन्न कर दिया जाय।

हमारे देश में भी पराधीनता का सूत्रपात हुआ तो फिर यह आवश्यक होगया था हमारे शासकों को कि कोई इस प्रकार की रचना वह करें जिस से कि देश स्वयं अपने को ही भूलने में समर्थ हो और इसके लिये आवश्यकता इस बात की थी कि शिक्षा के क्रम को इस प्रकार कुछ डांवाडोल किया जाय और गिराया जाय और सुषुप्त और मूर्छित कर दिया जाय कि देश पराधीनता के काल में शिक्षित न हो सके, ज्ञान सम्पादन न कर सके और प्रगति की और विकास के जितने मार्ग उस के हों वह कुंठित हो जायं। २०० वर्षों की पराधीनता के कारण शिक्षा की कुछ ऐसी ही व्यवस्था हमारे देश में रही। जो शिक्षा की पद्धति थी मैं उसकी निन्दा करने के लिये नहीं खड़ा हुआ हूं, क्योंकि उसके मूल में और उसके पीछे भावना जो रही हो, पर वह पद्धति भी चली तो देश का कुछ कल्याण भी हुआ उस पद्धति से। पिछले सौ वर्षों के बीच में हमारे देश में बड़ी-बड़ी विभूतियां भी उत्पन्न हुई, ऐसे लोग भी उत्पन्न हुये उसी पद्धति के गर्भ से, जिन्हें यह आभास हुआ कि देश की शिक्षा पद्धति भी दूषित है और हमारा देश भी पराधीन है, स्वतंत्रता की भी चेतना जगी, राष्ट्र के गौरव की भावना भी जगी। तो उस पद्धति की मैं कोई बहुत निन्दा करने के लिये नहीं खड़ा हुआ हूं, मैं तो केवल इतना निवेदन कर रहा हूं कि उस पद्धति के संचालन के पीछे विदेशी शासकों की अपनी एक मनोवृत्ति थी, प्रश्नों की ओर देखने का अपना एक ढंग था और इस प्रकार वह पद्धति चली २०० वर्ष तक चली। थोड़े से लोगों को शिक्षा उपलब्ध हुई, अधिक लोगों को वह प्राप्त भी नहीं थी और हमारा यह प्रदेश, जिसको कि हम और आप बड़ा गौरवशील प्रदेश मानते हैं और इतिहास में जिसका बड़ा गौरव रहा है और एक ऐसा प्रदेश, जैसा कि मैंने निवेदन किया कि जो ज्ञान का और संस्कृति का केन्द्र रहा है, एक लीला भूमि रही है उस भूमि में भी निरक्षरता का आभास हुआ और अंग्रेजी राज्य की समाप्ति के समय तक ६-७ फीसदी साक्षरों की संख्या हमारे प्रदेश में रह गयी और ९२ और ९० फीसदी लोग निरक्षर भट्टाचार्य ही रहे, कुछ इस प्रकार की स्थिति हमारे प्रदेश की रही।

सौभाग्य से गांधी जी की कृपा से और अपने देश के उन सेवकों और वीरों की प्राणाहुति से, जिन्होंने राष्ट्र के गौरव की रक्षा और स्वतंत्रता के लिये अपनी आहुती चढ़ाई, देश हमारा

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

स्वाधीन हुआ और तब से जैसे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विकास की ओर राष्ट्र की दृष्टि गयी, तैसे शिक्षा की ओर देश का ध्यान गया, क्योंकि वह एक मौलिक बात थी, एक भित्ति है जिसके ऊपर कि सारे विकास के भवन और सारी रचना की अट्टालिका को खड़ा किया जा सकता है। किसी राष्ट्र का निर्माण केवल जड़ पत्थरों से नहीं हुआ करता, इसके लिये मनुष्य के निर्माण की आवश्यकता होती है। मनुष्य जागे, उसकी भावना जागे, उसकी बुद्धि जागे, उसका चरित्र जागे, उसकी नैतिकता जागे, उसका शरीर भी परिपुष्ट हो, इस प्रकार उसकी समस्त भावनायें उद्भूत हों, तब मनुष्य निर्मित होता है, तब देश का वास्तविक विकास होता है, क्योंकि किसी देश की भौतिक उन्नति तब सहायक होती है जब उस देश के मनुष्य की चेतना प्रबुद्ध हो और विकसित हो तब भौतिक उन्नति सहायक हो पाती है और वह उचित प्रकार से उन्नति कर पाता है। शिक्षा मूल है, आधार है, भित्ति है, सारे विकास और रचना की और ऐसा देश जो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अग्रसर रहा हो इतिहास के युग में ज्ञान का, उस देश में बहुत समय तक ज्ञान का अन्धकार रहा हो तो स्वाधीन होने के बाद राष्ट्र की इच्छा और आकांक्षा उसके विस्तार की ओर, प्रसार की ओर हो, यह स्वाभाविक था। गुलामी के जमाने में भी बहुत दिनों से यह चेष्टा होती रही थी कि हमारी शिक्षा का प्रसार हो, अधिक से अधिक लोगों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिले, लेकिन पराधीनता के काल में हम प्राबद्ध थे, इसलिये हम आगे न बढ़ सके।

१९४६-४७ में जब देश स्वाधीन हुआ तो इस तरफ दृष्टि गई और तब से शिक्षा के क्षेत्र में सारे देश में एक नई चेतना और कुछ नया प्रयास आरम्भ हुआ। आज दस वर्ष के करीब हो रहे हैं उसमें काफी प्रयास हुआ है इसके प्रसार का और शिक्षा के स्वरूप और क्रम में परिवर्तन करने का, क्योंकि एक ऐसी अनुभूति होती है कि शिक्षा की जो-जो पद्धति और क्रम रहा है वह हमारे लिये उपयोगी नहीं है या स्वतंत्र राष्ट्र की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक और सफल नहीं होता है। यह अनुभूति आंतरिक रूप से हमारे देश के आदमियों को हुई कि इसमें किस प्रकार का परिवर्तन हो। यह मुख्य प्रश्न हमारे राष्ट्र के सामने उपस्थित है कि ऐसे परिवर्तन जो हमारे राष्ट्र के अनुकूल हों उसके जीनियस के अनुकूल हों और उसकी सारी प्रवृत्ति जो इतिहास की रही हों उनके अनुकूल हों और जो हमारे लिये उपयोगी हो सके, इस देश की स्वतंत्रता के लिये, यहां के नर-नारियों के लिये और प्राणियों के जीवन के विकास में सहायक हो सके, ऐसे क्रम की ओर हमारी दृष्टि गई कि प्रतिष्ठित की जाय ऐसी कोई पद्धति।

दूसरी बात यह सोची गई कि अब इसका विस्तार हो। हमारे देश में मुश्किल से ६, ९, ८ प्रतिशत आदमी पढ़े लिखे हैं इसलिये इस देश में कोई नई व्यवस्था करें, एक नये समाज की रचना करें, एक नये आदर्श की रचना करें, कल्पना करें जिसका स्वरूप आपने निर्धारित किया है, उसे प्रतिष्ठित करें जब कि नीचे का सारा स्तर निरक्षर हो, यह अनुचित होगा। अतः एक विस्तृत ऐसी योजना हो जिससे शिक्षा का प्रसार हो और अधिक से अधिक लोगों को शिक्षा की सुविधाओं को प्रदान कर सकें। इन दो मुख्य प्रश्नों की ओर देश का ध्यान गया।

आपके इस दस वर्षों के इतिहास में इस ओर विभिन्न प्रदेशों में प्रयास हुआ और सामूहिक रूप से केन्द्र से भी हुआ और आपके प्रदेश में इन दो मुख्य प्रश्नों को लेकर चिन्तन होता रहा है, विचार-विनिमय होता रहा है और विचार किया जाता रहा है। हमारे उत्तर प्रदेश में आज जो शिक्षा की व्यवस्था है और जो उसकी रूपरेखा है उसके निर्माण में हमारे यहां के सार्वजनिक नेताओं ने, ऐसे लोगों ने जिन्हें देश के प्रति स्नेह और प्रेम रहा है और जो स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी रहे हैं उन सबने मिलकर यह सोचा कि किस प्रकार यहां के क्रम में परिवर्तन हो जो हमारे लिये भी उपयोगी हो और हमारी शिक्षा के क्षेत्र में प्रसार भी हो। और आज जो उसका एक स्वरूप हमारे सामने है वह प्रायः दस वर्ष के उस प्रयास और चिन्तन का परिणाम है। अवश्य ही यह कार्य बड़ा कठिन थी क्योंकि शिक्षा के स्वरूप का परिवर्तन करना है यह तो अनुभव हुआ हमें, पर वह परिवर्तित स्वरूप उसका क्या हो इस की कोई निश्चित रूप रेखा तत्क्षण और

तत्काल प्रस्तुत कर देना यह साधारण बात नहीं थी, कठिन बात थी। कहीं पीड़ा हो उसका अनुभव तो हो जाता है पर उसका परिहास किस प्रकार हो, उसका उपचार किस प्रकार हो यह उतना साधारण नहीं हुआ करता। तो यह शिक्षा का क्रम हमारे अनुकूल नहीं है और इसे परिवर्तित करना है यह तो हम सब अनुभव करते ही थे। हमारे बड़े नेता लोग भी और शिक्षा शास्त्री भी उसकी अनुभूति तो करते ही थे पर यदि उसमें परिवर्तन ले आयें तो वह परिवर्तित स्वरूप क्या हो यह एक ऐसा प्रश्न था कि जो गम्भीर चिन्तन की मांग करता था, क्योंकि किसी एक बनी बनायी व्यवस्था को तोड़ देना यह आसान हो सकता है पर तोड़ देने से काम चलता नहीं। उसके स्थान पर दूसरी कौन सी व्यवस्था हो, क्या उसका स्वरूप हो, यह एक विषय ऐसा था कि जो राष्ट्र और प्रदेश के बिचार, उसकी अनुभूति और उसके गम्भीर चिन्तन के फलस्वरूप ही प्रस्तुत किया जा सकता था। उस पर हमारे प्रदेश में बिचार हुआ और उस की रूप रेखायें निर्धारित हुईं, उनका प्रयोग हुआ और वह प्रयोग प्रायः पिछले दस वर्षों में होता रहा है।

हमारे प्रदेश की शिक्षा की व्यवस्था की रूपरेखा के निर्धारण में एक हमारे प्रदेश की विभूति का सर्वोत्कृष्ट स्थान रहा है जो आज हमारे दुर्भाग्य से हमारे बीच में नहीं है। हमारा संकेत आचार्य नरेन्द्रदेव जी की ओर है। उनका एक बड़ा भारी कंट्रीब्यूशन रहा है। और हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्री जो उस समय सन् ४६ में शिक्षा मंत्री थे, इन दो व्यक्तियों ने विशेष रूप से उसमें योग दिया है। एक तो शिक्षा मंत्री थे, उनके ऊपर उसका उत्तरदायित्व था ही और दूसरे हमारे आचार्य जी थे जिन का सारा जीवन ही देश सेवा में और विशेषकर शिक्षा के क्षेत्र में, संस्कृत के क्षेत्र में समर्पित था। उनका हमें पथ-प्रदर्शन और सहायता प्राप्त थी। उनकी अधीनता में दो बार कमेटियां बैठीं-पहली नरेन्द्रदेव कमेटी और दूसरी नरेन्द्रदेव कमेटी-जिनमें यहां के बहुत से सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाले जनता के जीवन से परिचित और शिक्षा की समस्याओं से परिचित लोग एकत्रित हुये। उन्होंने उसकी कुछ रूप रेखा निर्धारित की जिसके अनुसार कुछ प्रयोग हमारे प्रदेश में हुये। जो रूपरेखा निर्धारित हुई वह ऐसी है कि जो उसका मूर्त स्वरूप आज हमारे आपके सामने है उसमें कई स्तरों पर वह स्थापित की गयी, पहले प्राथमिक फिर माध्यमिक और फिर विश्वविद्यालय की शिक्षा। इस प्रकार शिक्षा का वर्गीकरण हुआ और उसके प्रसार की योजना बनी कि एक तरफ से तो क्रम परिवर्तित हो और दूसरी तरफ उसका प्रसार हो। आज जो स्वरूप है वह उस कमेटी के द्वारा प्रदर्शित मार्ग पर चल कर के बना हुआ स्वरूप है। हमारे उत्तर प्रदेश की यह विशेषता रही है कि इस क्षेत्र में आचार्य जी के रहने के कारण और और लोगों के कारण, और शिक्षा मंत्री जी जो हमारे उस समय थे और जो आज मुख्य मंत्री हैं, उनके कारण, विशेष रूप से चिन्तन इस क्षेत्र में होता रहा है और आज १० वर्षों के बाद हम लोग उत्तर प्रदेश में नम्रतापूर्वक यह कह सकते हैं कि जिस पद्धति को हमने अपने यहां आरम्भ से ही प्रचलित किया उसी को करीब करीब कम से कम प्राथमिक क्षेत्र में केन्द्र भी स्वीकार करता चला जा रहा है। जिन नये विचारों का प्रयोग देश में हुआ उनके पूर्व इस प्रदेश में ही उन विचारों का जन्म हुआ।

बेसिक शिक्षा पद्धति के सम्बन्ध में आजकल बड़ी चर्चा है। यह चर्चा पिछले १०, १५ वर्षों से है और उस समय से है जब गांधी जी ने पहले पहल बुनियादी तालीम की बात कही। उत्तर प्रदेश में पहले पहल नरेन्द्रदेव कमेटी ने बेसिक एजूकेशन की कल्पना की थी। उनकी वह कल्पना बुनियादी तालीम का एक अंग था। कुछ दृष्टिकोण में भेद था लेकिन जो नरेन्द्रदेव कमेटी बनी उसमें डाक्टर जाकिर हुसेन भी थे। उसमें बेसिक ऐजूकेशन की ही कल्पना की गई थी। कुछ थोड़ा सा मतभेद, जिसको हम मौलिक भी कह सकते हैं बुनियादी तालीम की स्कीम में रहा है और वह यह था कि उनकी योजना का लक्ष्य यह था कि शिल्प के माध्यम से ही बच्चों की शिक्षा हो और वह एक प्रकार से उत्पादन के द्वारा ही हम इस दिशा में आगे बढ़ें। हमारे यहां की दृष्टि में यह था कि बेसिक की पद्धति ऐसी होनी चाहिये जो हो तो बाल केन्द्रित अवश्य पर शिल्प की शिक्षा इस विचार से आवश्यक हो

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

कि वह बालक की समस्त वृत्तियों का विकास करने और परिस्थितियों से जो प्रतिक्रिया उसके मन पर होती हैं उसके अनुकूल उसे निर्मित होने में सहायता मिल सके न कि एक स्वावलम्बी शिक्षा बेसिक की ऐसी बना दी जाय कि वहां के उत्पादन से ही वह सारी शिक्षा चले तो उसमें सारा जोर फिर केवल उत्पादन पर ही रह जायगा और शिक्षा की अवहेलना होगी। अगर उसे रखें तो शिक्षा के साथ साथ शिल्पों अथवा कलाकौशलों या कृषि इत्यादि से उसकी प्रवृत्ति जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त हो उसे विकसित करने के साधन प्राप्त हो सकें और धीरे-धीरे उस की रुचि उस पर स्पष्ट और सहज होती चले। यह थोड़ा सा मतभेद था। पर मेरा मतलब यह था कि यहां की कल्पना में वह बात सन् ३९ में ही आयी जब पहले पहल नरेन्द्रदेव कमेटी बैठी तभी यह धारणा आयी। गांधी जी के सामने यह बात गयी थी। वैसे मेरे पास उसका विवरण इस समय नहीं है लेकिन जहां तक मुझे स्मरण है वह गयी थी और उस पर उनसे भी विचार विनिमय हुआ। उन्होंने कहा कि हां, यह प्रयोग होना चाहिये। उस समय जो शिक्षा मंत्री थे उनसे उन्होंने कहा था कि वह अच्छी बात है। इस विचार के अनुसार नरेन्द्रदेव कमेटी की भी उस पर राय हुई और उसका प्रयोग होने दिया गया। आज इतने दिनों के बाद केन्द्र से जो पुस्तिका प्रकाशित हुई है उसको देखें तो मालूम होगा कि उन्होंने उसके मौलिक सिद्धांतों को स्वीकार किया है जिनके आधार पर हमारे यहां वह शिक्षा चलाने का प्रयास हुआ है। तो तात्पर्य मेरे कथन का यह था कि इस दिशा में हमारे प्रदेश में विचार होता रहा है और कुछ यह सौभाग्य की बात रही है कि जो नये विचार देश में उठे यहां एक प्रकार से उनका सूत्रपात हुआ स्वतंत्र रूप से और उसके बाद विकास की ओर उसको आगे बढ़ाने की चेष्टा की गई।

ऐसे ही फिर दूसरी नरेन्द्र देव कमेटी बनी और उसने शिक्षा का तीन, चार स्तरों में वर्गीकरण किया, जैसे प्राइमरी शिक्षा जो दर्जा पांच तक रही, फिर जूनियर की शिक्षा, दर्जा आठ तक, फिर हाई स्कूल और इंटरमीडियट तथा फिर यूनिवर्सिटी का स्तर इस प्रकार आप के यहां शिक्षा के स्तरों की जो व्यवस्था है उससे जो शिक्षित निकालते हैं उन्हें आप हर स्तर पर अपने जीवन में प्रवेश करने का अवसर प्रदान करते हैं। पहले यहां वर्नाक्यूलर और जूनियर हाई स्कूल का जो भेद था उसको भी मिटाया गया है, क्योंकि वह कुछ अपमानजनक सा लगता था। अब एक स्तर है उनका और जूनियर हाई स्कूल पास करके लड़के दर्जा १० पास करते हैं और फिर इंटरमीडियट है और उसके बाद यूनिवर्सिटी का स्टेज है। इस तरह से शिक्षा का स्वरूप यहां परिवर्तित हुआ और उस पर प्रयास आरम्भ हुआ।

आप देखेंगे और हमारे सभी साथियों को पता होगा, मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता, कि सन् ४६ से लेकर ५७ तक इन सभी स्तरों में कुछ प्रसार हुआ। चाहे वह स्तर प्राइमरी का रहा हो, जूनियर का रहा हो या हाई स्कूल, इंटरमीडियट या यूनिवर्सिटी का रहा हो, सब में प्रसार हुआ। और चीजों पर भी चिन्तन हुआ। आज बड़े जोर से डाइवर्सीफाइड कोर्स और मल्टीपरपजेज, बहुधंधी विद्यालयों की बात उठी है। मुदालियर कमीशन जो स्थापित हुआ उसने विशेषरूप से इसकी चर्चा की। आप अपने प्रदेश के इतिहास को देखें तो नरेन्द्रदेव कमेटी ने १९४७ में इस डाइवर्सीफाइड कोर्स के लिये जो सुझाव दिया था और जिन विषयों की शिक्षा उसमें सम्मिलित की थी और जो मार्ग उन्होंने निर्धारित करने की ओर संकेत किया था प्रायः वही मुदालियर कमीशन की सिफारिशों में आप पायेंगे। अब यह सोचा जा रहा है कि यूनिवर्सिटीज में जो बहुत ज्यादा कंजेशन हो जाता है तो उसको दूर करने के लिये और इसलिये भी कि सभी प्रतिभासंपन्न मेधावी, कल्पनाशील विद्यार्थी तो होते नहीं, सभी की रुचि भी उच्च शिक्षा की ओर नहीं होती, सब कदाचित् उस योग्य भी नहीं होते, प्रकृति की दी हुई क्षमता भी सब में समान नहीं होती, तो क्यों

ऐसे लोगों को भी यूनिवर्सिटी में भेज करके उनका समय भी लगाया जाय और उनको लाभ भी अधिक न हो सके। इसके लिये यह आवश्यक समझा जाता है कि ऐसे कोर्सेज ,बहु-मार्गी, बहुधंधी, बहुविषयक चला दिये जायं स्कूलों में जिनमें अपनी रुचि के अनुकूल बालक चले जायं और ऐसा हो कि उस दिशा में यदि वह उच्च शिक्षा प्राप्त करने लायक हो जायं तो उसका प्रबंध हो। यदि वह किसी टेक्निक की शिक्षा अपनी रुचि के अनुकूल प्राप्त कर लें और उसमें उन्नति करें, उसको अपने जीवन का आधार बनायें तो क्या बुराई है। शिक्षा यदि उनकी रुचि के अनुकूल कर दी जाय तो वह उसमें बढ़ सकते हैं। तो पहले उसको एक अवसर रहे, पास करके निकलने और उस में उन्नति करने का और यदि वह चाहे तो उच्च शिक्षा का भी अवसर उनको प्राप्त हो। यदि वह उच्च शिक्षा की ओर न जाना चाहें तो उसे ग्रहण करके अपने जीवन व्यापार में लग सकें और काम धंधे में लग सकें, यह एक दृष्टि अपनाई गई। कम से कम मुदालियर कमीशन ने इस पर बड़ा ध्यान दिया है और अब तो प्लानिंग कमीशन ने भी इस पर काफी विचार किया है और उसको चालू करने की कोशिश की गई। हमारी ओर उस समय भी इसके लिये ध्यान दिया गया और डाइवर्सी-फाइड कोर्स १९४७ से आप के माध्यमिक और हाई स्कूल के स्तरों पर चलाये गये। तो आज उसकी ओर ध्यान दिया जा रहा है। हमारे यहां उसका सूत्रपात हुआ। तो आज यूनिवर्सिटी में कन्जेशन को दूर करने की दृष्टि से और दूसरे इस दृष्टि से कि देश के लिये अच्छे प्रकार के कार्यकर्ताओं और उत्पादनों की आवश्यकता है, तो जैसी आवश्यकता हो उसके अनुकूल लोगों की शिक्षावृद्धि का एक क्रम प्रस्तुत किया जाय जिसमें हमारे विद्यार्थी और युवक छात्र जा सकें क्योंकि पर्सनलिटी की हर तरफ से कमी महसूस की जा रही है वह इस प्रान्त में तैयार हो सकें और राज्य की रचना के लिये उपयोगी सिद्ध हो सकें तो उसके लिये आपके यहां उसका सूत्रपात हुआ।

इस प्रकार से पिछले वर्ष हमारे पाठ्यक्रम में भी उन चीजों का समावेश हुआ और कुछ उसका प्रयोग हुआ। प्रसार भी हुआ और एक नई पद्धति को ले आने का और उसका स्वरूप निश्चित करने का एक प्रयोग हुआ। इस प्रयोग करने के आधार पर उसका एक निश्चित स्वरूप प्रस्तुत कर सकें, इस बात की चेष्टा हुई। आज १० वर्ष के बाद हम एक स्थिति पर पहुंचे हैं। केन्द्रीय सरकार का शिक्षा विभाग भी अधिकाधिक दिलचस्पी इसमें ले रहा है और विशेषकर विभिन्न प्रदेशों की शिक्षा के क्रम में और पद्धति में भी। कहीं कहीं उनकी दिलचस्पी बहुत खटक भी जाती है और बहुत तकलीफ भी दे देती है परन्तु वह उसकी तरफ दिलचस्पी ले रहे हैं।

उत्तर प्रदेश की सरकार ने १० वर्षों में शिक्षा में बराबर पद पद पर वृद्धि करने की कोशिश की है। ऐसे कुल आंकड़े यदि आप देखें तो यह स्पष्ट हो जायगा कि सन् १९४६ में हमारे जो आंकड़े रहे हैं और आज जो सन् १९५७ हैं उनमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है और कितने हम इस दिशा में आगे बढ़े हैं। आज आपका बजट शिक्षा के लिये १५ करोड़ का प्रस्तुत है जबकि मेरा खयाल है सन् १९४६ में जबकि उस बेसिक ईयर में आपने इस ओर कदम बढ़ाया, उस समय ३ करोड़ का बजट था सेकेन्डरी स्टेज में, जूनियर और प्राइमरी स्टेज में आप देखें तो सभी में वृद्धि हुई है। आप लोगों के सुझाव सुनने के बाद यदि आवश्यक होगा तो आपकी सेवा में इन आंकड़ों को प्रस्तुत करूंगा। इसलिये यदि आप देखेंगे तो उसकी तरफ आपके प्रदेश ने ध्यान दिया है और उस पर खर्च बढ़ता गया है। इन पिछले १० वर्षों में करीब ५ गुणा शिक्षा का व्यय बढ़ा है। आज एक खासी रकम, यद्यपि उससे हम अपने को सन्तुष्ट नहीं कह सकते, उसके लिये रखी गयी है और शिक्षा का काम हमारे प्रदेश में बढ़ा है। यूनिवर्सिटी एजूकेशन के लिये सन् ४६ में जो सहायता दी जाती थी उससे, आज जो सहायता दी जा रही है, उसके अन्तर को भी आप देखें। जो उस समय डिगरी कालेज रहे हैं और जो आज हैं उनकी संख्या को भी आप देखें। उस समय जो विद्यार्थियों की संख्या थी और उसमें कितनी तादाद बढ़ी है उसका आप अवलोकन करने का कष्ट करें। सेकेंडरी, जूनियर और प्राइमरी स्टेज पर जो शिक्षा होती हैं उनको आप देखें कि इन पिछले १० वर्षों में इनकी संख्या कितनी बढ़ती गई है।

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा अब हमारे सामने है जिसके अन्तर्गत वर्ष से कार्य आरम्भ हुआ है। इस अवसर पर मैं यह स्वीकार करना चाहता हूं कि इसमें प्रयोग होते रहे हैं प्रसार की दिशा में और एक पद्धति के निर्माण के विषय में भी और इस थोड़े से समय में तेजी के साथ नये नये प्रयोग करने के कारण एक प्रकार से अभी इसको इन कंसोलिडेट नहीं कर पाये हैं। नये प्रयोग होते रहे हैं और प्रसार भी होता गया है। हमारे प्राइमरी क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में हमने काम शुरू किया उसमें कुछ अभाव में कमी आयी जिसकी वजह से हमारा काम उसमें कुछ मन्दा हुआ और जितना काम हम कर सकते थे उसमें तेजी नहीं आयी। सन् ४७ से ५१ तक तेजी के साथ प्रसार हुआ। ५१ में धनाभाव के कारण और योजना के आ जाने से और दूसरी दिशाओं में धन चले जाने के कारण गति कुछ मंद हो गई। लेकिन फिर भी हमने उसे पूरा करने की कोशिश की ज्यादा से ज्यादा जो डाइवर्सीफाइड कोर्सेज हमने चलाये उसमें यदि धन की वृद्धि होती तो और अच्छा स्वरूप होता। परसनेल का भी अभाव था और इन्हीं कठिनाइयों के कारण हमारी गति उतनी तेज नहीं रह पाई जितनी तेजी से हम उस ओर बढ़ना चाहते थे। फिर भी यह निर्विवाद है कि प्रसार हुआ है और यदि बीच में कहीं कुछ कमी आई है तो हम जानते रहे हैं कि हमारी गति में यह कमी रहा है। फिर उसे किसी प्रकार पूरा करने की चेष्टा आपके प्रदेश की सरकार करती रही है।

इस समय ३ साल के डिग्री कोर्सेज का प्रश्न उठा हुआ है। केन्द्रीय सरकार ने एक नई व्यवस्था सोची है। उनका कहना है कि उच्चतर-माध्यमिक क्षेत्र में ३ साल का कोर्स कर दिया जाय और डिग्री का ३ साल का कर दिया जाय। अभी तक हमारे यहां ५ वर्ष वर्जा ५ तक, ६,७ और ८ जूनियर का और ९,१०,११ और १२ उच्चतर माध्यमिक का है। फिर डिग्री कोर्स है। २५,३० वर्ष से इस पर प्रयोग होता आ रहा है। अब जो परिवर्तन आपने सन् ४६-४७ में किया उसका भी स्वरूप इसमें फिट इन किया गया। और इस प्रकार का स्वरूप हमारे यहां है। अब केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय इस राय का है कि इंटरमीडियेट का ३ साल का और डिग्री का ३ साल का कोर्स कर दिया जाय। उत्तर प्रदेश को इसे स्वीकार करने में जबरदस्त कठिनाई है क्योंकि हमारी एक प्रचलित प्रणाली है जिसका हमने प्रयोग किया है और हम यह समझते हैं कि वह ठिकाने से चल रही है। उसमें किसी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता नहीं दिखाई देती। इसमें अनेक कठिनाइयां हैं जिन्हें हमने केन्द्रीय सरकार के सामने रखा है। पहले तो वह इसे स्वीकार ही नहीं करते थे और इसके आधार पर वह हमारी सहायता और अनुदानों पर रुकावट लगा रहे थे कि इसे स्वीकार करो। लेकिन हमारी कठिनाइयों को अब उन्होंने थोड़ा सा अनुभव किया है और देशमुख कमेटी ने सिफारिश की है कि उत्तर प्रदेश की विशेष परिस्थिति है और इस विषय पर विचार किया जाय, क्योंकि यहां एक प्रणाली प्रचलित रही है जो ठिकाने से काम करती रही है और परिवर्तन से इनका सारा सेटअप बिगड़ता है और बहुत खर्चा भी पड़ता है। हमारे टीचर्स और विद्यार्थी कहां जावें ? अभिभावकों पर भी खर्चा पड़ता है। ६६ डिग्री कालेज और यूनिवर्सिटियां हैं और करोड़ों तक इनके खर्चे की मिकदार पहुंच जाती है। फिर उनकी कोई आवश्यकता भी नहीं है। जहां धंधी-बधाई व्यवस्था हो वहां इसके करने की आवश्यकता है या नहीं यह देखने की बात है और हमारी धारणा है कि केन्द्रीय मंत्रालय हमारी बात को स्वीकार करे कि हमारे यहां उसे चलाने की जरूरत नहीं है।

इस बीच में अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिये भी बहुत चेष्टा हुई। हर स्टेज पर इस बात की कोशिश की गई। यह भी कोशिश की गई कि बालिकाओं की शिक्षा की व्यवस्था में भी प्रसार हो। अब भी हमारी सामाजिक परिस्थिति ऐसी है कि बालिकाएं पढ़ने के लिये कम आती हैं। लेकिन हमारी ओर से उसकी चेष्टा होती रही। बजट में आप देखेंगे कि १५ करोड़ का प्राविधान है जिसमें विश्वविद्यालय और डिग्री

कालेजों के लिये ९.६ है, माध्यमिक पर २१.३ है, प्रारम्भिक पर ४३.३ है विशेष कर ६.६ है और विविध पर १५.९ इस प्रकार हमारे खर्च का एक बटवारा सा है। सन् ४६–४७ में यह बजट ३ करोड़ २३ लाख का था और इस समय १५ करोड़ का है। संक्षेप में, आपकी द्वितीय पंच–वर्षीय योजना में कई योजनायें हैं।

जैसा मैंने आपसे कहा, अब वह युग आ गया है कि हम क सालिडेशन की ओर भी ध्यान दें, यानी चीजों को दृढ़ और पुष्ट बनाने की चेष्टा करें। अभी तक हम प्रसार की ओर लगे रहे हैं। इसके साथ हमने चीजों को पुष्ट बनाने की भी चे टा की है। आप बजट के हेड्स में देखेंगे कि जहां हमने प्रसार की ओर चेष्टा की है कि अगले ५ वर्षों में ५,००० प्राइमरी, और ५०० जूनियर हाई स्कूल खोल दिये जावे वहां हमने इस बात का भी प्रबंध किया है कि १०,००० प्राइमरी स्कूलों की इमारतों को बनवाने के लिये हम अनुदान दे सकें। जो इमारतें आज डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के हाथ में संचालित हो रही हैं, बहुत सी इमारतें बिगड़ी हुई हैं, ऐसे १०,००० विद्यालयों को हम दुरुस्त कराना चाहते हैं। पहले उन्हें सज्जा के लिये कुछ नहीं मिलता था, क्राफ्टस के लिये। अबकी इसके लिये कई लाख रुपया रखा गया है कि १०० रुपये प्रतिवर्ष ऐसे विद्यालयों को हम दे सकें। इसके अलावा विद्यालयों के पुस्तकालयों को स्थापित करने के लिये उनके प्लेग्राउन्ड खोलने के लिये और डाइवर्सीफाइड कोर्सेज को खोलने की मदें रखी गई हैं।

मैं स्वयं उन लोगों में हूं जिन्हें अध्यापकों में बड़ी श्रद्धा है चाहे वह अपने संस्कार से हो या जो कुछ भी हो। मैं अध्यापक और गुरु के पद को समाज में सबसे ऊंचा पद मानता हूं। जैसे कि व्यक्ति के जीवन में सबसे ऊंचा पद माता–पिता का हो सकता है, किसी दूसरे का नहीं, वैसे ही सामाजिक जीवन में गुरु का पद सबसे ऊंचा स्थान रखता है। अध्यापकों का गौरव उन्हें पुनः प्राप्त हो, उनके हित की रक्षा सरकार का कर्त्तव्य है और हम करने की चेष्टा करेंगे। अभी हमारे अध्यापकों के वेतन का प्रश्न उठता है। वह सही है और मैं इसको स्वीकार करता हूं कि जो आज अध्यापकों का वेतन है वह संतोषजनक तो कहिये ही क्या ऐसा भी नहीं है कि जिसे हम कह कर अपने सम्मान की रक्षा कर सकें, इतना कम वेतन उनका है। इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन "ते ते पांव पसारिये जेती लांबी सौर" के अनुसार पिछले १० वर्षों में हम वेतन में कुछ वृद्धि कर सके हैं। सन् ४७, ५५ और अब १९५७ में हमने उनके वेतन को बढ़ाया है। सभी अध्यापकों के करीब-करीब ३५ से ४७ हो गये हैं। उसमें ५ रुपये के डी०ए० को मिलाकर ५२ रुपया के करीब उनको मिलेंगे। लेकिन यह भी बहुत कम है, मैं इसे स्वीकार करता हूं लेकिन उतने में ही लाखों रुपये की वृद्धि आपकी हो गयी है। केन्द्रीय सरकार की ओर से कहा गया है कि आप अपने प्राइमरी स्कूल के टीचर्स को जो कक्षा १० पास हों और ट्रेन्ड हों ५० रुपया वेतन दीजिये। उनसे हमने कहा है कि हमारे यहां का ग्रेड इससे ज्यादा है। हमारे यहां कक्षा १० पास और ट्रेन्ड अध्यापक का ग्रेड ६० रुपया से है। हमारे यहां ५० रुपया से अधिक उनको मिलता है जो कक्षा ८ पास हैं और एच०टी०सी० पास हैं उनको हमारे यहां ५० रुपया से अधिक मिलते हैं। हमने भारत सरकार को लिखा है कि वे हमारे इन क्रमों में हमारी सहायता करें। अब वह सहायता मिल सकेगी या न मिल सकेगी, यह उनके देखने की बात है। हमने उनको लिखा अवश्य है।

हमारे यहां ७०–८० हजार अध्यापक हैं जो प्राइमरी स्कूलों के हैं, सरकार ने उनकी वार्षिकवृद्धि का पूरा हिस्सा अपने ऊपर ले लिया है। इन अध्यापकों के वेतन में बेसिक वेतन से जो प्रति वर्ष वृद्धि होती है उसको देने की जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के ऊपर न होकर वह सरकार ने अपने ऊपर ले ली है। इसी तरह से सेंकेन्डरी एजूकेशन में भी हमने मैंडेटरी ग्रेड्स बनाये हैं। हमारी जो माध्यमिक शिक्षा का भार है अधिकतर उसको जनता स्वयं अपने ऊपर उठाये हुये है। केवल उसमें हम अपने बजट का कुछ परसेंटेज देते हैं। फिर भी

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

१४--१५ सौ माध्यमिक विद्यालय हैं जिनमें से अधिकतर जनता द्वारा संचालित होते हैं। हमारी ओर से उन्हें अनुदान मिलता है और अनुदान भी हम उदार भावना से देते हैं केवल इस रूप में कि जितनी उनकी आमदनी होती है और जितना खर्चा होता है, उसके बीच में जो कमी रह जाती है उसको हम ग्रान्ट के रूप में पूरा कर देते हैं। इसके अतिरिक्त जो मेंडेटरी ग्रेड्स माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में हमने रक्खे हैं उनके अध्यापकों की जो वार्षिक वृद्धि होती है पहले उस वार्षिक वृद्धि का एक तिहाई हम देते थे। पिछले दो वर्ष से हम आधा दे रहे हैं और इस वर्ष यह व्यवस्था हमने की है कि उस वार्षिक वृद्धि का तीन चौथाई हम अपने पास से देंगे और हमारी बराबर यह चेष्टा रहेगी कि अगले वर्षों में यदि सम्भव हो सके तो इस सारी वृद्धि का भार सरकार अपने ऊपर ले ले। इस प्रकार से भी करीब ६ करोड़ की धनराशि प्राइमरी एजूकेशन पर बढ़ी है। और कई करोड़ की धनराशि सेकेंडरी एजूकेशन पर और यूनिवर्सिटी स्तर पर भी बढ़ी है। डिग्री कालेजेज तथा और कालेजों का अनुदान भी बढ़ा है। तो अध्यापकों के इस हित की रक्षा करना हम चाहते हैं और जरूर चाहते हैं कि उनके पद का गौरव उन्हें पुनः प्राप्त हो। ऐसी हमारी कामना है क्योंकि शिक्षा एक बुनियादी चीज है। सन्ततियों का निर्माण होना है इस देश के भविष्य के लिये और जो लोग उसके निर्माण में लगे हुये हैं वे सबसे बड़े विधायक हैं, सबसे बड़े रचयिता हैं और सबसे बड़े विधाता हैं। कल का भविष्य उन्हीं के ऊपर निर्भर है। उनका गौरव और उनका पद प्राप्त हो, आदर और सम्मान उन्हें मिले और जिस कार्य में वे लगे हुये हैं उसको इस प्रकार से कर सकें जो उनके काम के योग्य हो, इस बात की चेष्टा हम करेंगे और यह एक प्रयास इस दिशा में होगा। कहां तक हम कर सकते हैं यह तो समय के अनुकूल हम देख लेंगे, आप देखेंगे। पर हमारी नीति ऐसी है, संकल्प ऐसा है कि हम उस दिशा में बढ़ने की चेष्टा करें। प्रत्येक बच्चे की दर्जा ६ तक की फीस माफ कर दी गयी है जिसमें ३५ लाख रुपये के करीब खर्च होगा। गत वर्ष हमने दर्जा एक से तीन तक की फीस माफ कर दी थी और इस साल पहले दर्जा ४ से ५ तक की फीस माफ की थी, लेकिन अब इस साल दर्जा ६ की फीस भी माफ कर दी है। अगले साल दर्जा ७ और ८ की फीस भी माफ करने का विचार है। इस तरह से १० वर्ष के अन्दर जो कांस्टीट्यूशन के अनुच्छेद का डाइरेक्टिव है कि १४ वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा अनिवार्य और निःशुल्क करने का प्रयास स्टेट करे, हम इस बात की चेष्टा करेंगे कि सन् ५९ तक ही इस प्रकार की घोषणा कर दें कि हम दर्जा ८ तक के बच्चों की फीस माफ करते हैं। ऐसे सन् ५० से १० वर्ष तो सन् ६० में जाकर पूरा होता है लेकिन हम इसको एक साल पहले ही, सन् ५९ के बजट में ही, इस बात की घोषणा कर देंगे।

अब आप देखें कि यदि हम दर्जा ८ तक के बच्चों की फीस माफ कर ही दें और अगर उसे कम्पलसरी भी कर दें तो हमने हिसाब लगाया है कि करीब २० करोड़ रुपया आवर्त्तक और ५२ करोड़ रुपया अनावर्त्तक के रूप में प्रति वर्ष खर्च होगा। हमारे यहां ६ वर्ष से ११ वर्ष तक के बच्चों की संख्या १ करोड़ ८० लाख के करीब है और ऐसा अन्दाजा है कि हमको ३०--३५ हजार और स्कूल खोलने पड़ेंगे और उसके मुताबिक हमने हिसाब लगाया तो मालूम हुआ कि २० करोड़ रुपया केवल एक मद में प्रति वर्ष खर्च होगा, यदि हमने दर्जा ८ तक के एजूकेशन को कम्पलसरी कर दिया। इसलिये हमने इस बात की चेष्टा की है कि इस साल तो दर्जा ६ के लिये कर दिया है और अगले साल दर्जा ७ और ८ के लिये किया जायगा।

एक व्यवस्था यह भी हुई है कि १०० रु० से कम वेतन पाने वाले जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके बच्चों की फीस दर्जा ११ और १२ की भी आधी कर दी जाय। इस तरह से दर्जा ९ से १२ तक की फीस आधी करने की कोशिश हमने की है। आज हमारे सामने कई प्रश्न हैं जिन प्रश्नों के सम्बन्ध में मैं आपसे सुझावों की अपेक्षा करूंगा। शिक्षा का काम बड़ा जटिल है और सहसा एक ही मिनट में किसी प्रकार का फैसला करके कुछ

काम करना कठिन है। जो हमारे प्रदेश में शिक्षा की प्रगति अब तक हुई है उससे मैं सन्तुष्ट नहीं हूं। एक करोड़ बच्चे जो प्राइमरी स्टेज के हैं उनमें से २६-२७ लाख बच्चों को ही १० वर्ष बीतने के बाद भी पढ़ा सकें और बाकी वैसे ही पड़े हों तो यह हमारे लिये कोई सन्तोष की बात नहीं है और उस स्थिति में मैं अपने को सन्तुष्ट नहीं मानता, अब यह प्रश्न है हमारे सामने अगर हम १४ साल की उम्र तक के बच्चों की निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा २ बरस में करेंगे तो अवश्य ही उसका बोझ सरकार को उठाना पड़ेगा। वह हम अभी तक नहीं कर सके हैं यह भी कोई सन्तोष की बात नहीं है वह हम कर लेते अगर शक्ति होती। हमारे सेकेन्डरी स्टेज में भी जैसी हमारे अध्यापकों की स्थिति है उस से हम सन्तुष्ट नहीं है। वे पढ़े लिखे लोग हैं लेकिन साधनों के अभाव में सरकारी अनुदान के बाद भी उनकी अवस्था ऐसी नहीं है जिससे हम सन्तुष्ट हों, शिक्षा का और इन संस्थाओं का प्रसार अवश्य हुआ है लेकिन निश्चित रूप से स्थापित करके उन्हें परिपुष्ट बनाने का काम अभी बाकी है जिस के लिये अधिक साधन और धन चाहिये। यूनिवर्सिटी स्टेज में भी यही प्रश्न है कि किस प्रकार से हम वहां जो कनजेश्चन है उसे दूर कर सकें वह कैसे दूर हो। हालत यह है कि १७-१८ साल की उम्र में लड़के इन्टरमीडियेट पास करके आते हैं चाहे वे तीसरे दर्जे में ही पास हों लेकिन वह भी यूनिवर्सिटी में ही जाना चाहते हैं परन्तु वहां पर अत्यधिक छात्रों की संख्या के बढ़ने से जो हानि होती है उसे विशेष कहने की आवश्यकता नहीं है। तो प्रश्न हमारे सामने यह है कि हम किस प्रकार की व्यवस्था करें कि हमारे ये बच्चे माध्यमिक या उच्च माध्यमिक शिक्षा पाने के बाद उपयोगी बन सकें, साथ ही धन का भी प्रश्न है। हम चाहते हैं कि यह सब हो और साथ ही हमारी शिक्षा का जो प्रसार है वह भी न रुके क्योंकि अभी ८० प्रतिशत अशिक्षित हमारे यहां हैं।

लोकतन्त्र में लोक शिक्षा, जिसे यूनिवर्सल शिक्षा कहते हैं, होनी ही चाहिये। लोकतन्त्रात्मक राज्य में किसी को भी अशिक्षित रहने देने का अधिकार सत्ता को नहीं है, कोई व्यक्ति निरक्षर नहीं रहना चाहिये। शिक्षा का कम से कम एक सीमा तक सभी को अवसर मिलना चाहिये जिससे समाज के सभी व्यक्ति साक्षर हो जायं जिससे उनके कर्तव्यों और अधिकारों की जो शृंखला है उसका ज्ञान और अनुभव उनको हो सके, उसके महत्व को वह समझ सकें। तो उसके लिये जैसा मैंने आप से निवेदन किया हमें शिक्षा का प्रसार रोकना नहीं है परन्तु हम चाहते हैं कि इसके साथ ही वह परिपुष्ट भी होती चले और हमारा जो स्तर है वह भी न गिरने पाये। अगर हम प्रसार को कुंठित करें और क्वालिटी पर जोर दें तो प्रसार रुक जायगा और अगर क्वालिटी बढ़ाते हैं उसकी तरफ जोर देते हैं तो प्रसार रुक जाता है। इस लिये इस समय हमारे लिये दोनों ही चीजें आवश्यक हैं।

आज हमारे सामने बहुत से सवाल हैं, हमारी प्राइमरी एजूकेशन है उसके बाद हमारे जूनियर हाई स्कूल हैं, पांचवें से आठवें तक क्या हमें उनके मिलाने से लाभ होगा एक ब्लाक ५ से ८ तक हो? क्या इस बात की चेष्टा होनी चाहिये कि यूनिवर्सिटी स्टेज में और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों और डिग्री कालेजों के बढ़ने में हम रुकावट डालें। जो स्कूल १४०० और १५०० की संख्या में चल रहे हैं उन्हें न चलने दें, उन पर रोक लगायें क्योंकि वहां सज्जा का अभाव है, धन का अभाव है और उनका स्तर गिरता है। यह दूसरी तरफ हम इस प्रचार की बात को छोड़ दें, प्रसार करते हैं तो क्वालिटी में फर्क आता है। यह सब ऐसे प्रश्न हैं कि जिन पर मुझे आप का मार्ग प्रदर्शन चाहिये और आप मेरा पथ-प्रदर्शन करें। आप इसके लिये भी सुझाव दें कि यदि धन की कमी है और उसके कारण हम शिक्षा का पूरा प्रसार नहीं कर पा रहे हैं तो उसका अभाव भी किस प्रकार पूरा किया जाय। ये सब प्रश्न हैं कि जिन पर कुछ थोड़ा सा आप का परामर्श, आपकी राय और पथ-प्रदर्शन हमारा सहायक होना चाहिये और हमारी

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

आकांक्षा है कि आप इन बातों पर प्रकाश डालें ताकि आगामी ५ वर्षों में जब कि हमारी द्वितीय पंचवर्षीय योजना प्रचालित है, शिक्षा के स्तर को ऊंचा करने में और शिक्षा का प्रसार करने में भी और शिक्षा के क्रम को एक स्वरूप देने में और निखरता हुआ स्वरूप देने में भी हम सफल हो सकें। तीन ही मुख्य उद्देश्य हमारे सामने हैं---इसका प्रसार भी हो, स्तर भी ऊंचा हो और जिस पद्धति और प्रयोग को आप चलाएं उसका एक स्वरूप हमारे सामने निखर आये। यह काम पांच वर्षों में हो सके, क्योंकि काफी समय बीत चुका है। हम काफी प्रयोग भी कर चुके हैं। इसमें आपका पथ-प्रदर्शन आवश्यक है। आपके बताये हुये मार्ग पर और आपके द्वारा मिले हुए सुझावों को लेकर हम इस दिशा में अग्रसर हो सकें, यही हमारी चेष्टा होगी।

इन शब्दों के साथ मान्यवर, मैं अपना अनुदान आदरणीय सदन की स्वीकृति के लिए आपकी आज्ञा से प्रस्तुत करता हूं।

श्री देवीप्रसाद मिश्र (जिला फैजाबाद)---अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से आज हम शिक्षा अनुदान के विषय में एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव पेश करते हैं।

हम एक अध्यापक होने के नाते डरते भी हैं। घर में जाते हैं तो शिक्षा मंत्री की प्रतीक दुर्गा मुझे तंग करती है।

श्री अध्यक्ष---मेरी अनुमति आप कह सकते हैं। मेरी आज्ञा आप नहीं कह सकते। मैं आपको कटौती की आज्ञा नहीं दूंगा।

श्री कमलापति त्रिपाठी---मुझे तो शंकर का ही प्रतीक मानें तो अच्छा है। दुर्गा अपने घर ही रहने दें।

श्री देवीप्रसाद मिश्र---शंकर के प्रतीक तो मुख्य मंत्री जी मौजूद हैं। उनकी बगल में दुर्गा का रहना ज्यादा उचित होगा।

मैंने बताया कि अध्यापक होने के नाते हम डरते हैं। शिक्षा मंत्री ने हमें विश्वास दिलाया है कि वह गुरु का पद तो उच्च मानते हैं इसलिए हम कुछ कहने की यहां हिम्मत करने जा रहे हैं।

एक बात मैं जरूर कहूंगा। कल आपने शल्यवाद की निन्दा की। हम शिक्षा के विषय में कोई ऐसी आलोचना नहीं करना चाहते कि आप को वह पुरानी शिकायत फिर दोहरानी पड़े। लेकिन इतना जरूर हम कह देंगे कि शिक्षा मंत्री को शल्य अगर ढूढ़ना हो तो अपनी बगल में ढूढ़ें। पांडवों की जमात में शल्य के लिए कोई स्थान नहीं था।

अब मैं शिक्षा की तरफ आ रहा हूं। शिक्षा का स्वरूप क्या हो उसका रूप क्या हो इसके विषय में मंत्री जी ने स्वयं कबूल किया है कि अभी कोई निश्चित चिन्तन करने के बाद भी रूप स्थिर न हो सका है। हम मानते हैं कि बार बार इस प्रान्त में चिन्तन किया गया है। अगर देखा जाय तो चिन्तन की श्रृंखला जैसा कि आपने बताया है दो हजार और तीन हजार वर्ष पुरानी है। आज से दस वर्ष पहले भी नरेन्द्रदेव जी ने दो कमेटियों की रिपोर्ट पेश की। मुदालियर कमेटी की रिपोर्ट केन्द्र बनाने जा रहा था। लेकिन तब आपको संतोष न हुआ और आपने माध्यमिक शिक्षा पर एक नयी कमेटी बनाकर उसके स्वरूप को बनाने का प्रयत्न किया। हम यह जानते हैं लेकिन उसी के साथ साथ हम यह भी बताना चाहते हैं कि कमीशन की रिपोर्टों की कमी आपके यहां नहीं है। कमीशन बनते हैं। यहां तक कि अभी एक महीने पहले भी नैनीताल में शिक्षा के विषय में आपने कनवेशन किया था। इसलिये स्वरूप क्या हो इसकी जानकारी आपको नहीं है ऐसी बात नहीं है। वह सभी रिपोर्ट कोल्ड स्टोरेज में चली जाती हैं और आप उन पर कोई काम नहीं कर रहे हैं।

एक महान व्यक्ति आचार्य नरेन्द्रदेव जी का हवाला इस हाउस में दिया गया है इसलिए उनका भी हवाला मैं दे देना चाहता हूं। वह जब अपनी रिपोर्ट तैयार

कर रहे थे उस वक्त मैं उनके पास गया। उनके गिरते हुए स्वास्थ्य को देख कर मैंने उनसे स्वयं प्रार्थना की थी कि आचार्य जी आप क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं क्या आपको विश्वास है कि आपकी कमेटी की रिपोर्ट गवर्नमेन्ट मान लेगी। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि स्वयं आचार्य जी ने कबूल किया कि मुझे आशा नहीं है मैं जानता हूं कि यह कमेटी की रिपोर्ट नहीं मानी जायगी। लेकिन उन्होंने बताया कि मैं अपने कर्तव्य का पालन करता जा रहा हूं। मैंने बताया कि स्वरूप हो क्या यह सवाल नहीं है। स्वरूप तो आपके सामने है और चिन्तन करने के बाद भी आपने स्वरूप पाया है। एक शिक्षा विशारद हमारे मुख्य मंत्री हैं १९४७-४८ में एक स्वरूप निश्चित करने का प्रयत्न किया था वर्गीकरण करने का कि क्या-क्या विषय पढ़ाये जायं किस वर्ग में इसका वर्गीकरण बनाया था, और उसी वक्त मूल बात तय की गयी थी कि एक स्कूल में एक ही वर्ग पढ़ाने की व्यवस्था की जायगी। साइंटिफिक वर्ग कोई स्कूल अगर पढ़ाना चाहे तो वही वर्ग पढ़ा सकता है। यह मौलिक बात थी वर्गीकरण की। आपने क्या किया १ साल तक थोड़ा प्रयोग किया। दुख की बात है माननीय मुख्य मंत्री अमेरिका चले गये और उनकी गैरहाजिरी में आपने उसमें आमूल परिवर्तन कर दिये। अब वर्गीकरण है क्या? सभी विषय पढ़ाये जाते हैं। सिर्फ नाममात्र के लिये साइंटिफिक वर्ग, साहित्यिक वर्ग, रचनात्मक वर्ग का नाम दे दिया है लेकिन कौन-सा स्कूल किस वर्ग का है यह तो आपको मालूम है भी नहीं। इसलिये स्वरूप की जहां तक बात है आप जानते हुए नहीं कर रहे हैं। आपकी शिक्षा किस तरफ जाय इसका पता चूंकि आपको नहीं है इसलिये सब गड़बड़ी हो गई है।

प्रश्न पूछा गया, पहले मैं उन्हीं को लेना चाहता हूं। प्रसार हम करना चाहते हैं, उनको पुष्ट भी करना चाहते हैं, दोनों का सामन्जस्य कैसे हो? प्रश्न बड़ा कठिन नहीं है अगर जरा भी आप स्वरूप का निश्चय कर लें। प्रसार आप कहां तक चाहते हैं इसका तो स्वरूप निर्णय हो ही जाना चाहिये। मैंने सुना है खुद तो नहीं गया कि बाहर के मुल्कों में जहां शिक्षा का अधिक प्रचार है वहां सिविल सर्विस और सरकार की छोटी नौकरियों के लिये माध्यमिक शिक्षा अन्त है। वहां माध्यमिक शिक्षा के बाद नौकरियों के लिये पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। यही कारण है यूनिवर्सिटियों में वहां भीड़ नहीं हुआ करती है जो कि हमारे यहां है। भीड़ का यह कारण नहीं कि हमारे यहां लड़कों में पढ़ने की पिपासा है, बल्कि यह कारण है कि लड़के इंटरमीडियेट पास करने के बाद बेकार रहते हैं, इसलिये सबसे सहज उपाय उनके लिये यही है कि विश्वविद्यालय का दरवाजा खटखटायें। आपको प्रयत्न करना चाहिये कि इंटरमीडियेट के बाद, जैसा मैंने बताया बाहर के मुल्कों में माध्यमिक शिक्षा अन्तिम शिक्षा की श्रेणी है नौकरी के लिये, अगर यही आप भी कर दें तो विश्वविद्यालय में जाने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी आप विश्वविद्यालय की बढ़ती हुई भीड़ से घबराते हैं। मैं आपसे एक ही सवाल पूछना चाहता हूं कि विश्वविद्यालयों का स्वरूप ही अगर आप निश्चित कर दें, तीन वर्ष और दो वर्ष के झगड़े में आप पड़ गये, तो बहुत कुछ मसला हल हो जाय। आपने पंचवर्षीय योजना में कितना कपड़ा चाहिये, कितनी चीनी चाहिये और चीजें कितनी चाहियें यह तय किया। हजारों चीजों के आंकड़े आपने इकट्ठा किये। अगर आंकड़े किसी के इकट्ठा नहीं किये तो इसी के नहीं किये कि इस देश को कितने इंजीनियर्स की आवश्यकता है, कितने डाक्टरों की जरूरत है, इस देश को टैक्नीकल आदमियों की कितनी आवश्यकता है। अगर यह आंकड़े आपने इकट्ठा कर लिये होते तो मैं आपको एक थोड़ा-सा सुझाव दे, दूं यह विश्वविद्यालय अगर १० वर्ष के लिये इन टैक्नीकल ऐजूकेशन्स को ही दें बनारस विश्वविद्यालय या दूसरी यूनीवर्सिटीज जो इसके लिये उपयुक्त हैं, अगर सिर्फ इंजीनियरिंग की शिक्षा दें आपको लखनऊ विश्वविद्यालय अगर सिर्फ मेडिकल की शिक्षा दे तो क्या गड़बड़ी हो जायगी? आप कहेंगे कि १० वर्ष तक जो अध्यापक इन शिक्षाओं को नहीं जानते वे क्या करें?

[श्री देवीप्रसाद मिश्र]

उनके लिए सीधा रास्ता है, आप हिन्दी को नहीं लाना चाहते, अंग्रेजी का प्रेम तो आप में कुछ थोड़ा है ही . . . वह तो हम छोड़ देते हैं । लेकिन जब हिन्दी को नहीं लाना चाहते तो आप एक तर्क उपस्थित करते हैं कि पुस्तकें नहीं हैं, विश्वविद्यालय में शिक्षा कैसे दी जाय । मगर ऐसा कहना उपयुक्त नहीं होगा । दस वर्ष तक इन अध्यापकों को आज्ञा दे दी जाय कि तुम्हारे विश्वविद्यालय अब टेक्निकल एजूकेशन के लिये खुले हुए हैं दस वर्ष तक तुम लोग घर पर बैठ कर पुस्तकें लिखो और दस वर्ष के अन्दर हिन्दी का भंडार भर दो । क्या यह उचित नहीं है ? इससे अध्यापकों को भी काम मिल जायगा, विश्वविद्यालय की भीड़ भी हट सकती है और अपनी नियोजन की स्कीम को भी आप पूरा कर सकते हैं । लेकिन आपने बहाना लिया है कि रुपया नहीं है, मैं बताऊं कि इसमें रुपये की भी आवश्यकता नहीं है । आपके विश्वविद्यालय सब काम कर रहे हैं । थोड़ा-सा परिवर्तन करने से यह सुधार हो सकता है, लेकिन आप कर सकेंगे इसमें मुझे विश्वास नहीं है क्योंकि व्यक्तिगत बात हो जाती है फिर भी थोड़ा बहुत मैं कह दूं।

शिक्षा मंत्री का रूप ही कुछ ऐसा हो गया है कि हमारी प्राचीन संस्कृति से नहीं मिलता । उन्होंने अपने भाषण में प्राचीन संस्कृति और गौरव का बहुत बखान किया है । आपके रूप में दुर्गा और सरस्वती हैं । सरस्वती, दुर्गा और सूचना विभाग इसकी कल्पना हमारे दिमाग में नहीं है । आज कल की तारिकायें सूचना विभाग में आती हों, आपका प्रचार विभाग वही काम करता हो तो शायद ठीक कल्पना हो जाय। मैं आपको सुझाव दूंगा और साथ ही साथ मुख्य मंत्री से कहूंगा जो शंकर के अवतार हैं कि सरस्वती के लिये धन की आवश्यकता है और अन्नपूर्णा की आवश्यकता है उसके लिये लक्ष्मी की आवश्यकता है । क्यों नहीं आपको कमलापति ठीक-ठीक ढंग से बना दिया जाता । वित्त मंत्री जी अगर जरा अनुग्रहीत कर दें तो आपका स्वरूप प्राचीन संस्कृति सा हो जायगा और हम लोगों का काम भी चल जायगा ।

अब आगे मैं बढ़ूं तो थोड़ी सी बधाई भी शिक्षा मंत्री को देना चाहता हूं, क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूं कि शल्यवाद की तरफ मैं नहीं जाना चाहता । प्राचीन संस्कृति और परम्पराओं का जिक्र किया गया है । इधर २००, ३०० वर्ष में हमारे देश का नाम कहीं कुलियों के भाइयों के नाम से मशहूर था और कहीं पुलिस की भर्ती के नाम से मशहूर था । २००,३०० वर्ष का यह हमारे देश का अर्जन है, यह हमारा महत्व है ।

अब प्रारम्भिक शिक्षा की तरफ मैं चलता हूं । आप आंकड़ों की बात करते हैं । आपकी ही पुस्तक से मैंने आंकड़े लिये हैं । ये आंकड़े प्रारम्भिक स्कूलों के सम्बन्ध में हैं । हजारों में यह गिनती है । १९५०-५१ में २९,०५९, १९५१-५२ में २९,४३८, १९५२-५३ में २९,२२१, १९५३-५४ में २८,५९५, १९५४-५५ में २८,६९१, और १९५५-५६ में २९,२०२ । यह आपकी प्रगति है ८ वर्ष में । जहां से चले वहीं मौजूद हैं । जहां से ८ वर्ष पहले आपने शुरू किया था उतने ही विद्यार्थियों पर आप ८ वर्ष बाद रुक गये । मार्च करते हैं लेकिन मार्क टाइम होता है । मालूम होता है कि मार्च हो रहा है लेकिन स्थान खिसकता नजर आता नहीं, उसी जगह में जमें हुये हैं । प्रारम्भिक शिक्षा के बारे में आप कह रहे थे कि ८० फीसदी जनता यहां की मूर्ख है । एडल्ट ऐजूकेशन उसमें एक मुख्य अंग है । उसमें क्या प्रगति हुई इस सम्बन्ध में आपके आंकड़े चुप हैं । चुप होने का मतलब मैं जानता हूं कि आपने उस दिशा की ओर कोई ध्यान नहीं दिया है, काम करना बन्द कर दिया है । मुझे अच्छी तरह से याद है कि ४७-४८ में जब स्वतंत्रता हुई थी तो आपने प्रौढ़ शिक्षा आन्दोलन चलाया था । मैं अपनी बात खुद कहता हूं कि मैंने अपने यहां ६०–७० नाइट स्कूल खोले थे । जिनमें प्रौढ़ शिक्षा का प्रचार मैं किया करता था । चार पांच वर्ष के बाद वह सब प्रौढ़ स्कूल रात्री में विलीन हो गये हैं, कोई प्रौढ़ शिक्षा का स्कूल अब नहीं चलता है और आपकी रिपोर्ट स्वयं चुप होने के कारण यह साफ-साफ

बता रही है कि आप प्रौढ़ शिक्षा की तरफ नहीं जा रहे हैं। क्या कमी है? क्यों नहीं जा रहे हैं? मैं नहीं जानता, लेकिन इतना मैं जानता हूं कि जब तक आप प्रौढ़ शिक्षा की तरफ नहीं जाते, अपने जीवन में कम से कम आप इस प्रदेश को साक्षर नहीं कर सकेंगे।

आगे मैं बधाई और आप को कैसे दूं? माध्यमिक स्कूलों का वर्णन क्या करूं, जिसकी एजूकेशन कोड, जिसकी आचार संहिता ५० वर्ष पहले बनी थी, अंग्रेजों ने बनायी थी। मालूम हुआ कि इसमें संहिता के बहुत से स्थल गलत हो गये हैं, आज के समय से विरुद्ध ऐक्ट उस में मौजूद हैं। आपने स्वयं १० वर्ष पहले भी यही कहा था और एक बड़े शिक्षा विशारद को एप्वाइंट किया था कि वह आचार संहिता बदल करके ठीक रिपोर्ट दे दे। उसने रिपोर्ट दे दी, १० वर्ष पहले वह रिपोर्ट आगयी। लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई और लहंगा वही है, फटा हुआ पेबन्द लगा करके आप पहिन रहे हैं और काम चला रहे हैं। जिस शिक्षा संहिता की यह हालत हो और आप कहें कि मैं शिक्षा की ओर ध्यान दे रहा हूं और प्रगति कर रहा हूं, मुझे क्या कहना है उसके बारे में?

आपने आंकड़े उपस्थित किये हैं कि कुछ रुपया हमने खर्च किया.....

श्री अध्यक्ष---आप २० ही मिनट लेंगे या और अधिक लेंगे?

श्री देवीप्रसाद मिश्र---मुझे आध घंटा दे दीजिये, एक अध्यापक होने के नाते।

श्री अध्यक्ष---मैं १० मिनट और दे सकता हूं, लेकिन १० मिनट आपके पक्ष के लोग कम बोलेंगे।

श्री देवीप्रसाद मिश्र---आज अध्यापकों का दिन है, कम से कम.....

श्री अध्यक्ष---आप साढ़े बारह बजे तक बोल लें।

श्री देवीप्रसाद मिश्र---मैं माध्यमिक आंकड़ों को देख रहा था। आपने बड़े गर्व के साथ बताया कि १९४६ में मेरा इतना बजट था और १९५७ में इतना बजट हो गया। क्या आप यह नहीं बता सकते थे कि उस वक्त पूरा बजट कितना था और उसका कितना हिस्सा आप शिक्षा पर खर्च कर रहे थे? मैं आपको बता तो नहीं सकता, लेकिन क्या मैं यह निवेदन नहीं कर सकता कि अंग्रेज जितने प्रतिशत शिक्षा पर खर्च कर रहा था उससे एक प्रतिशत आप कम खर्च कर रहे हैं? उसके पूरे बजट में शिक्षा के लिये १६ प्रतिशत स्थान था और आपके बजट में १४ प्वाइंट कुछ आता है। यह अंग्रेजों से तुलना करना बड़ी गलत चीज है, लेकिन चूंकि आपने उसके आंकड़े पेश किये हैं, इसलिये मजबूरन मैं उसीके आंकड़े दे रहा हूं।

एक चीज और। आपने दयालुता दिखलाई है कि अब तो हम तीन चौथाई वृद्धि का अनुदान माध्यमिक स्कूलों को देने जा रहे हैं। इसी के पहले पहल आपने यह भी फरमाया था कि शिक्षा के विषय में तो मेरी बड़ी उदार नीति है। शिक्षा से जो आमदनी होती है और जो शिक्षा में खर्च होता है उसका अन्तर हम दे देते हैं। फिर इस शगूफे की क्या आवश्यकता है? आप तो स्वयं कबूल करते हैं कि जो शिक्षा की आमदनी होगी और फीस आयेगी, जो खर्च होगा, उसका अन्तर गवर्नमेंट दे देगी। फिर इसकी क्या जरूरत है कि तीन चौथाई वृद्धि हम देंगे। इसके माने यह हैं कि आप जो कर रहे हैं, वही करेंगे, सिर्फ दूसरे शब्द दे रहे हैं। मैं सुझाव दे रहा हूं कि तीन-चौथाई देने की आपने प्रतिज्ञा की है, कुछ बजट में भी आपने प्रावीजन रखा है, क्या यह नहीं हो सकता कि यह रुपया मैनेजमेंट को न देकर सीधे-सीधे मैनेजर को न देकर आप स्वयं खर्च करें और अध्यापकों को महंगाई का वेतन दे दें। आप नहीं जानते कि ७५ रुपये के बाद अध्यापकों की महंगाई रुक जाती है। आप अपने नौकरों को ५०० रुपये तक महंगाई देते हैं और हमें ७५ रुपये पर रोक देते हैं। क्या आप मेरी इस छोटी सी प्रार्थना को कबूल नहीं करेंगे? ग्रांट में जो प्रावीजन रखा है उसको बदल दें और उसको महंगाई की तरफ ले जांय और सीधे-साधे अध्यापकों को

[श्री देवीप्रसाद मिश्र]

दे दें और जो अध्यापक २०० –२५० रुपये पाते हैं, वह भी महंगाई पा सकें। यदि आपने यह बीज करदी तो अध्यापकों को काफी संतोष हो जायगा।

एक बात मैं आपको बतला दूं, वह पुरानी है लेकिन मैं उसको दोहरा दूं। आपने अध्यापकों की दवा दारू का प्रबंध मुफ्त रखा है और उसके लिये एक सांकेतिक अनुदान भी सौ रुपये का रखा है। मैं आपको धन्यवाद देता लेकिन जब मैं समाज की व्यवस्था देखता हूं तो मालूम होता है कि इन बड़े-बड़े साधनों का उपयोग वही लोग कर सकते हैं, जो शक्तिशाली होते हैं या प्रभावशाली होते हैं। आपको पता नहीं है इसलिये मैं आपको बतला दूं कि आपके अस्पतालों में दवायें कम होती हैं। इसलिये नतीजा यह होगा कि वह दवायें उन्हीं लोगों को मिला करेंगी जो शक्तिशाली हैं और प्रभावशाली हैं। दवायें मुफ्त जरूर होंगी, लेकिन अध्यापकों के पास उसका हिस्सा नहीं जायगा। इसलिये प्रावीजन होते हुये भी उनको फायदा नहीं पहुंच सकेगा, क्योंकि वह समाज में कोई स्थान नहीं रखते हैं। आपने जरूर कहा है कि आपके हृदय में उनके लिये स्थान है, मैं उसके लिये आपको धन्यवाद देता हूं। लेकिन समाज में उनका आज क्या स्थान है? आप ऊंचे रहने के कारण अध्यापकों की दशा को नहीं जानते हैं।

लेखपाल ऐसा व्यक्ति है जिसके कारण राज्यपाल ने नाम बदलने का प्रयत्न किया है। लेकिन उस का भी दर्जा है। आप को बतला रहा हूं। वह आपके गुरु से, इन ऋषि मुनियों से ज्यादा ऊंचा है। अगर यह अध्यापक १०–१२ वर्ष पढ़ाई न करता और गांव में घास छीलता या किसी आफिस में चपरासी की नौकरी करता या कोई और दूसरा काम कर लेता तो जितनी तनख्वाह वह आज पा रहा है उस से दुगनी, तिगुनी तनख्वाह पाता। उसने क्या अपराध किया है? उसने १०, १२ वर्ष पढ़ाई क्यों की? यह उसी का दंड है कि उस को वेतन आज सबसे कम मिलता है।

एक बात आपने कही है कि प्राइमरी स्कूलों और माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों का वेतन बढ़ा दिया है। आपको पता नहीं है। आप ने जे० टी० सी० का हवाला दिया कि उन की तनख्वाह ६० रुपये कर दी है। केन्द्र ने सिफारिश की थी कि प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों का वेतन सबसे कम है और बम्बई से आधा है। इसलिये केन्द्र ने लिखा कि आप अगर अपने यहां के प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों का वेतन बढ़ाना चाहें तो हम तीन चौथाई अनुदान देने के लिये तैयार हैं। आपको केवल एक चौथायी देना था। लेकिन आप तो तर्क कर रहे हैं कि हम ने जे० टी० सी० हाई स्कूल पास की तनख्वाह ६० रुपये रखी है। सरकार को पता होना चाहिये कि ये प्राइमरी स्कूलों में नहीं जाया करते हैं। ये जूनियर हाई स्कूलों में जाया करत हैं, जो माध्यमिक शिक्षा के ही अंग हैं। एक शिक्षा मंत्री जी ऐसी बात कहें कि जे० टी० सी० हाई स्कूल पास अध्यापक प्राइमरी स्कूलों में जाते हैं तो मैं यह सूचना विभाग की गलती ही कहूंगा, हालांकि यह उनका ही विभाग है।

आगे माध्यमिक शिक्षा की बात कही गयी है। हमारा वेतन कम है। मैं क्या शिकायत करूं? आपने मुझे ऋषि और मुनि का पद दे दिया है। लेकिन इतनी शिकायत जरूर करूंगा कि आप गवर्नमेंट स्कूलों में भी ऋषि मुनि रखते हैं। उनकी तनख्वाह हमसे दुगनी तिगुनी कर रखी है। उनके ऊपर अनुदान के ऊपर अनुदान बढ़ाते चले जा रहे हैं। उनके लड़कों की फीस भी माफ करते चले जा रहे हैं। यह आप डिसपैरिटी एक ऋषि और दूसरे ऋषियों में क्यों करते हैं।

एक सदस्य—वे राजर्षि हैं।

श्री देवीप्रसाद मिश्र—एक भाई साहब ने बतलाया कि वे राजर्षि हैं और हम लोग दूसरे किस्म के हैं। मैं आप से प्रार्थना करूंगा कि अंग्रेजों ने यह बटवारा किया था। लेकिन वह हमारा नहीं था, आप हमारे हैं कम से कम इस भेद को तो मिटा ही दीजिये। अंग्रेजी स्कूल, माध्यमिक स्कूल एक तरह के रखिये। क्या नुकसान है आप का इस में? आप को रुपये की

ती दिक्कत नहीं होगी। यह तो आपके फायदे की चीज है। क्यों नहीं इस को कर देते हैं। हम वेतन बढ़ाने की मांग नहीं कर रहे हैं। हम तो सिर्फ यही मांग कर रहे हैं कि जो अध्यापकों के बीच में आपने वर्गीकरण कर रखा है और जिन्होंने नकली समाजवाद कह कर हमको ताना दिया है उनसे कह रहे हैं कि दो नाम आपने क्यों दिये हैं। काम एक दिया है और हम ९-१० गुणा काम करते हैं। फिर क्यों नहीं इस वर्गीकरण को समाप्त करते हैं?

आपने माध्यमिक स्कूलों के स्तर की बात कही। आप फेल हुये लड़कों की संख्या को देख कर स्तर का अनुमान करते हैं। सरकार को शायद नहीं मालूम कि लड़के फ़ेल किस विषय में होते हैं। इतना ज्ञान उनको न होगा। फ़ेल होने वाले लड़कों में ६० प्रतिशत संख्या अंग्रेजी की है, जिसको हटाने के लिये आप प्रतिज्ञा कर चुके हैं, जो आप के संविधान में लिखा हुआ है कि सन् १९६५ में अंग्रेजी गायब हो जायेगी, जिस के लिये दूसरी पार्टियां आन्दोलन कर रही हैं और आप उनको विश्वास दिलाते हैं कि जल्दी से जल्दी अंग्रेजी चली जायेगी। मैं क्या आपसे एक छोटा सा सवाल नहीं पूछ सकता हूं कि जो भाषा जाने वाली है और जा रही है उसको हमारे ऊपर लाद कर ६० प्रतिशत विद्यार्थियों को आप फेल कर रहे हैं यह कहां का न्याय है? अगर किसी दूसरी भाषा में हम फ़ेल हुये होते तो हम भी समझते कि हमारा स्तर गिर रहा है। यह कैसे हो रहा है, स्वयं मुझे नहीं मालूम। सन् ४७ में जब अंग्रेज यहां थे तो जूनियर हाई स्कूलों में अंग्रेजी के लिये कोई स्थान नहीं था, केवल एक शैक्षिक विषय था। लेकिन जब से वे यहां से गायब हुये तब से सभी जूनियर हाई स्कूलों में आपने अंग्रेजी को एक तरह से कम्पलसरी कर दिया। अब ९० फ़ीसदी लड़के जूनियर हाई स्कूलों में अंग्रेजी पढ़ा करते हैं। क्यों हुआ, यह मैं जानता नहीं। देहातों में हमने किस्सा सुना है कि अगर किसी आदमी को आप मार डालिये तो उस का भूत सिर पर आता है। वह भूत करता क्या है? वह आपके कुल को नष्ट करता है और आप से नष्ट कराता है। यही भूत का अर्थ हमने देहात में सुना था। क्या यह बात सही नहीं है कि अंग्रेजों के चले जाने के बाद ६० फ़ीसदी लड़कों को अंग्रेजी में फ़ेल किया जाय और अंग्रेजी हमारे सिर पर लादी जाय जब कि संविधान में लिखा है कि वह चीज़ गायब होने वाली है? यह अंग्रेजी प्रेम आपका मैं और दूसरी तरह से समझ नहीं पाता।

दूसरी बात यह कही गयी है कि अनुशासन की कमी है, लड़के नकल करते हैं और पचासों तरह के काम करते हैं। मैं उनको शिक्षक होने के नाते कन्डैम करने तो यहां नहीं आया हूं, लेकिन क्या मैं आपसे यह नहीं पूछ सकता कि इसकी जिम्मेदारी किस के ऊपर है? अगर आप शिक्षक के ऊपर डालते हैं तो मैं मानता हूं कि वह जिम्मेदार हैं, लेकिन जिस को आप खाना न दें, "विभुक्षता किं न करोति पापं" उस के ऊपर जिम्मेदारी मैं कैसे डालूं? सरकार की जिम्मेदारी है कि नहीं यह मैं आपको बता देना चाहता हूं। मुदालियर कमेटी की रिपोर्ट है कि लड़कों की जितनी भी बुराइयां हैं वे सब दूर हो सकती हैं अगर उनको यह विश्वास हो जाय कि उनकी योग्यता के अनुसार समाज में उनको स्थान मिल जायगा। यही मूल कारण हैं। लड़के समझते हैं कि १०–१२ घंटे पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। नौकरी तो मिलेगी सिफ़ारिश से, तब फिर वे मेहनत क्यों करें और क्यों परीक्षा में जाकर अपना सिर फोड़ें। उस के लिये सरल तरीका है कि दिन भर गुल्ली डंडा खेलें, मास्टरों की बेईज्जती करें और स्कूल में जाकर नकल करें, क्योंकि वह जानता है कि एक सार्टिफ़िकेट आप का हो और नौकरी मिल जायगी। मैं समझता हूं कि लड़कों में अनुशासनहीनता की जितनी भी जिम्मेदारी है वह सरकार के हिस्से में आती है। इसे आप को कबूल करना चाहिये। शिक्षकों की क्या हालत है इसके बारे में मैं बहुत कुछ कह चुका।

अब यूनिवर्सिटी के विस्तार के बारे में भी कुछ कह देना चाहता हूं। आपको गौरव होना चाहिये कि बावजूद इसके कि हम सबसे ज्यादा अशिक्षित हैं, बावजूद इसके कि हम बहुत कम पढ़े लिखे हैं। यहां विश्वविद्यालयों की संख्या देखने में बहुत ज्यादा है। इनका बटवारा भी अजीब हुआ है। पूर्वी जिले जो और सब तरह से उपेक्षित हैं, पता नहीं विश्वविद्यालयों की

[श्री देवीप्रसाद मिश्र]

स्थापना में आप उनके साथ इतने क्यों उदार हैं ? क्या शिक्षा और गरीबी से बहुत निकट का सम्बन्ध है ? पश्चिमी जिले, जिनके लिये कहा जाता है कि वे प्रगतिशील, उन्नतिशील और पढ़े-लिखे हैं , आप देखिये वहां कोई यूनिवर्सिटी आपकी नहीं है । आगरा यूनिवर्सिटी तो ऐफिलियेटिंग यूनिवर्सिटी है और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी सेंटर की है । तो आप पश्चिमी जिलों के लिये एक भी यूनिवर्सिटी नहीं रखना चाहते । पूर्वी जिलों में गोरखपुर, लखनऊ, इलाहाबाद और दो-चार आपके दिमाग में होंगी, वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी प्राचीन विद्या का केन्द्र है, अरबी और फारसी के लिये भी कोई विश्वविद्यालय आपके दिमाग में होगा लेकिन क्या आप यह जरूरी नहीं समझते कि पश्चिमी जिलों में एक भी यूनिवर्सिटी हो, मेरठ एक ऐसा स्थान है जहां आप एक ऐसी यूनिवर्सिटी स्थापित कर सकते हैं लेकिन आप वह नहीं करते ।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय शिक्षा मंत्री जी को बधाई देने के लिये खड़ा हुआ हूं ।

(इस समय १२ बज कर ३३ मिनट पर श्री अध्यक्ष चले गये और उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी पीठासीन हुये ।)

श्रीमन्, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने स्वयं इस बात को कबूल किया है कि अभी हमें बहुत कुछ करना है । लेकिन १० वर्षों के अन्दर प्रगति हुई है । शिक्षण संस्थाओं की संख्या इतनी अधिक बढ़ी हुई है कि उनके आंकड़े यदि आप पुस्तकों में देखें तो आपको पता चलेगा कि कितना स्पष्ट अन्तर है । इसके अनन्तर भी यह कहा जाय कि कुछ काम नहीं हो रहा है ? श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि योजना जब आती है तो शिक्षा की योजना रिसोर्सेज की योजना नहीं है, वह वस्तुओं की योजना नहीं है, वह मानव योजना ह और मनुष्य के बनाने में जितना समय लगता है और लगना चाहिये और जितने विचारशील कदम होने चाहिये उतना उठाना आवश्यक है । आज एक घर गिर सकता है और बन भी सकता है, लेकिन अगर एक समाज नष्ट-भ्रष्ट हो और उसको सुधारने के लिये जल्दी कदम उठाया जायगा तो क्या परिणाम होगा उस पर इस माननीय सदन को भी विचार करना पड़ेगा । माननीय शिक्षा मंत्री जी ने अभी थोड़े से दिनों से इस काम का भार लिया है और प्रयाग में, वाराणसी में या जहां भी उन्होंने भाषण दिया है उससे हमारे अध्यापक वर्ग को भी और सारे समाज को बड़ा संतोष हुआ है ।

मैं भी अध्यापक हूं और कटौती के प्रस्तावक मिश्र जी भी हैं । वे अगर १२-१४ वर्षों से इससे संबंधित हैं तो २२ वर्षों से मेरा भी शिक्षा से संबंध रहा है । अवस्था में भी मैं उनके बराबर हूं । वे कहते हैं कि एजूकेशन कोड में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है । कागजी टिप्पणियों से यदि उनका तात्पर्य हो कि वह किताब में नहीं छपी है तो हो सकता है लेकिन समय-समय पर जो परिवर्तन हुये है उसी के परिणाम-स्वरूप माननीय मिश्र जी भी इस सदन के मेम्बर हैं और मैं भी यहां मेम्बर हूं । वे भी एक प्रिंसिपल हैं और मैं भी एक प्रिंसिपल हूं और दोनों छुट्टी लेकर यहां बैठे हुये हैं । क्या अंग्रेजी शासन-काल में किसी भी अध्यापक की हिम्मत थी कि वह इस तरह से ऐसे कामों में भाग ले सकता था ?

श्री देवीप्रसाद मिश्र---बहुत से अध्यापकों ने लिया है ।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी---जब मिश्र जी बोल रहे थे तो मैं बहुत शान्ति से उनको सुनता रहा पर पता नहीं क्यों, जब मैं बोलना चाहता हूं तो वे उसको नहीं सुनना चाहते । मुमकिन है कि आपके और हमारे विचारों में मतभेद हो । खैर, तो श्रीमन् मैं यह कह रहा था स्कूलों की जो मान्यताएं हैं, जो एजूकेशन कोड है उसमें परिवर्तन हुआ है । चाहे धाराओं में फर्क न हुआ हो किन्तु स्पिरिट में फर्क अवश्य हुआ है और अध्यापकों को जो चुनाव लड़ने की व्यवस्था कर दी गई है , प्रजातंत्र के कार्यों में जो भाग लेने की व्यवस्था कर दी गई है, हां उस में जो ६ सीटें शिक्षकों के लिये रखी गई हैं, क्या यह, मैं जानना चाहता हूं कि, परिवर्तन नहीं है ? किस प्रकार का परिवर्तन उनको चाहिये, यह मेरी समझ में नहीं आता ।

श्रीमन्, शिक्षा में सरस्वती और दुर्गा का संबंध कुछ समझ में नहीं आया। हमारे शिक्षा मंत्री तो एक ऐसे स्थान से आते हैं कि जहां से सारे भारत को प्रकाश मिलता रहा है और उत्तर प्रदेश को भी वह प्रकाश देंगे, ऐसी पूरी आशा है। हम सब उनके आभारी हैं और हमको पूरी आशा है कि उनके मंत्रित्व-काल में शिक्षा में एक ऐसी व्यवस्था आयेगी कि जिस से हम सबको संतोष होगा। मैं उधर बैठे हुये लोगों से निवेदन करूं कि यदि जल्दी में कोई योजना प्रस्तुत कर दी जायगी तो ठीक नहीं होगा। १९३७, ५० और ५६ में कई बिल आये, जैसा कि हमारे मित्रों को मालूम है और समाज में उनका विरोध हुआ। अगर जल्दी में कोई चीज आ जायगी तो अध्यापकों और शिक्षा का नुकसान हो सकता है। तो मैं माननीय मिश्र जी से, जिन्होंने कटौती का प्रस्ताव उपस्थित किया है, कहूंगा कि जल्दी करने की जरूरत नहीं है। वे अपने शिक्षा मंत्री पर आस्था रखें और कांग्रेस प्रशासन पर आस्था रखें। आप देखेंगे कि आप जो चाहेंगे वही होगा, क्योंकि इस देश के बनाने में सब का बराबर हित है। समाज को बनाने की लालसा जितनी आपको है उतनी ही हमको भी है और हमको कितनी है वह आप हमारे कार्यों से देख सकते हैं।

श्रीमन्, इतनी बात के बाद मैं वस्तुस्थिति की ओर आना चाहता हूं। मंत्री जी ने भी हम लोगों से सुझाव मांगे और इससे मुझे कुछ प्रोत्साहन मिला। इस प्रदेश में शिक्षा की चार श्रेणियां हैं। (लाल बत्ती होने पर) श्रीमन्, मैं एक अध्यापक हूं। वहां आध घंटा मिला, मुझे कुछ और समय मिलना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—मेरा खयाल है कि अध्यापकों की संख्या इस सदन में १५ से कम नहीं है और अगर इसी तरह से सब समय मांगेंगे तो कठिनाई होगी। लेकिन इस वक्त मैं आपको ५ मिनट और दे दूंगा।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी—१० मिनट मेरे वैसे थे, ५ मिनट और मिले, तो इस तरह से क्या १५ मिनट मुझे मिले ?

श्री उपाध्यक्ष—जी हां।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी—तो ठीक है। मैं कह रहा था कि हमारे यहां शिक्षा की चार श्रेणियां हैं। प्रारम्भिक, माध्यमिक, यूनिवर्सिटी और एक टेक्निकल कहिये या उसे देहाती शिक्षा कहा जा सकता है। इसके साथ ही साथ एक प्रि-प्राइमरी एजूकेशन की भी व्यवस्था है, शिशु के लिये, ३ से ५ वर्ष तक के बच्चों के लिये। यह ठीक है कि हमारी प्राइमरी शिक्षा का विस्तार हुआ है और इसे माननीय मंत्री जी ने भी माना है, लेकिन उसकी क्वालिटी बढ़ाने की वह सोच रहे हैं और उसके लिये उन्होंने सुझाव भी मांगे हैं। मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि इसके पूर्व के शिक्षा मंत्री, आज के हमारे मुख्य मंत्री महोदय ने पहले जो प्राइमरी विद्यालय खोले थे और जिनको सरकार ने स्वय चलाने का प्रयत्न किया था बाद में वह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को दे दिये गये। उसका हाल यह हुआ कि उनकी हालत खराब हो गई, वहां पर अध्यापकों को तीन-तीन, चार-चार मास तक वेतन नहीं मिल पाता, बोर्ड के पास साधन भी नहीं हैं, इसलिये कम से कम सरकार को प्राइमरी शिक्षा को या यूं कहिये कि ८ वें क्लास तक की शिक्षा का प्रबंध स्वयं अपने हाथ में ले लेना चाहिये और उसका राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिये। माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि वह ६ठें क्लास तक की फीस माफ कर रहे हैं और अगले वर्ष ७—८ क्लास को भी करेंगे। उन्होंने प्रशासन की नीति स्पष्ट कर दी है कि वह राष्ट्रीयकरण कर रहे हैं इसमें कोई शक भी नहीं है, किन्तु श्रीमन्, मैं चाहता हूं कि सरकार इस प्राइमरी शिक्षा को विशेष महत्व दे और शिक्षा का जो जिला बोर्ड को अनुदान है, उसे वह शिक्षा बोर्ड को दें।

इसके अतिरिक्त पहले टीचर्स को ४१ रुपया तनख्वाह मिलती थी और १२ रुपया मंहगाई भत्ता। इस तरह से कुल उनको ५३ रुपया मिलता था। बाद में मंहगाई का आधा

[श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी]

उनकी तनख्वाह में मिला दिया गया, उनकी तनख्वाह ४७ रुपया हो गई और पांच रुपया उनको महंगाई भत्ता मिलता रहा। इस साल ५ रुपया की और बढ़ोत्तरी हुई है। तो यदि उनको १२ रुपया महंगाई मिलती रहती तो पहले उनको ५३ रुपये मिलते थे, लेकिन आज उनको कुल ५२ रुपये मिल रहे हैं, जबकि कायदे से ५३ रुपये उनको मिलने चाहिये। मैं समझता हूं कि इसका भी सुधार होना चाहिये।

श्रीमन्, मैं यह चाहता हूं कि जिला बोर्ड की जो समितियां हैं उनमें एक ऐसी समिति बनाई जाय जो शिक्षा के कार्य को बिलकुल ठीक-ठीक देखे। अगर यह सम्भव नहीं है कि जिले के स्तर पर एक ऐसी समिति बनाई जाय जिस पर जिले की शिक्षा समिति और प्राइमरी शिक्षा का उत्तरदायित्व रहे तब मैं यह सुझाव दूंगा कि जैसा आचार्य नरेन्द्र देव कमेटी की रिपोर्ट में है। समय की कमी के कारण उद्धरण मैं पेश नहीं कर सकता कि आठवें कक्षा तक राज्य का कर्त्तव्य है कि वह उसके व्यय को वहन करे। सरकार को इस ओर कदम उठाना चाहिये।

मैं आपके द्वारा सदन का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि दूसरे देशों में जहां पर इस प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था है वहां पर शिक्षा आठवीं तक बिलकुल मुफ्त दी जाती है। अमेरिका में १२ वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा मुफ्त दी गाती है। इगलैण्ड में भी, फ्रांस में भी शिक्षा फ्री दी जाती है। रूस में पहले तो शिक्षा फ्री दी जाती थी, लेकिन अब थोड़ी सी नामिनल फीस वह चार्ज करते हैं। डेनमार्क में तो सेकेन्डरी एजूकेशन तक एजूकेशन फ्री है।

श्रीमन्, एक बात इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि प्राइमरी एजूकेशन का जो कैरीकुलम मौजूद है वह बच्चों के लिये, जो करीब ६ वर्ष के विद्यालय में पढ़ने के लिये जाते हैं, वह १२-१३ वर्ष तक उसको पढ़ते हैं, बहुत बोझे का है। इससे जो स्तर शिक्षा का है वह गिरता है और शिक्षा में जितनी प्रगति होनी चाहिये वह नहीं हो पाती है। हर सभी विषयों का बोझा उन पर डालने के लिये उत्सुक हैं। इस विषय पर माननीय मंत्री जी को ध्यान देना चाहिये, क्योंकि इतने विषय छोटी उमर के बच्चों के लिये ठीक नहीं हैं।

अब मैं सदन का ध्यान माध्यमिक शिक्षा की ओर दिलाना चाहता हूं। इस समय माध्यमिक शिक्षा को हमारे प्रदेश में इन्टरमीडियट बोर्ड संचालन करता है। माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था ऐसी है जिस पर गवर्नमेन्ट का पूरा कट्रोल नहीं है। उसके नियम कुछ इस तरह के हैं जिससे व्यक्ति विशेष की वहां पर चलती है। परीक्षाओं की व्यवस्था इस प्रकार की है कि जिससे लोग नियमों का कुछ दुरुपयोग करते हैं। अभी कई स्थानों पर बरेली, प्रयाग वगैरह में मास स्केल पर लड़कों ने नकल की और कहीं पर कुछ विद्यालयों का परीक्षाफल ही नहीं निकाला गया। मैं मानता हूं कि इन्टरमीडियट बोर्ड सरकार के अंडर नहीं है, लेकिन मैं माननीय शिक्षा मंत्री का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि वह इस ओर देखें क्योंकि शिक्षा का उत्तरदायित्व का माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों पर है। उनके वेतन की जो दर है उसमें बहुत भेद है। राजकीय विद्यालयों और अराजकीय विद्यालयों के अध्यापकों के वेतन में जो डिसपैरिटी है उसे सरकार को दूर करना चाहिये।

रघुकुल तिलक कमेटी, आचार्य नरेन्द्रदेव कमेटी, और मुदालियर कमेटी ने जो सुझाव इस सम्बन्ध में दिये हैं उन सुझावों पर माननीय मंत्री जी को ध्यान देने की आवश्यकता है। तभी माध्यमिक शिक्षा का स्तर ऊंचे उठ सकता है। साथ ही माध्यमिक विद्यालयों को जो ग्रान्ट दी जाती है उसकी व्यवस्था ऐसी है जिसमें ठीक-ठीक फिगर तैयार करने में कभी-कभी ऐसा होता है कि किसी को ग्रान्ट नहीं मिल सकती है। ठीक-ठीक फिगर दिये जायं तो उसमें गड़बड़ी हो सकती है। जितने और बढ़कर फिगर दिये जाते हैं, चाहे वे गलत ही हों, लेकिन ग्रान्ट बढ़ जाती है। यह व्यवस्था अगर ३,४ वर्ष के लिये एक मुश्त धनराशि देने के लिये कर दी जाय तो अच्छा रहेगा।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)---श्रीमन्, मैं प्रयास करूंगा कि अपनी बात ल की तरह १० मिनट में ही कह दूं, किन्तु फिर भी .....

श्री उपाध्यक्ष---आप १५ मिनट बोल सकते हैं, यह पहले पार्टी के लीडरों के लिये तय हो गया था ।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे---श्रीमन्, शिक्षा एक ऐसा विषय है, जो कि वास्तव में किसी भी समाज और किसी भी राष्ट्र का निर्माण करता है । इस दृष्टि से हम यदि उसको एक संस्था मानें और उस संस्था को किस आधार पर संचालित करें, किस दिशा में ले जायं तथा उसके द्वारा किस दिशा में हम अपने समाज को ले जाना चाहते हैं, इस नीति के अनुसार उस पर यदि हम विचार करें तो अच्छा हो । आज तक जो शिक्षा थी वह लार्ड मैकाले द्वारा संचालित थी, जिसका एक ही दृष्टिकोण था कि सरकार को सस्ते क्लर्क प्राप्त हो सकें । उसी का परिणाम है कि आज हमारे शिक्षा प्राप्त नौजवान बहुत बड़ी संख्या में बिना कार्य और बिना किसी जीवन लक्ष्य के, इधर-उधर भटकते हैं और एक प्रस्टेटेड क्लास के रूप में समाज में खड़े हो जाते हैं । मंत्री जी ने बताया कि शिक्षा के रूप में परिवर्तन करने की दृष्टि से उहोंने विचार किया है । उन्होंने बताया कि कहीं उन्होंने आर्थिक दृष्टि से उस पर विचार किया है और कहीं आर्ट की दृष्टि से, लेकिन मेरा यह नम्र निवेदन है कि आपको इन दोनों प्रकार की शिक्षाओं का समन्वय करना होगा । न केवल आर्ट और न केवल आर्थिक । यदि हमारी शिक्षा केवल आर्थिक होकर रह गयी तो जो रूप उसका पाश्चात्य देशों में देखने को मिलता है, वह हो जायगा और यदि केवल आर्ट की दृष्टि से शिक्षा होगी तो जो आज बेकारों की संख्या देख पड़ती है वह निरन्तर बढ़ती जायगी । आज माननीय मंत्री जी ने बताया कि बालकों को चरित्र की शिक्षा दी जाती है, उनको इस प्रकार की शिक्षा भी दी जाती है जिससे वे स्वावलम्बी हों । आज शिक्षा का प्रयास तो होता है, टैक्निकल शिक्षा का प्रयास होता है, लेकिन जिसे टैक्निकल शिक्षा की ओर ठोस कदम कहते हैं, उस दृष्टि से कोई प्रयास नहीं होता । माननीय मत्री जी बड़े भारी साहित्यिक हैं, मैं उनको साहित्य की कुछ पक्तियां सुनाना चाहता हूं---

"इन कटीले कंकालों झंखाड़ों से, चाहता हूं उड़ जाना मैं,
पर मेरा उत्तरीय फंस जाता है ।"

जब सरकार उनकी है तो पैसे की व्यवस्था उनको ही करनी चाहिये, हम तो उनको इतना ही कह सकते हैं कि यह कमी है । यह करने की आवश्यकता है, लेकिन उसकी पूर्ति कैसे होगी, यह माननीय मंत्री जी को देखना है । मंत्री जी को हमारे एक मित्र ने दुर्गा कहा, इस पर उनको आपत्ति रही । मैं उनको त्रिमूर्ति कहता हूं क्योंकि तीन विभाग उनके पास हैं । तो त्रिमूर्ति के रूप में वे कैबिनेट में बैठते होंगे । और जिस प्रकार से ब्रह्मा जी के चारमुखों से सूत्र निकलते हैं उसी प्रकार से माननीय मंत्री जी के मुखारबिंद से शिक्षा के बारे में अत्यधिक रुपया प्राप्त करने के लिये प्रयास होता होगा । त्रिमूर्ति की तरह उनको अपने इस कार्य में सफलता भी होनी चाहिये ।

इस बारे में मेरा एक छोटा-सा सुझाव है । आज जब सरकार विकास योजनाओं के नाम पर टैक्स पर टैक्स लगा कर लोगों की परचेजिंग शक्ति को घटाती चली जा रही है और फिर भी टैक्स लगा रही है तो क्या शिक्षा से भी अधिक बड़ा कोई विकास है ? उसके लिये क्या आपने कोई टैक्स लगाया ? क्या उसके लिये और किसी प्रकार से ज्यादा पैसा नहीं मिल सकता है ? मैं समझता हूं, मिल सकता है । श्रीमन्, आज १० प्रतिशत की कटौती का फैशन चल गया है । मैं निवेदन करूंगा कि यह फैशन भिन्न-भिन्न विभागों पर लागू क्यों नहीं किया जाता है । सूचना विभाग में जो पैसा आप व्यय करते हैं या और विभागों में जो पैसा खर्च

[राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे]

करते है क्यों नहीं उसमें से १० प्रतिशत काट कर इस विभाग पर खर्च करते हैं। यह तो सबसे बड़ा निर्माण का विभाग है, विकास का विभाग है। यदि आप के पास इंजीनियर्स नहीं है, वैज्ञानिक नहीं है तो किस आधार पर आपका विकास होगा? इसलिये आप क्यों नहीं सारे विभागों से १० प्रतिशत इसके लिये लेते हैं? इसके अतिरिक्त जितना खर्चा आप इस विभाग पर कर रहे हैं, क्यों नहीं आप सेल्स टैक्स की आमदनी में से इसके लिये कुछ रुपया ईयर मार्क करते हैं? मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इस पर विचार करेंगे।

मंत्री जी ने बड़े गौरव के साथ कहा कि देहात के स्कूलों के मास्टरों की तनख्वाहों को उन्होंने बढ़ा कर ५२ रुपये कर दिया है। लेकिन श्रीमन्, मुझे याद है कि कल ही उन्होंने सदन में कहा था कि पुलिस कांस्टेबिल की तनख्वाह ६२ रुपये सब मिला कर है। श्रीमन् बधाई है, जिस समाज की रचना में पुलिस कांस्टेबिल का जितना हाथ है उससे बढ़ कर जिसमें पुलिस कांस्टेबिल से लेकर बड़े-बड़े अधिकारी, यहां तक कि मिनिस्टर बनाने की भी क्षमता है, उनकी तनख्वाह केवल ५२ रुपये रखी गयी है। श्रीमन्, यह कोई सन्तोषजनक स्थिति नहीं है। मैं तो उनसे कहूंगा कि उनकी तनख्वाहों को और भी बढ़ाना चाहिये। श्रीमन्, हमारे मंत्री महोदय ने बड़े सन्तोष के साथ यह उच्चारण किया कि हमारी शिक्षा का बजट अंग्रेजी काल से बढ़ा है। ठीक है, बढ़ना भी चाहिये। परन्तु श्रीमन्, अगर वास्तविक बजट के आंकड़ों को देखा जाय तो जितना पुलिस का कुल बजट है वह शिक्षा के बजट से ज्यादा होगा। कहा तो यह गया है कि पुलिस का बजट कुल बजट का १० परसेंट हैं, लेकिन श्रीमन्, जो बहुत-सी चौकियां वगैरह बनी हैं या और भी पुलिस डिपार्टमेण्ट के काम हुये हैं उनको भी तो पुलिस के अन्दर ही होना चाहिये था। यह तो उसी तरह से हुआ जैसे कुछ देशों ने काफी रुपया एटम बम आदि बनाने में खर्च किया और उसको हैवीइंडस्ट्रीज डेवलपमेण्ट में दिखला दिया। उसी तरह से यहां पर चौकियां तो बनती हैं पुलिस की, लेकिन उनको दिखलाया जाता है पी० डब्लू० डी० के अन्तर्गत। श्रीमन्, मैं समझता हूं कि यह दृष्टिकोण उचित नहीं है। वे त्रिमूर्ति की तरह से समाज को चलावें तभी चरित्र का निर्माण हो सकता है।

माननीय मंत्री महोदय ने एक समस्या हम लोगों के सामने यह रखी है कि शिक्षा का विस्तार क्वालिटेटिव और क्वाण्टिटेटिव किस तरह से हो। श्रीमन् शिक्षा दो रूप में हुआ करती है, एक तो यह कि किसी को साक्षर किया जाय और दूसरे यह कि उसे वैज्ञानिक आदि ढंग की शिक्षा दी जाय, जिससे बालक की बुद्धि का विकास हो और वह अपना निर्माण करे। जहां तक साक्षरता का प्रश्न है, एक सुझाव मैं माननीय मंत्री जी को अवश्य दूंगा और वह यह कि श्रीमन्, हमारे देश के अन्दर बहुत से लोग ५५ और ५८ वर्ष में रिटायर हुआ करते हैं और सरकार से पेंशन पाते हैं। वे पढ़े-लिखे लोग हैं, फिर उनसे क्यों नहीं कहा जाता कि पेंशन लेते हुये गांवों में जाकर बालकों को साक्षर करें? उनसे क्यों नहीं कहा जाता कि वे प्रौढ़ों को साक्षर करें? अगर इस तरफ प्रयास किया जाय तो श्रीमन्, एक तो पैसा बचेगा और ५५ वर्ष के बाद जो आ जाते हैं उनके समय का भी सदुपयोग होगा। तो मैं निवेदन करूंगा कि सरकार इस दृष्टि से इस पर विचार करे।

हमारे माननीय मंत्री महोदय ने अध्यापकों से बड़ी सहानुभूति दिखलायी। होनी भी चाहिये। अगर गुरुजनों के साथ सहानुभूति नहीं होगी तो किसके साथ सहानुभूति होगी? परन्तु श्रीमन्, कोरी शाब्दिक सहानुभूति से किसी का जीवन निर्वाह नहीं होता है। हमारे माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि उनकी तनख्वाह बढ़ी है, लेकिन आप देखेंगे कि उनकी तनख्वाह अभी बहुत कम है। श्रीमन्, वे भूल जाते हैं कि भविष्य का निर्माण करने वाले अगर बुभुक्षित हों, दुखी हों तो निर्माण का कार्य अच्छा नहीं हो सकता है। सारे समाज की सारी योजनाओं की सफलता मास्टरों के ऊपर ही निर्भर है, क्योंकि वे हमारे बालकों को अच्छी तरह से पढ़ा-लिखा कर भविष्य के लिये तैयार करते हैं। आप उनको केवल जबान से और मधुर शब्दावली से सन्तुष्ट करना चाहते हैं। श्रीमन्, इस पर मुझे एक घटना याद आती है

कि एक भूखा व्यक्ति एक पेड़ पर बैठ कर रो रहा था और दूसरी ओर एक व्यक्ति अत्यधिक खाकर अपना पेट पकड़ कर रो रहा था। रो दोनों ही रहे थे। भूखे व्यक्ति ने कहा कि मेरे पेट में भूख से दर्द है और दूसरे व्यक्ति ने कहा कि मेरे पेट में अपच से दर्द है। उसी प्रकार की बात यहां पर भी लागू होती है। हमारे मंत्री महोदय ने शाब्दिक सहानुभूति दिखला कर इस मसले को टालने का प्रयास किया है। कितना भीषण प्रयास यह है? आप देखें कि सरकारी स्कूलों के मास्टर हैं और प्राइवेट स्कूलों के मास्टर हैं, उनके वेतन में कितना भारी अन्तर है। माननीय मंत्री जी ने कहा कि हायर सेकन्डरी एजूकेशन इस प्रदेश में बहुत बढ़ी है और प्राइवेट स्कूलों में भी बहुत बृद्धि हुई है और उनका बड़ा भारी कंट्री-ब्यूशन है। २ आदमी एक ही क्वालिफिकेशन के हैं, एक ह. साथ एल०टी० पास कर के एक राजकीय विद्यालय में मास्टर हो जाता है तो उस को वहां १५० रुपये से स्टार्ट मिलता है और अगर उसी का साथी अगर प्राइवेट स्कूल में जाता है तो उसको केवल १२० रुपया ही मिलता है, यह अन्तर क्यों है? दोनों की क्वालिफिकेशन एक, काम एक, एक ही केरिकुलम को दोनों को पढ़ाना होता है। जब एक ही प्रकार का बुद्धि-बल का काम है, एक ही परिश्रम दोनों को करना है, समान घंटे ही दोनों काम करते हैं, सरकारी स्कूलों में भी ७–८ घंटे काम करना होता है और प्राइवेट स्कूल में भी इतने ही घंटे मास्टर को पढ़ाना होता है, तो फिर इस भेद का कोई कारण नहीं है। जहां तक उनके प्रमोशन का प्रश्न है सरकारी मास्टर ४०० रुपये तक जाता है और प्राइवेट स्कूल का मास्टर २०० रुपये पर ही रुक जाता है। अगर आप दिल्ली के, जो अब कारपोरेशन होगा और आपके पड़ोस का नगर है, वहां के आँ कड़े देखें, वह केंद्र की राजधानी अवश्य है, वहां हायर सेकेंडरी स्कूल के मास्टर ३५० रुपया वेतन पाते हैं, ७० रुपया महंगाई पाते हैं, ७५ रुपया हाउस एलाउन्स पाते हैं और इस तरह से उनको सब मिलाकर ४६५ रुपया मिलता है, जब कि हमारे प्रदेश में मास्टर को कुल मिलाकर केवल २५० रुपया ही मिलता है। दिल्ली आपके पड़ोस का नगर है। इसी तरह से बम्बई जो आपके साथ का ही बना राज्य है वहां पर शिक्षा पर केपिटा एक्सपेंडिचर ५ रुपया है, परन्तु इस प्रदेश में दस साल की प्रगति के बाद २ रुपया १६ नये पैसे ही है। यह कौन-सी महान प्रगति है? वही हिसाब है कि "नौ दिन चले अढ़ाई कोस"। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूं कि इस प्रगति से काम नहीं चलेगा, स्थिति बहुत भीषण है और शिक्षा की समस्या बड़ी भीषण हो गई है, काफी समय बीत चुका है, अब समय बहुत कम है। इस प्रकार धीरे-धीरे चलने से काम नहीं चलेगा। हम देखते हैं कि सब तरफ भ्रष्टाचार का हल्ला मचा हुआ है, परन्तु जो हमारे बालकों की शिक्षा हो रही है, जो उनका चरित्र और नैतिक स्तर है वह किधर जा रहा है? आखिर समाज इन्हीं बालकों से बनता है उन बालकों को कौन सी शिक्षा, चरित्र बल बढ़ाने की, नैतिकता को ऊंचा उठाने की और उनके सरल पवित्र हृदय बनाने की दी जा रही है। उस ओर सरकार का ध्यान ही नहीं गया है कि किस तरह से हमार प्रारम्भ से ही चरित्र निर्माण हो। मैं एक दिन देख रहा था अभी दो-तीन वर्ष पहले जो किताब बालकों का तीसरे दर्जे में पढ़ाई जाती थी "हमारे पूर्वज", उसके लेखक थे हमारे भूतपूर्व शिक्षा संचालक। उसमें सारी दुनिया के देशों के महापुरुषों के नाम थे और केवल दो नाम इस देश के थे एक महात्मा गांधी का और दूसरा पं० जवाहर लाल नेहरू का। उन सात आठ वर्ष के बालकों को थिमास्टिक्लीज और आरताजर्कजीज जैसे व्यक्तियों का जीवन वृतांत पढ़ाना कहां तक उचित है? आवश्यकता इस बात की थी कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरित्र की शिक्षा उसको दी जाती कि "समुद्र इव गाम्भीर्य धैर्ये च हिमवानिव" यहां भी महापुरुष हर काल में होते रहे हैं, उनके चरित्र और आदर्श बच्चों के सामने रखे जायं, जिससे इस देश के बच्चों में चारित्रिक बल, नैतिकता, राष्ट्रप्रेम और अपने पूर्वजों में आस्था उत्पन्न हो और एक घोर क्रांति वे इस देश को समन्नत बनाने के लिये कर सकें। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि बालकों को ऊंचा उठाने की दृष्टि से, उनका चरित्रनिर्माण करने के दष्टिकोण से ऐसा

[श्री यादवेन्द्रदत्त दुबे]

पाठ्यक्रम रखा जाय जो उनमें विवेक और बुद्धि को बढ़ाये, डारविन और दूसरे व्यक्तियों के पढ़ाने से काम नहीं चलेगा। जब तक बच्चों का दृष्टिकोण सेट न हो तब तक दुनिया भर की चीजों को पढ़ाने से परिणाम यह होगा कि कुछ भी निर्माण न होगा और वे कनफ्यूज्ड मस्तिष्क लेकर विद्यार्थी-जीवन में असफल रह जायेंगे और असफल विद्यार्थी तमाम समाज में बुरा-भला कहलाता है, फ़्रस्टेटेड रहता है और समाज के विद्रोह में खड़ा हो जाता है।

श्री उपाध्यक्ष---एक निवेदन मैं माननीय सदस्यों से कर देना चाहता हूं कि अब पुनरावृत्ति की इजाजत मैं नहीं दूंगा। अगर जो लोग पहले बोल चुके हैं उसी बात को बार-बार दोहरायेंगे तो अच्छे वादविवाद की बात नहीं होगी। अगर आप दुहरायें नहीं और नयी बातें कहें तो उसके बाद अगर जरूरत होगी तो मैं समय दे दूंगा।

कुमारी कमलकुमारी गोइंदी (जिला इलाहाबाद)---श्रीमान् जी, मैंने पूर्व वक्ताओं का उत्तर तो दिया होता, लेकिन चूंकि उनके दोहराने में बहुत समय लग जायगा, इसलिये अपनी ही थोड़ी विचारधारा आपके सामने रख दूंगी।

आज जो निर्माण का समय है उसमें इस निर्माण विभाग का कितना भारी महत्व है यह किसी से भूला नहीं है। चाहे इस ओर के बैठने वाले हों, चाहे उस ओर के बैठने वाले हों, सब इस महत्व को भलीभांति जानते हैं।

मेरा भी सौभाग्य है कि इस विभाग में मैंने सदैव कार्य किया। इतनी बड़ी जो मैं हुई इस विभाग के अन्दर हुई हूं। इसलिये अपने अनुभव के आधार पर और दस वर्ष के अन्दर जितनी तरक्की यहां हुई है उसके आधार पर अपने कुछ सुझाव सदन के सामने रखूंगी।

बहुत सी पाठशालाएं खुलीं, बालकों की, बालिकाओं की। बहुत स टेक्निकल इंस्टीट्यूशस खुले, बालकों के लिये और बालिकाओं के लिये भी। इसमें संदेह नहीं कि जितनी पाठशालायें दस वर्ष के अन्दर खुली हैं शायद पिछले दो सौ वर्ष के दौरान में न खुली हों। इसलिये अवश्य ही हमारी सरकार इसके लिये धन्यवाद की पात्र है। दूसरे इस निर्धन राज्य ने एक सराहनीय स्टेप उठाया है कि इस वर्ष छठें तक की पढ़ाई को बिलकुल फ़्री कर दिया है। उसके लिये भी वह धन्यवाद की पात्र है। इतने गरीब राज्य के अन्दर यह स्टेप उठाना ही कितना कठिन है इसको शायद सभी अनुभवी आदमी समझते हैं।

उसकी अधिक चर्चा न करके मुझे तो यह बताना है कि हमारी शिक्षा का उद्देश्य क्या है और क्या हम उसको पा रहे हैं? हमारा उद्देश्य कम से कम टाइम में, पूरी जनता को शिक्षित करना है और बच्चों को इस तरीके से शिक्षित करना है कि वह पढ़-लिख कर अपने आप को खुद ब खुद कार्य में लगा सकें, न कि एक दर से दूसरे दर पर नौकरियों के लिये घूमें।

तीसरे, अपनी पुरानी संस्कृति को देखते हुए हमें यह देखना है कि अपने बच्चों को हम लोग सदाचारी और जनसेवी बना सकें। क्या हम इस त्रिमुखी उद्देश्य तक पहुंच रहे हैं? इसके लिये हमें देखना होगा कि इस निर्धन देश के अन्दर कम से कम समय में अधिक से अधिक जनता को शिक्षित करने के लिये यह १५ करोड़ १४ लाख २८ हजार रुपये क्या हैं? अगर हम १०८ करोड़ रुपया भी जो हमारे पास है, पूरे बजट का, उसको भी इसके अन्तर्गत लगा देते तो शायद ही हम अपने उद्देश्य को कम समय में प्राप्त कर पाते। चूंकि मौजूदा ढांचे के अन्दर इसका खर्चा दिन ब दिन बढ़ता हुआ नजर आता है और अगर एक तरफ अपनी भूखी-नंगी जनता की तरफ देखा जाय तो क्या उनके

ऊपर इससे अधिक बोझा लादा जा सकता है? एक तरफ तो कपड़ा नहीं और रोटी नहीं और दूसरी ओर हम करों का बोझा इतना लादें कि उसको वे उठा न सकें। दूसरा प्रश्न हमारे बच्चों का अपने पावों पर खड़ा होना है। साधारण पाठशालाओं से निकले हुए बच्चे तो क्या, जो हमारे टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस से बच्चे निकलते हैं आज के दिन वे भी एक जगह से दूसरी जगह पर नौकरी के लिये घूमा करते हैं। इसका कारण यह है कि आज जो हमारे टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं वह भी दिन ब दिन अपने अन्दर कीमती मशीनें लगाते चले जा रहे हैं।

जब विद्यार्थी इन स्कूलों से बाहर निकलता है तब उस गरीब को मालूम नहीं पड़ता कि वह किस तरह से थोड़े खर्चे से अपने आपको किसी रोजगार में लगा ले, या तो वह किसी पूंजीपति के पास जायगा या सरकार के पास जायगा कि उसे काम मिले। इसलिये टेक्निकल इंस्टीट्यूशन्स के अन्दर जो कास्टली मशीनें लगायी जाती हैं जिनकी वजह से वह बाहर निकल कर छटपटाता है। मेरा सुझाव है कि सस्ते औजारों से उनको काम सिखाया जाय और ऐसा काम सिखाया जाय जिससे वह बाहर निकल कर अपना काम १०-२० रु० की पूंजी से स्थापित कर सकें।

दूसरी चीज यह है कि बच्चों को सदाचारी कैसे बनाया जाय। आज की शिक्षा के अन्दर हम देखते हैं कि बच्चे सेल्फ सेण्टर्ड होते चले जाते हैं और अपने घर वालों को भी गरीबी और दुख को भूल जाते हैं। तो उनको कैसे जनसेवी और सदाचारी बनाया जा सकता है, इस पर विचार करना चाहिये। इसका कारण क्या है? कारण यह नहीं कि इस प्रदेश के अन्दर त्यागी व्यक्ति नहीं हैं, इसका कारण यह नहीं कि इसके अन्दर बड़े भारी योजना बनाने वाले व्यक्ति नहीं हैं, सबने बड़ी मेहनत से इस काम को करने का प्रयत्न किया और चाहा कि यह प्रदेश और प्रदेशों का अगुवा हो कर चले। फिर भी हम जिस रफ्तार से चलना चाहते थे उससे न चल पाये। इसका कारण क्या है? एक ओर तो राज्य बापू के अन्तर्गत कार्य करने वाले नेताजन और उनकी नीति और दूसरी तरफ ऐसे कर्मचारी जिन्होंने ब्रिटिश सरकार के नीचे काम किया हुआ था दोनों में सामंजस्य होना जरूर कठिन था। मेरा खयाल है और माननीय मंत्री जी से मैं निवेदन करूंगी कि दो या तीन ऐसी पाठशालाएं खोली जायं जिनको कि गांधी विचारधारा के अनुसार ऐक्सपेरीमेंटल तौर पर चलाया जाय और उन्हें केवल गांधी विचारधारा के अन्दर सने हुए व्यक्तियों के हाथों में दिया जाय और वेही उनको चलायें। अगर सफलतापूर्वक ये चलें तो फिर सारे प्रदेश के अन्दर चलायी जायं। ऐसे आदमी भी मिल सकते हैं, लेकिन उनको थोड़ा सम्मान और इज्जत की आवश्यकता होगी।

दूसरे मैं यह कहूंगी कि जो आज की पाठशालाएं हैं उनके अन्दर ऐसे उद्योग-धंधे रखे जायं जिनके द्वारा बच्चे कम से कम दो पैसा प्रति घंटा का तो काम कर सकें। ऐसे उद्योग-धंधे न रखे जायं, जो केवल समय बिताने के लिये हों या जिनमें थोड़ी-सी सजावट की चीज बनायी जायं, इससे हमारा कोई लाभ नहीं होता है। अगर हम दो पैसा प्रति बच्चे से काम करायें और २५ बच्चे एक अध्यापक के हाथ में दें तो २ रु० साढ़े पांच आना रोजाना, अगर छुट्टी निकाल दें तो भी ६० रु० माहवार प्रति अध्यापक का खर्चा निकल सकता है। इसलिये मैं समझती हूं कि थोड़ा खर्चा इस तरह से कम हो सकता है।

तीसरे इस विभाग में जो फालतू खर्चा बढ़ा हुआ है उसकी ओर भी ध्यान दिलाना चाहती हूं। इस प्रदेश के अन्दर बड़े-बड़े कुछ कालेज ऐसे हैं जिनका अपना खर्चा निकल सकता है, लेकिन झूंठे एकाउन्ट बनाकर वे आपके ऊपर आश्रित रहते हैं और आपसे पैसा लेते हैं। मेरा यह सुझाव है कि दो-चार प्राइवेट कालेजेज की व्यवस्था एक साल के लिये अपने हाथ में ले ली जाय और उनको इस तरह कर दिया जाय कि स्टाफ तो वही रहे और सरकारी कालेजों के प्रिंसपल बदल कर उनमें कर दिये जायं। मतलब यह है कि

[कुमारी कमलकुमारी गोइंदी]

दोनों को इंटरचेंज कर दिया जाय। तब आपको प्राइवेट इंस्टीट्यूशन और अध्यापकों की हालत का पता लग जायगा कि किस तरह वहां इन गरीबों की व्यवस्था होती है। अगर आप इसको एक्सपेरीमेंटल तरीके पर देखें तो आपको दो-तीन साल के अन्दर विदित हो जायगा कि किस तरह से वे चल रहे हैं।

तीसरा सुझाव यह है कि हमारे बच्चे जो बी० ए० पास करते हैं उनको डिग्री देने से पहले अगर एक साल के लिये उनको ग्रामीण जनता में भेजा जाय जहां जा कर वे उनमें शिक्षा फैलायें और उसके बाद परिणाम के आधार पर उनको डिग्रियां दी जायं तो इससे देहाती जनता जल्दी पढ़-लिख सकेगी। जैसा कि और देशों में लड़ाई के जमाने में होता है उसी तरह अगर हम आज अपने देश में युद्ध का समय मान कर अपने बच्चों से कह दें कि वे देहातों में जाकर ग्रामीण जनता को शिक्षा दें तो इससे यह लाभ होगा कि ग्रामीण जनता के बच्चे आसानी से पढ़-लिख सकेंगे और शिक्षा देहातों में जल्दी फैल सकेगी।

चौथी चीज गरीब पोलिटिकल सफरर्स के बच्चों के संबंध में कहनी है। जैसा हाल ही में मद्रास सरकार ने किया है कि जितना वे पढ़ना चाहें वहां तक फ्री शिक्षा ले सकते हैं, उनके लिये वैसी ही व्यवस्था इस प्रदेश में कर दी जाय।

स्त्रियों के संबंध में मुझे यह कहना है कि जब उनकी जनसंख्या की काउंटिंग होती है तो ५१ प्रतिशत गणना होती है और बेकवर्ड क्लास की कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार इनको उनका सरदार माना जाता है, लेकिन बजट के आंकड़े उठा कर जब हम देखते हैं तो केवल ७ परसेंट रह जाते हैं। इसलिये मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगी कि जब बजट तैयार किया जाय तो हमको ७ परसेंट न बना दिया जाया करे।

ग्रामीण जनता के लिये प्रशिक्षण के केंद्र नहीं हैं। उनको खोला जाय और वहां पर स्त्रियों का प्रशिक्षण हो। तब फिर हम देश के कोने-कोने और प्रांत के कोने-कोने के अन्दर यह प्रेरणा दे सकेंगे कि किस तरह से लोग शिक्षित हो सकते हैं। ऐसा करने पर १०-१५ वर्ष के अन्दर प्रत्येक घर में प्राइमरी शिक्षा का खर्च कम हो जायगा, क्योंकि स्त्रियां अपने बच्चों को स्वयं शिक्षित कर लेंगी। धन्यवाद!

श्री उपाध्यक्ष--मैंने एक मर्तबा इस सदन में व्यवस्था दी थी कि जब कोई माननीय सदस्य भाषण कर रहे हों तो उस समय चेयर और उनके बीच में किसी माननीय सदस्य को न जाना चाहिये, लेकिन मैंने देखा कि आज कई बहुत प्रतिष्ठित माननीय सदस्यों ने उसका उल्लंघन किया है। मेरी बड़ी मुसीबत हो जाती है जब मैं किसी माननीय सदस्य का नाम लेकर उसे टोकूं। आशा है आप लोग यह परिस्थिति उत्पन्न न होने देंगे।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १६ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री गयाबख्शसिंह के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री गौरीशंकरराय (जिला बलिया)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज शिक्षा के अनुदान पर अध्यापकों के संबंध में भाषण हो रहे हैं। मैं भी अध्यापक था, इसलिये सोचा कि मैं भी इस पर बोलूं। अध्यापक की स्थिति स्वतंत्रता के बाद अब इस प्रजातंत्र के सेटअप में क्या है, मंत्री जी बतलायेंगे, मैं बता दूं केवल एक मिनट में अपनी कहानी। मैं भी अध्यापक था और इसी सदन में पिछले वर्ष जो शिक्षा मंत्री थे उन्होंने हमारे विद्यालय की मैनेजिंग कमेटी को यह परिपत्र भेजा कि अगर गौरीशंकर तुम्हारे विद्यालय में काम करेंगे तो मैं तुम्हें ग्रांट नहीं दूंगा, क्योंकि मैं सार्वजनिक कार्यकर्त्ता भी था। प्रजातंत्र का सबूत, आपकी सरकार का, मेरी कहानी में ही निहित है।

जबकि अध्यापकों की बात होती है, भारत के स्वतंत्रता-संग्राम के बारे में अंग्रेजों का यह विचार था कि अंग्रेजी टीचर और वकील उसमें सक्रिय भाग लेते थे और गोखले और परांजपे जैसे लोग हमारे देश के बड़े-बड़े अध्यापक थे, उनको राजनीति में भाग लेने का इतना बड़ा अधिकार था अंग्रेज के जमाने में, लेकिन हमारी आपकी जो सरकार है उसने यह कहा कि अगर मैं अध्यापक रहूंगा तो वह ग्रांट नहीं देंगे।

अब चूंकि अध्यापक हूं, इसलिये सर्वप्रथम आपके सम्मुख अध्यापकों की कुछ कहानी कहना चाहता हूं। जब कभी अध्यापक अधिक वेतन की मांग करते हैं तो मंत्री महोदय कपिल और कणाद की मिसाल देते हैं कि तुम तो ऋषियों के वंशज हो, सन्यासी हो, लेकिन यह नहीं बतलाते कि उनका समाज में क्या स्थान था। यह जरा भी ध्यान नहीं दिया जाता।

अभी शिक्षा के बारे में आचार्य नरेंद्रदेव की रिपोर्ट का उदाहरण मंत्री जी ने दिया। मंत्री जी के भाषण के बाद तो इच्छा होती थी कि आज शिक्षा के सिद्धांतों के ऊपर बात हो, लेकिन १० मिनट समाप्त हो जायेंगे और शिक्षा के सिद्धांत अपने घर में रखे रह जायेंगे। मैं केवल यह पूछना चाहता हूं कि आचार्य नरेंद्रदेव कमेटी की रिपोर्ट उन्होंने लागू की है। मेरा विश्वास है कि लागू नहीं की गयी। अगर किसी एक वृक्ष में किसी वृक्ष की टहनी, दूसरे वृक्ष की जड़, किसी और वृक्ष के पत्ते लगा दिये जायं तो क्या वह एक स्वस्थ पेड़ होकर फल-फूल दे सकता है? इस प्रकार की कल्पना कभी सफल नहीं हो सकती। जहां तक समाज में स्थान की बात है, नरेंद्रदेव कमेटी की रिपोर्ट की बात मैं नहीं कहता हूं, बल्कि आपके समक्ष आज के मुख्य मंत्री और उस वक्त के शिक्षा मंत्री ने जो दो वाक्य कहे थे, मैं उनको पढ़े देता हूं—

"The scholar, the Brahmin, has again to take his place at the head of Society, as its fearless and trusted leader, its friend, philosopher and guide. Let us see what we can do to help in this task."

श्री अधिष्ठाता--अनुवाद कर दीजिये।

श्री गौरीशंकरराय--उनका कहना यह था कि अध्यापक, जो एक मित्र, दार्शनिक और पथ-प्रदर्शक होता है, उसका समाज में ऊंचा स्थान होना चाहिये। नरेन्द्रदेव कमेटी से उन्होंने अपील की थी कि अब ऐसा प्रयास होना चाहिये कि अध्यापक का स्थान समाज में ऊंचा हो सके। लेकिन क्या स्थिति है?

वेतन की असमानता की बात का जहां तक सम्बन्ध है, हाई स्कूल में, इंटरमीडिएट कालिज में, चाहे डिग्री कालिज, चाहे रामपुर या ज्ञानपुर का डिग्री कालिज हो, उनका और दूसरे डिग्री कालिजों का भेद रखना कहां का न्याय है? इसी तरह की वेतन की असमानता साधारण समाज के अन्दर है। आजकल बहुत इकोनामी की बात होती है। उस समय तो मैं सदन का सदस्य नहीं था, लेकिन इकोनामी कमेटी की रिपोर्ट कभी अखबारों में पढ़ी थी। कुछ सुझाव और बातें सरकार के सामने रखी गयी थीं। मैं नहीं जानता कि सरकार ने कितना इसको माना है। अगर मैंभूल नहीं कर रहा हूं तो कहा जाता है कि सरकारी स्कूलों की हर जिले में कोई जरूरत नहीं है। अगर थोड़े से खर्चे में वैसा ही रिजल्ट, वैसी ही ऐफीशियेंसी और पढ़ाई होती है तो फिर उनकी कोई आवश्यकता नहीं है।

इसी प्रकार से डिप्टी डायरेक्टर आफ स्कूल्स के बारे में भी कहा गया था। मैं नहीं जानता कि उसके क्या अधिकार हैं। जब इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स हर जिल में रखे गये हैं तो फिर इनकी क्या आवश्यकता है? इनका काम इलाहाबाद से होता है तब तो बात समझ में आती, लेकिन उनका रीजन में काम होता है और प्रत्येक जिले में उनका अलग-अलग दफ्तर

[श्री गौरीशंकर राय]

रहता है। इसीलिये मेरी राय में उनका रखा जाना अनावश्यक है और यह काम किसी और से लिया जा सकता है। इसी सिलसिले में अर्ज करूं कि संचालक महोदय का एक कैम्प आफिस लखनऊ में होता है। मेरी समझ में यह भी अनावश्यक है। एक लखनऊ में रहता है और एक इलाहाबाद में रहता है। अगर ऐसी ही जरूरत हो तो सारा कार्यालय लखनऊ में ही आ जाय। हमने सुना है कि दिन दिन भर लखनऊ में टेलीफून की लाइन लगी रहती है। इस तरह से मेरी समझ में नहीं आता है कि क्या लाभ है। अगर माननीय मंत्री जी को इलाहाबाद से विशेष प्रेम है, क्योंकि वह पवित्र स्थान है और गोमती से ज्यादा पवित्र गंगा का जल वहां मिलेगा, इसलिये स्वयं भी वहीं रहें और डाइरेक्टर महोदय भी वहीं रहें तो अच्छा होगा। मेरी समझ में जो आजकल व्यवस्था है वह ठीक नहीं है।

अब मैं शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर आता हूं। प्राइमरी ऐजूकेशन के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं। केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी भी काफी घूम चुके हैं और वह भी देहात से ही आते हैं। लेकिन क्या अच्छी बात होती अगर वे मेरे बलिया जिले के देहात में चलते तो मैं उनको दिखा देता कि वहां टाट की और कुर्सियों की क्या स्थिति है और जिला बोर्ड किस तरह से राजनीतिक अखाड़े बनाये हुये हैं। मैं समझता हूं कि जिला बोर्डों का आज एक ही काम रह गया है कि वह अध्यापकों का तबादला करें। मैं समझता हूं कि मंत्री जी इनमें सुधार की आवश्यकता महसूस करें तो बड़ा अच्छा है। टीचर्स लोग कांग्रेस के चवन्नी मेम्बरशिप बनाते हैं। इससे कहने का मेरा मतलब यह नहीं है कि यह कोई राजनीतिक आलोचना की बात है इस तरह से वे लोग पढ़ाने का काम नहीं कर पाते हैं और मैनेजमेंट कमेटी के राजा लोगों को सलाम करने में ही अपना सारा समय समाप्त कर देते हैं।

सेकण्डरी ऐजूकेशन की यदि सारी बातें बतलाई जायं तो सारा समय समाप्त हो जाय, लेकिन बड़ी-बड़ी पुस्तकें छपी हैं, चाहे वह किसी मंत्री को लक्ष्य कर के छपी हों, लेकिन बहुत बुरी बुरी बातें उनमें कही गयीं। माननीय मंत्री जी मुझे यह कहने के लिये क्षमा करेंगे कि जो वर्णवाद के चार्जेज लगाये गये हैं वह कोई उनके लिये प्रशंसनीय बात नहीं है। इसके साथ ही साथ जो मैनेजिंग कमेटीज काम करती हैं उनके संबंध में यह कहा जाता है कि वह एक बिल लाने वाले हैं, लेकिन पता नहीं उसका क्या हुआ?

आजकल टीचर्स की सर्विसेज की कोई सिक्योरिटी नहीं है। आज कोई भी मैनेजिंग कमेटी का मेम्बर या मैनेजर उनको निकाल सकता है। उनके एप्वाइंटमेंट के लिये भी आचार्य नरेन्द्रदेव कमेटी ने सुझाव दिये हैं। उनके डिसमिसल के बारे में कुछ नहीं हुआ, टीचर्स की सर्विसेज के बारे में भी कुछ नहीं हुआ। मैनेजर स्कूलों के राजा होते हैं और यहां जो माननीय सदस्य हैं उनमें से बहुत से मैनेजर भी होंगे। दुबे जी खुद मैनेजर की हैसियत से बोल चुके हैं और भी मैनेजर लोग बोलेंगे। आज वे टीचर्स को अपना चाकर समझते हैं। इस तरह की चीजों को रोका जाय तो बहुत अच्छा होगा।

अध्यापकों का काम केवल राजनीति में इस्तेमाल करने का ही रह गया है। आज तो यूनीवर्सिटीज में राजनीति के प्रहार हो रहे हैं। यूनिवर्सिटीज में भी पोलिटिकल प्रभाव डाला जा रहा है। शिक्षा संस्थायें जो कि पवित्र कही जाती हैं वहां यह चीज देख कर बड़ा दुःख होता है। लखनऊ युनिवर्सिटी में भी बाहर के लोगों की राजनीति चल रही है। जैसे कि शासन में प्रमुख हाथ रखने वाले लोग विश्वविद्यालयों में भी अपना हाथ रखते हैं। इस तरह की बातें ठीक नहीं हैं। हमारी शिक्षा संस्थाएं बड़े सम्मान की चीज हैं और उनको आदर की दृष्टि से देखा जाना चाहिये। हमें शर्म आनी चाहिये कि आज वह राजनीति का अखाड़ा बनी हुई हैं। अंत में मैं कहूंगा कि टीचर्स के वेतनों में जो असमानता है उसको दूर किया जाय और मैनेजिंग कमेटी के अत्याचारों से टीचर्स को बचाया जाय और कोई ऐसा मार्ग निकाला जाय जिससे टीचर्स की सर्विसेज सिक्योर हो सकें।

श्रीमती चन्द्रावती (जिला बिजनौर)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज सदन में शिक्षा के ऊपर जो अनुदान माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किया गया है मैं उसके समर्थन में बोलने के लिये खड़ी हुई हूं। मंत्री महोदय ने शिक्षा विभाग के विषय में बहुत कुछ हमारे सामने बतलाया और स्पष्ट रूप से सदन के सामने यह स्वीकार किया कि इस विभाग के कार्य से वे स्वयं सन्तुष्ट नहीं हैं। श्रीमन्, जीवन के लिये जो सब से आवश्यक वस्तुयें हैं, हवा, पानी और अन्न, इसके बाद जीवन को एक सुचारुरूप से चलाने के लिये एक अच्छा जीवन बिताने के लिये शिक्षा की आवश्यकता आती है। हमारे देश में शिक्षा की ओर काफ़ी प्रगति हो रही है। यह कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि जितनी प्रगति होनी चाहिये थी उतनी नहीं हो पा रही है। अभी हमारे सामने बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो इसकी प्रगति में बड़ी रुकावट हो रही हैं। जैसा कि मंत्री महोदय ने बतलाया, सब से बड़ी चीज धनाभाव का कारण है। इसके साथ ही हमें यह भी सोचने की शक्ति होनी चाहिए कि जितना भी धन हमारे पास है उसका सदुपयोग किस प्रकार हो सकता है। माननीय मंत्री जी के सुझाव के लिये मैं एक बात की ओर उनका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। अभी गोरखपुर में जो यूनिवर्सिटी कायम की गई है इसके सम्बन्ध में मैं यह कहूंगा कि सन् १९४८ में जो राधाकृष्णन् कमीशन बैठा था उसकी रिपोर्ट के आधार पर यदि विचार किया गया होता--- उसने रूरल एरिया में यूनिवर्सिटी कायम करने के लिये जोर दिया था---तो उसमें जो देहाती क्षेत्र हैं उसका भी विकास कार्य होता और उसमें कुछ धन भी कम लगता और जनता को ज्यादा लाभ पहुंचता।

यहां पर अभी मंत्री जी ने बतलाया कि १०० रुपये वेतन पाने वालों के बच्चों के लिए शिक्षा में छूट दी गयी है। सन् १९५६ में ११ वीं और १२ वीं कक्षा के लिये उनकी आधी फ़ीस माफ कर दी गयी थी और अब ९वीं क्लास की आधी फीस माफ़ कर दी गयी है। आपके द्वारा मेरा उनसे यह नम्र निवेदन है कि क्या उन्होंने इतना ही देख पाया कि १०० रुपये वेतन पाने वालों के बच्चों को ही शिक्षा की जरूरत है। क्या उन्होंने प्रदेश के उन आदमियों और जनता को नहीं देखा जिनकी वास्तविक रूप में १०० रुपये माहवार की भी आमदनी नहीं होती। मैं यह कहने में संकोच नहीं करूंगी कि १०० रुपये पाने वाले जो भाई हैं उनके घर कुछ अवलम्बन तो है ही लेकिन प्रदेश में बहुत से भाई ऐसे हैं जिनको अपने घर का तो क्या बाहर का भी कोई अवलम्बन नहीं है। उनके बच्चे शिक्षा से वंचित हो जाते हैं। क्या ही अच्छा होता यदि मंत्री जी जिनकी आमदनी इस प्रदेश में १०० रुपये के लगभग है उन सबके बच्चों को यह छूट देते। इससे जनता का बहुत ज्यादा हित होता।

अब मैं विभागीय व्यवस्थाओं की ओर थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। मैं इस बात के कहने में संकोच नहीं करूंगी कि महिलाओं की शिक्षा की ओर विभाग ने सदा उपेक्षा बरती है। अभी दो ही दिन हुये जब माननीय मंत्री जी ने बतलाया था कि अपने प्रदेश के केवल आठ जिलों में ही महिलाओं के लिए डिग्री कालेजेज हैं। विभाग की ओर से जो पुस्तिका प्रकाशित हुई है उसके कुछ आंकड़ों को समक्ष रखना चाहती हूं। बालकों के लिये राजकीय इंटर कालेजों की संख्या ३५ हैं जब बालिकाओं के लिये सिर्फ २२ हैं। इतनी बड़ी असमानता में अन्यायपूर्ण समझती हूं जब कि हमारे संविधान के अन्दर यह स्पष्ट रूप से आता है कि अपने जीवन को विकसित करने के लिये और ऊंचा उठाने के लिये सबको समान अधिकार हैं। फिर भी आज हमारे प्रदेश में स्त्रियों की शिक्षा के प्रति इतनी अवहेलना अच्छी बात नहीं है। मैं इस बात को यहां पर कहना उचित समझती हूं कि जिस देश में गायों और स्त्रियों की अवहेलना होती है वह देश कभी भी कल्याणकारी नहीं कहा जा सकता। महिलाओं के लिये आप रात दिन उत्थान की चीजें रखते हैं पर उनके उत्थान की कोई स्पष्ट चीज मैं नहीं देख पाती। महिला मंगल योजना, नारी मंगल योजना और समाज कल्याण मंगल योजना, ये सारे विभाग काम कर रहे हैं, लेकिन मैं इन सब में नाम मात्र के कार्य देखती हूं। उनके उत्थान के कोई वास्तविक कार्य नहीं किये जा रहे हैं। हां, उन पर कुछ धन का व्यय जरूर हुआ करता है।

[श्रीमती चन्द्रावती]

एक चीज मैं और व्यक्त करना चाहती हूं कि आज जब आप विद्या का प्रकाश कोने-कोने में पहुंचाना चाहते हैं, और बिजली का प्रकाश हर क्षेत्र में पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन बिजनौर में जो गर्ल्स इन्टर कालेज है उसमें अभी तक बिजली की व्यवस्था नहीं है। कितनी बड़ी शोचनीय अवस्था है जो अध्यापिकाएं और बालिकायें वहां पर बैठती हैं उनके लिये आज के जमाने की जो सब से आवश्यक वस्तु है वह भी उन्हें प्राप्त नहीं है और उसके अभाव से वे पीड़ित हैं।

दूसरी चीज मैं यह कहना चाहती हूं कि प्रत्येक जिले में कम से कम एक डिग्री कालेज और एक इंटर कालेज स्त्रियों के लिये अवश्य होना चाहिये, क्योंकि लड़कों को उनके मां बाप पढ़ाने के लिये बाहर भेजते हैं और भेज सकते हैं, क्योंकि उनको लालच होता है कि वे वृद्धावस्था में उनको कमा कर खिलायेगा, लेकिन बालिकाओं के लिये वह बाहर भेजना उपयुक्त नहीं समझते। अगर जिले में कालेजेज न हों तो जो पढ़ना भी चाहती हैं वे भी नहीं पढ़ पातीं। अगर प्रत्येक जिले में वह व्यवस्था हो जाय तो वे बड़ी अहसानमन्द होंगी और अगर माताएं शिक्षित हों जावेंगी तो बच्चों को आधी शिक्षा तो वे गर्भावस्था में ही दे देंगी, यह स्वयं सिद्ध है। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिये।

राजकुमार सुरेन्द्र सिंह (जिला शाहजहांपुर)—अधिष्ठाता महोदय, मैं अपना भाषण आरम्भ करने से पहले शिक्षा मंत्री जी के साथ सहानुभूति प्रकट करना चाहूंगा कि उन्होंने अब ऐसे विधान का कार्यभार संभाला है जो कि पिछले कई वर्षों से अस्तव्यस्त कर दिया गया था। हमारे मुख्य मंत्री जी के शिक्षा मंत्रित्व छोड़ने के बाद शिक्षा की हमारे राज्य में जो विडम्बना हुई उसकी ओर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। पहली प्रारंभिक शिक्षा की समस्या है। यह कहा जाता है कि प्रारम्भिक शिक्षा के लिये स्कूल खोले जा रहे हैं, लेकिन कभी इस बात को नहीं बताया गया कि कितने स्कूल बंद हो चुके हैं, कितनों में अध्यापक नहीं हैं, कितनों में इमारतें नहीं हैं। बाहर से आये हुये अध्यापकों को रहने की कहीं सुविधा नहीं है। वे बेचारे अध्यापक गांव के लोगों के यहां अनाहूत अतिथि के रूप में पड़े रहते हैं।

फिर निःशुल्क शिक्षा की बात है। यह कहा जाता है कि प्रारम्भिक शिक्षा निःशुल्क है। ठीक है, पढ़ाई की फीस भले ही न ली जाती हो, लेकिन अन्य फीस इतनी ली जाती हैं कि जो उससे कई गुना अधिक हैं। प्रदेश में प्रारम्भिक शिक्षा भी अनिवार्य नहीं की जा सकी। क्या मैं आशा करूं कि हमारी सरकार अपने प्रदेश में प्रारम्भिक शिक्षा को अनिवार्य करने का प्रयत्न करेगी।

माध्यमिक शिक्षा की दशा भी इसी प्रकार शोचनीय है। सारी संस्थाओं के अध्यापक और प्राइवेट संस्थाओं के अध्यापकों के वेतन में जो अंतर है उसको दूर करने के लिये सरकार के पास कोई योजना नहीं है। बेचारा प्राइवेट संस्था का अध्यापक वेतन कम पाने पर भी अपनी संस्था के मैनेजर इत्यादि की व्यक्तिगत और पारिवारिक सेवा करने को मजबूर है और इसके कारण उसकी गुरुता प्रायः समाप्त हो चुकी है, उसका स्वाभिमान दम तोड़ रहा है। अध्यापकों की गुरुता और स्वाभिमान नष्ट हो जाने पर शिक्षा की क्या दुर्दशा होगी, इसकी कल्पना मात्र राष्ट्र के लिये अमंगलसूचक है।

अधिष्ठाता महोदय, प्राइवेट संस्थाओं को ग्राण्ट देने में भी सरकार ने विवेक का परिचय नहीं दिया। पहुंच और सिलसिले वाले और पार्टी के पोषकों के द्वारा संचालित संस्थाओं को ही गवर्नमेंट ग्राण्ट दिया करती है या यों कहिये कि बहुत कुछ उनको ही मिलता है। अन्य संस्थाओं को सहायता नहीं के बराबर या समझिये कि बिलकुल नहीं मिलती है। उदाहरण के लिये मैं शाहजहांपुर जिले के अपने क्षेत्र पुवायां के हायर सेकेण्डरी स्कूल की बात कहना चाहता हूं। यह स्कूल कई वर्षों से जनता की सेवा कर रहा है और आज चार-पांच सालों से

शायद रिकगनाइज्ड भी है और इसे वहां के लोगों ने अपने निजी साधनों द्वारा आज इंटरमीडियेट के स्तर तक पहुंचा दिया है, लेकिन फिर भी मुझे खेद के साथ बताना पड़ रहा है कि उसे कोई एड नहीं मिलती, उसे टोकेन ग्रांट भी नहीं मिलती, ऐसी बातों का कारण ढूंढने के लिये दूर नहीं जाना पड़ेगा। इसमें हमारे शाहजहांपुर जिले के ही एक प्रसिद्ध कांग्रेसी एम० एल० ए०, जो बेचारे इस बार ३१,००० वोटों से हार गये, ईश्वर उन्हें संतोष और सहनशक्ति प्रदान करे, बाधा डाल रहे हैं, क्योंकि उनके तीन स्कूल इस जिले में चल रहे हैं––एक जलालाबाद में, एक कटरा में और एक खोटार में। ये तीन स्कूल उनकी तीन दुकानें कही जाती हैं। इन तीन दूकानों के लिये जिन्हें वे स्कूल के नाम से पुकारते हैं, क्या मैं सरकार से यह आशा करूं कि वह इस बात की जांच करायेगी कि वे कितना रुपया सरकार से शिक्षा विभाग द्वारा, प्लानिंग विभाग द्वारा अन्य स्रोतों से इन स्कूलों के लिये ले गये हैं और उसका क्या उपयोग किया गया है।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल (जिला बरेली)––माननीय अधिष्ठाता महोदय' क्या यह उचित होगा कि जो व्यक्ति या माननीय सदस्य आज इस सदन में नहीं हैं, उनके विषय में स्पष्ट संकेत करके ऐसे लांछन लगाये जायं जिनका कि वह उत्तर नहीं दे सकते हैं।

राजकुमार सुरेन्द्र सिंह––मैं किसी का नाम लेकर नहीं कह रहा हूं। यह जनरल बात कह रहा हूं .....

श्री अधिष्ठाता––अगर संकेत मात्र भी बहुत स्पष्ट हो तो वह एवायड किया जाय।

राजकुमार सुरेन्द्र सिंह––अच्छी बात है। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। अपने शिक्षा मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह इस मामले में, जो स्कूलों के बारे में मैंने बताया कि वह कितना धन ले गये, जांच करायें। बहरहाल मैं इस मामले में जांच की मांग करता हूं। मुझे आशा है कि मन्त्री जी सार्वजनिक धन का जो अपव्यय हुआ करता है इसका उचित उपचार करेंगे।

माध्यमिक और प्रारम्भिक शिक्षा के लिये एक मुख्य समस्या पाठ्य पुस्तकों की है। जुलाई और अगस्त के महीने में छात्रों के अभिभावकों को पाठ्य पुस्तकों की महंगाई का जो अनुभव होता है उसको सभी लोग जानते होंगे, जिनके २, ३ बच्चे स्कूल जाते होंगे। हमारे उत्तर प्रदेश की उन्नति और प्रगति के नाम पर यह एक कलंक है। पाठ्य पुस्तकों का सरकार अभी तक राष्ट्रीयकरण नहीं कर सकी है, जब कि केरल की सरकार, जिसको अधिक समय आये हुए नहीं हुआ, "जुम्मा जुम्मा आठ दिन" से ही जिसका वजूद है, वह पाठ्य पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण कर चुकी है। मुझे आशा है कि माननीय शिक्षा मंत्री जी को अभिभावकों से सहानुभूति है और वह इस सहानुभूति का परिचय देंगे।

जमींदारी का उन्मूलन किया गया। जो बीच के लोग यानी मध्यवर्ती थे उनका उन्मूलन किया गया। किन्तु खेद के साथ कहना पड़ता है कि पाठ्य पुस्तकों के प्रकाशकों, मिल मालिकों और पूंजीपतियों की संख्या बढ़ती जा रही है। यदि प्रकाशकों का उन्मूलन कर दिया जाता तो फिर कांग्रेस फंड में चन्दा देने के लिये भूतपूर्व शिक्षा मंत्री को प्राइवेट तरीके पर उन लोगों को पत्र लिखने का मौका कैसे मिलता।

श्री कमलापति त्रिपाठी––मैं समझता हूं कि इस सदन की यह परम्परा रही है कि जो व्यक्ति सदन में उपस्थित न हो उसका नाम लेकर या उसकी ओर संकेत करके कुछ लांछन न लगाये जायं तो अच्छा है। इससे व्यर्थ की कटुता पैदा होती है।

श्री अधिष्ठाता––माननीय सदस्य ध्यान रखेंगे। अभी आपका ध्यान दिलाया गया था, किन्तु फिर उसी तरफ संकेत किया गया, यह शोभनीय नहीं है।

राजकुमार सुरेन्द्र सिंह---मैंने किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया। मैं माननीय मन्त्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह विद्वानों की एक समिति बनावें और उनसे उपयुक्त स्तर की पुस्तकें लिखवायें और उनको खुद छापें और दाम के दाम पर जनता को दें। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो यह सोशलिस्टिक पैटर्न और वेलफेयर स्टेट की बात एक ढोंग और ढकोसला और धोखा साबित होगी।

मैं विश्वविद्यालयों के बारे में भी दो बात कहना चाहता हूं। वहां भी आप अपनी दलीय राजनीति को चलाना चाहते हैं। मेरे पास अकाट्य तथ्य हैं और मैं इस बात को सिद्ध करूंगा। आपने लखनऊ, इलाहाबाद और आगरा विश्वविद्यालयों के लिये ऐक्ट में संशोधन किया इसलिये कि वहां पर अपने दल का अधिकार आप बढ़ाना चाहते थे। इलाहाबाद और आगरा के लिये आपने सिंगिल ट्रान्सफरेबिल वोट का नियम लागू किया, परन्तु लखनऊ के लिये वह आवश्यक नहीं समझा गया, क्योंकि ऐसा करने पर आपके दल के लिये वहां पर फर्क पड़ जाता। आपके दल के एक प्रमुख व्यक्ति की नीति का परिणाम विश्वविद्यालय के लिये इतना घातक हुआ कि आप इसका अनुमान तभी लगा सकते हैं जबकि आप पानदरीबा से आधी रात के समय आते हुए अध्यापकों के मलिन चेहरों को देखें। लखनऊ विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी के सदस्य.....

श्री अमरेशचन्द्र पांडेय (जिला मिर्जापुर)---मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि क्या कोई माननीय सदस्य लिखित चीज सदन में पढ़ सकते हैं?

श्री अधिष्ठाता---पढ़ तो नहीं रहे हैं, शायद वह अपने नोट देख रहे हैं।

राजकुमार सुरेन्द्र सिंह---लखनऊ और इलाहाबाद विश्वविद्यालयों के अध्यापक सम्मेलन में हमारे राज्यपाल महोदय ने कहा था कि सक्रिय राजनैतिक कार्यकर्त्ताओं को विश्वविद्यालय छोड़ देना चाहिये। मैं अपने शिक्षा मंत्री और प्रमुख मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह कम से कम अपने दल के लोगों पर ऐसा नैतिक प्रभाव डालें कि वह अपनी दलीय नीति लिये हुए विश्वविद्यालय के पवित्र प्रांगण के बाहर आ जावें।

*श्री गोविन्दसहाय (जिला बिजनौर)---अधिष्ठाता महोदय, शिक्षा का अनुदान एक महत्त्वपूर्ण अनुदान है, क्योंकि शिक्षा के द्वारा ही प्रदेश की जनता के जीवन को, उसकी आकांक्षाओं और अभिलाषाओं को ढाला जाता है। शिक्षा से ही नियोजन के कार्यों के लिये ह्यूमन सामग्री तैयार की जाती है। मुझे खेद है कि विवाद का प्रवाह कुछ इस तरफ चला गया कि स्कूल तो खुलते जाते हैं मगर कहीं इमारत नहीं है और टीचरों की हालत बहुत खराब है। अगर सिर्फ इस पर ही बहस हो तो इस नजरिये से सोचा जायगा कि क्या मौजूदा शिक्षा के चलाने वालों की यह कोशिश है कि स्कूल तो हों, लेकिन उनकी इमारत न हो या उनकी छत न हो। अगर ऐसा है तो उसकी कुछ सीमायें हैं। आर्थिक और दूसरी कठिनाइयां हैं केवल कहने मात्र से यह समस्या हल नहीं हो सकती है। मैं मौलिक रूप से इस प्रश्न पर कुछ विचार व्यक्त करना चाहता हूं। यह सही है कि शिक्षा का प्रसार बढ़ा है, स्कूल खुले हैं। प्राइमरी शिक्षा में भी काफी तरक्की हुई है। कमेटीज की रिपोर्टों की बुनियाद पर नये कोर्सेज को भी बनाया गया है, लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू यह है कि लड़कों की मानसिक उन्नति होती दिखाई नहीं पड़ती है। यह भी सुनने में आता है कि अनुशासन-हीनता बढ़ रही है और जनरल नालेज कुछ नहीं है, समाज और देश के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। जनरल नालेज के बारे में तो पब्लिक सर्विस कमीशन के छपे आंकड़ों और जवाबात से पता चलता है। बावजूद हमारी कोशिश के हमारी शिक्षा-प्रणाली का कोई मौलिक आधार ऐसा है कि हम सही ह्यूमन मैटीरियल पैदा नहीं कर पा रहे हैं। श्री सम्पूर्णानन्द जी का शिक्षा के ऊपर एक आर्टिकिल मैंने पढ़ा। उन्होंने कहा है कि शिक्षा का निर्माण समाज के लक्ष्य या साधन और ध्येय की पूर्ति के लिये होता है। अतः प्रगतिशील

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

शिक्षा की प्रणाली की पहचान है कि वह हमें इस तरफ ले जाती है या नहीं। इस दृष्टि से जब हम देखते हैं तो मेरा विचार है कि जो कुछ हम शिक्षा पर खर्च कर रहे हैं उस पर पुनर्विचार करना होगा कि आया यह मौजूदा प्रणाली हमें उस ध्येय की ओर ले जाती है या नहीं।

जो किताबें आज बेसिक, सीनियर और जूनियर तथा यूनिवर्सिटी स्टेज में पढ़ाई जाती हैं उनको बहुत काफी देखने की जरूरत है। आज अलिफ से लेकर दर्जा १ तक, २ से लेकर दर्जे ५ तक, ६ से लेकर दर्जे ९ तक, दर्जे १० से लेकर १२ तक और फिर १२ से लेकर डाक्टोरेट तक जो किताबें पढ़ाई जाती हैं उनमें यह देखने की आवश्यकता है कि वे हमारे बच्चों के दिमाग को किधर ले जाती हैं। मैं समझता हूं कि शिक्षा के संचालन के लिये प्रारम्भ से ही कोई मौलिक आधार होना चाहिये। शिक्षा का आधार होना चाहिये कि बच्चा देशभक्त, पैट्रियोटिक आउट लुक का बने। उसके अन्दर जनतंत्र की भावनाएं विकसित हों और उसके रहन-सहन का तरीका डेमोक्रेटिक हो जाय। उसका नियोजन में विश्वास होना चाहिए और सोशलिज्म की ओर सामूहिक रूप से ले जाय। पेट्रियोटिज्म, सिटीजनशिप, डेमोक्रेसी, प्लानिंग और सोशलिज्म की ओर अगर दर्जे अलिफ से लेकर एम० ए० तक का कोर्स हमें ले जाता है तो कहना चाहिये कि हमारी शिक्षा प्रणाली ठीक है। मैं मानता हूं कि और प्रदेशों के मुकाबिले में बेसिक शिक्षा में हमारे प्रदेश में रिसर्च अधिक हुआ है और उसके अन्दर काफी क्रान्तिकारी तब्दीली भी हुई है। उसके साथ ही साथ पांचवें दर्जे से लेकर आठवें क्लास तक के कोर्स में तब्दीली की जरूरत है। इस समय का कोर्स हमें किधर भी नहीं ले जाता है। एक राइटर ने एक जगह पशु-धन के ऊपर लिख दिया और दूसरी जगह स्वामी दयानन्द की लाइफ लिख दी। कोर्स में कोई को-रिलेशन नहीं है। इसी तरह से बेसिक रीडर में ताजबीबी के रौजे में पढ़ाया जाता है, लेकिन यह नहीं बताया जाता है कि ताजमहल बनवाया किसने। उस जमाने के कलाकारों की हिस्ट्री नहीं है। वह सिर्फ राजाओं की हिस्ट्री है। चुनांचे मैंने देखा कि शाहजहां के ऊपर एक लफ्ज नहीं मिलेगा। यह आउटलुक का सवाल है। प्राचीन में सब कुछ दिखाया जा सकता है। इसी तरीके से मैंने इन कोर्सेज में यह भी देखा कि हिस्ट्री में कोई ऐसी किताब नहीं पढ़ाई जाती है जिसमें इंडियन स्ट्रगल फार फ्रीडम की कोई चर्चा हो। यह अवश्य देखने को मिला कि महात्मा गांधी ने सन् १९३१ में डंडी यात्रा की, या तो उनको आज इतने साल के बाद पता नहीं है कि या और कुछ बात है। इसलिए शिक्षा के आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है। यह ठीक है कि टीचर्स की तनख्वाह बढ़ा दी जाय, लेकिन वह साधन की बात है। मैं यह मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि इस प्रदेश में शिक्षा मंत्री की ऐसी इच्छा है कि उनके मदरसों के ऊपर छत न हों या उनमें सामान न हो।

मेरा खयाल है कि सोशलिस्टक सिस्टम की ओर ले जाने के लिये हमको शिक्षा का बायस बदलना होगा। यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स को लिखना होगा कि मौजूदा हिस्ट्री में देश की आर्थिक समस्याओं के बारे में कोई जानकारी नहीं हो पाती है। टेक्निकल शिक्षा की चर्चा की गई। मौजूदा शिक्षा मंत्री के पास टेक्निकल एजूकेशन नहीं है। मेरा खयाल है कि यह होना चाहिये। दोनों शिक्षाओं को मिलना चाहिये। एक शब्द और कहना चाहूंगा। इस सदन में माननीय शिक्षा मंत्री ने अध्यापकवर्ग के बारे में अपनी राय दी कि टीचर्स का सम्मान होना चाहिये। ठीक बात है टीचर्स का सम्मान होना चाहिये। आज अगर उनका सम्मान नहीं है तो शिक्षा मंत्री जी कोई फर्मान निकाल कर उनका सम्मान नहीं बढ़ा सकते। अगर आज हम टीचर्स का सम्मान बढ़ाना चाहते हैं तो हमको अपने सामाजिक ढांचे में कुछ परिवर्तन लाना होगा। आज जो समाज का आधार है वह यह है कि टीचर्स को कम रुपया मिलता है इसलिये उनका सम्मान कम है। इसके लिये मेरा सुझाव यह है कि आपको एक आर्डर आफ प्रीसीडेंस बनाना चाहिये कि उनका स्थान कहां होगा। दुनियां में टीचर्स, लेखक, कलाकार और पेंटर्स ही समाज को बनाते हैं। उनको आपको सम्मान देना होगा। मैं आशा करता हूं कि शिक्षा मंत्री जी इस दिशा में कोई कदम उठायेंग।

[श्री गोविन्दसहाय]

अभी कुछ अच्छी किताबें लिखायी गयीं हैं, लेकिन उनमें और कुछ सुधार करने के लिये कोर्स बनाने वाली कमेटी को कुछ बेसिक प्रिन्सिपिल्स के लिये सुझाव दिये जाने चाहिये।

यूनिवर्सिटी की ओटोनामी के बारे में भी मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। साधारण-रूप से मेरा यह ख्याल है कि टीचर्स को अगर ज्यादा पैसा दे दिया जायगा या ज्यादा सामान उनके पास हो जायगा तो उनकी मुसीबत दूर हो जायगी, लेकिन यूनिवर्सिटी के जो टीचर्स हैं उनको काफी पैसा भी मिलता है और कपड़े भी वे अच्छे पहनते हैं। आज आजादी का जमाना है, आजादी से राय देने का सवाल है, लेकिन यूनिवर्सिटी के अन्दर लोग आजादी से अपनी राय नहीं दे सकते। वहां पर भी चुनाव की प्रणाली लागू है और प्रोफेसर्स को उसके अन्दर भाग लेना पड़ता है। इसलिये मैं समझता हूं कि सरकार को यूनिवर्सिटी एजूकेशन में दखल देना चाहिये और उसके कोर्सेज को बदलवाना चाहिये। मैं एक बात और कह कर खत्म कर दूंगा। वहां पर सोशलिज्म की ट्रेनिंग होती है, सोशल साइंस वहां पर पढ़ाई जाती है, लेकिन यूनिवर्सिटी के ५ फीसदी लड़कों को भी यह मालूम नहीं होता कि वेलफेयर स्टेट क्या है, सोशलिज्म का विकास क्या है, पंचवर्षीय योजना क्या है? मैं समझता हूं कि उनका प्लानिंग एक कंपलसरी सबजैक्ट होना चाहिये। प्लानिंग और सोशलिज्म के बारे में सरल साहित्य तैयार कराया जाय और लड़कों को उपलब्ध कराया जाय।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र में शिक्षा का एक अत्यन्त ही महत्त्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि शिक्षा के द्वारा ही मनुष्य का विकास होता है, व्यक्तित्व का विकास होता है, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास होता है। कोई भी राष्ट्र जब उन्नति के पथ पर अग्रसर होना चाहता है तो वह सर्व प्रथम अपनी शिक्षा प्रणाली को ऐसा स्वरूप प्रदान करता है जो उस राष्ट्र के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में उत्पन्न होता है, विकसित होता है। आज जो शिक्षापद्धति हमारे देश में लागू है हमें देखना है कि क्या उससे हमारे देश की गौरवपूर्ण संस्कृति और गौरव-पूर्ण इतिहास विकसित होगा?

माननीय बी० जी० खेर जब इंगलैंड में हाई कमिश्नर थे तब उन्होंने अखिल भारतीय प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों के समक्ष एक मीटिंग में कहा था कि हमारे देश में जो आज शिक्षा-पद्धति है उसका कोई निश्चित राष्ट्रीय स्वरूप नहीं हो पाया है। मुझे खेद है कि जिस प्रणाली को आजकल अपनाया जा रहा है उसकी कोई निश्चित रूपरेखा नहीं है। हमारे सामने कोई लक्ष्य नहीं है और इसलिये हमारी शिक्षा प्रणाली कनफ्यूज्ड होकर ऐसी दिशा में चल रही है कि जिसका कोई लक्ष्य नहीं है। हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी ने एक बात को स्वीकार किया है कि आज की जो शिक्षा-प्रणाली है वह आदर्शहीन है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं सदन से नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रदेश की शिक्षा का कोई लक्ष्य न हो, कोई रूपरेखा निश्चित न हो उस प्रदेश की शिक्षा-प्रणाली से किस प्रकार राष्ट्र प्रगति कर सकता है। हमारे यहां न तो प्राथमिक शिक्षा-प्रणाली की कोई निश्चित रूपरेखा है, न माध्यमिक शिक्षा-प्रणाली की कोई निश्चित रूपरेखा है, न बेसिक शिक्षा-प्रणाली की कोई रूपरेखा है और न विश्वविद्यालय की शिक्षा प्रणाली की कोई निश्चित रूपरेखा है। यही कारण है कि अध्यापकों में असन्तोष है, विद्यार्थियों में असन्तोष है और अभिभावकों में असन्तोष है और दिन प्रति दिन हमारे प्रदेश में शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। जब विश्वविद्यालयों के अन्दर, कालेजों के अन्दर कोई इस प्रकार के छात्र आन्दोलन होते हैं तो ट्रेजरी बेंच की तरफ से हमारे माननीय मंत्रीगण घोषित करते हैं कि छात्र अनुशासन-हीन होते जा रहे हैं, छात्रों के अन्दर उद्दंडता बढ़ती जा रही है और पब्लिक सर्विस कमीशन प्रति वर्ष इस बात की शिकायत करता है कि छात्रों का स्तर गिरता जा रहा है। इस बात के ऊपर गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये कि ऐसी कौन सी बात है जिससे छात्रों के अन्दर इतनी अनुशासनहीनता और उद्दंडता है और हमारे अध्यापकों के अन्दर घोर असन्तोष

पैदा हो रहा है। मैं नम्र निवेदन करूंगा कि सरकार इसके लिये पूर्णतः पता लगावे। सरकार ने अब तक शिक्षा की कोई नीति सुनिश्चित नहीं की है।

श्रीमन्, केन्द्रीय सरकार ने डाक्टर सर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक यूनिवर्सिटी कमीशन नाया था। उस कमीशन की रिपोर्ट में सर राधाकृष्णन ने कहा था कि आज जबकि देश स्वतंत्र हो चुका है तो शिक्षा संस्थाओं का यह परम कर्त्तव्य हो जाता है कि वे राजनीतिक क्षेत्र में, प्रशासनीय क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, उद्योग क्षेत्र में, विकास क्षेत्र में, और वाणिज्य क्षेत्र में सक्षमताओं को पैदा करें, लेकिन बड़ा अफसोस है कि जो वर्तमान शिक्षा-पद्धति है वह इस काम को करने में पूर्णतया असफल हुई है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं संक्षिप्त रूप में थोड़े समय में इस सम्बन्ध में कुछ बतला देना चाहता हूं। हमारी जो शिक्षा पद्धति है उसमें, जैसा कि माननीय गोविन्द सहाय जी ने बतलाया कि एक स्वतंत्र राष्ट्र जो समाजवाद की ओर बढ़ रहा है उसके लिये एक पृष्ठ भूमि बना कर शिक्षा पद्धति को निश्चित कर सकें, इसके लिये कोई भी नीति आज तक निर्धारित नहीं हो पायी है। माननीय मंत्री जी ने कहा है कि हमारे यहां शिक्षा का विकास हो रहा है, हमारा प्रदेश दूसरे प्रदेशों के मुकाबले में आगे बढ़ा हुआ है किन श्रीमन्, मैं एक रिपोर्ट के आधार पर इस बात को साबित करने का प्रयत्न करूंगा कि हमारे प्रदेश में ६ से ११ वर्ष और ११ से १४ वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा का प्रतिशत और प्रदेशों से कितना कम, सन् १९५०-५१ और सन् १९५५-५६ में रहा है। आन्ध्र में सन् १९५०-५१ में ५३.५ और सन् १९५५-५६ में ६८.४, बम्बई में ७०.४ और ८०.१०, उत्तर प्रदेश में ३३.१ और ३२.६, बंगाल में ५५.८ और ८०.३, ट्रांवनकोर में ९८.६ और १०० प्रतिशत रहा है। इस बात को देखने से विदित हो जाता है कि आज भी एक बहुत बड़ी संख्या हमारे बच्चों की है जिनको शिक्षा नहीं प्राप्त हो रही है। वे बच्चे जो आज शिक्षा प्राप्त भी कर रहे हैं उनकी दशा इतनी दयनीय है, उनके साधन इतने अपूर्ण हैं कि उन साधनों से पूर्णतः उनका मानसिक और वैयक्तिक विकास जितना होना चाहिये उतना नहीं हो पा रहा है। इन विश्वविद्यालयों और कालेजों के अन्दर छात्र जाते हैं और देखते हैं कि जो धनी छात्र होस्टल में रहता है उसे २०० रु० हर महीने खर्च करने के लिये मिलते हैं जिसे वह खर्व करता है और वहीं पर दूसरा छात्र है जो रोटी बनाता है, और किसी तरह से ट्यूशन आदि करके अपनी शिक्षा को हासिल करता है, फिर यह कैसे सम्भव हो सकता है कि उन दोनों छात्रों का मानसिक विकास, वैयक्तिक विकास और चौतरफा विकास एक समान हो सके। निश्चित रूप से समाज के अन्दर एक बहुत बड़ी आर्थिक खाई पड़ी हुई है और जब तक वह खाई पाटी नहीं जायगी तबतक देश के छात्रों का समुचित विकास नहीं हो सकता है। इसलिये माननीय शिक्षा मंत्री जी का यह परम कर्त्तव्य है कि वे इस बात की तरफ ध्यान दें कि विद्यार्थियों के मस्तिष्क का विकास हो सके।

सबसे पहली बात यह है कि गरीब छात्रों को वजीफा मिलना चाहिये। वजीफा देने का जो फंड है उस फंड को बढ़ाना चाहिये और उसके द्वारा छात्रों को उचित सहायता मिलनी चाहिये। हमें यह देख कर आश्चर्य होता है कि सूचना विभाग के जो प्रकाशन होते हैं वे भी इतने महंगे पड़ते हैं कि वे साधारण लोगों तक पहुंच नहीं पाते। इसलिये मेरा नम्र निवेदन है कि सूचना विभाग के जो प्रकाशन हों वे सस्ते हों और छात्रों के पाठ्यक्रम की जो पुस्तकें हों वे भी सस्ती हों ताकि वे सबके लिये सुलभ हो सकें।

अधिष्ठाता महोदय, दूसरी बात संक्षिप्त में मैं यह बताऊंगा कि हमारी यह स्टेट एक सिकुलर स्टेट है और उससे हम आशा करते हैं कि हमारी जो शिक्षा प्रणाली हो वह भी सिकुलर हो, लेकिन जब हम यहां की पाठ्यक्रम की पुस्तकों को देखते हैं तो उसमें ऐसे चित्र देखने में आते हैं जिसमें माननीय मंत्री महोदय किसी धार्मिक स्थान पर जाकर मन्दिर में पूजा आदि करते हुये दिखाये जाते हैं, उनके ऐसे रूप से बच्चों पर कुछ न कुछ प्रभाव पड़ता है, या तो उससे साम्प्रदायिकता की भावना आती है या वह समझते हैं कि हमारा राज्य एक धर्मप्रधान राज्य है। हमें इस तरह की बातों को दूर करना चाहिये।

[श्री चन्द्रजीत यादव]

दूसरी बात मैं हायर सेकण्डरी स्कूल के बारे में बताऊंगा, इनमें से अधिकांश स्कूल प्राइवेट संस्थाओं के हाथ में हैं और उनके जो प्रबन्धक हैं वह उन संस्थाओं को अपने व्यापार का और निजी स्वार्थों का साधन बनाये हुए हैं। उनकी दशा बहुत ही दयनीय है। इस सम्बन्ध में हमारी सरकार केरल सरकार से शिक्षा ग्रहण करे। अधिक से अधिक स्कूलों को वहां की तरह सरकार अपने हाथ में ले, वहां पर जो अध्यापकों की नियुक्तियां होती हैं वे ठीक से हों, वेतन उनको ठीक से मिले। आज मैंने समाचार पत्र में पढ़ा है कि बस्ती में अध्यापकों का ४ मास का वेतन अभी बाकी है, उनको ५० रुपया तो कुल वेतन मिलता है और वह भी समय से न मिले तो वे क्या शिक्षा दे सकते हैं, उनका दिमाग तो घर पर होगा और घर की उजड़ी हुई अवस्था में चक्कर काटता होगा। तो इस तरह से बच्चों की शिक्षा कैसे आगे बढ़ सकती है?

विश्वविद्यालय की शिक्षा के बारे में भी दो शब्द कहूंगा। जिस प्रकार वहां पर विश्वविद्यालय की आटोनामी को कुचलने की कोशिश की गई है, जिस प्रकार से छात्रों के आन्दोलन को कुचलने की कोशिश की गई है और इलाहाबाद और लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्र आन्दोलन इस बात के ज्वलंत प्रमाण हैं कि कैसे छात्रों को कुचला जाता है। सरकार की नीति स्पष्ट नहीं है और वह शिक्षा संस्थाओं को स्वतंत्र रूप से नहीं बढ़ने देना चाहती। हमारे शिक्षा मंत्री जी बड़े योग्य व्यक्ति हैं, लेकिन अगर वह चाहते हैं कि इस प्रदेश में शिक्षा का विकास हो तो उनको अपने भार को हलका करना होगा, वह गृह मंत्री भी हैं, सूचना मंत्री भी हैं और शिक्षा मंत्री भी हैं इसलिये वह एक निश्चित समय अपने शिक्षा विभाग को नहीं दे सकते। इसलिए वह इस तरफ भी ध्यान दें।

श्री सूरतचन्द्र रमोला (जिला टेहरी-गढ़वाल)—अधिष्ठाता महोदय, सबसे पहले मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। जो अनुदान माननीय शिक्षा मंत्री जी ने पेश किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। असल में हमारे देश में जो शिक्षा का स्वरूप है उसकी परिस्थिति को देखते हुए हमें अब उसे बदलना ही होगा। जैसा कि श्री गोविन्द सहाय जी ने कहा है कि सोशलिस्ट पैटर्न आफ सोसाइटी को मानते हुए हम अपने उस पुराने स्वरूप में चल नहीं सकते। आज हालत यह है कि यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी बता नहीं सकते कि हमारा सेकेन्ड फाइव ईयर प्लान क्या है, उसकी रूप रेखा क्या है और उसका आधार क्या है। इन परिस्थितियों को देखते हुए हमारी जो आज की शिक्षा प्रणाली है उसे हमें बेसिक स्टेज से ही बदलना होगा और हमें टेक्निकल स्कूल बेसिक स्टेज से ही शुरू कर देने चाहियें। मैं ऐसे जिले से आता हूं जहां पर लोग पहले से छोटे-मोटे कताई बुनाई के काम करते आये हैं लेकिन स्टेट की ओर से उनको कोई सहायता नहीं दी जाती है। वही पुराने तरीके से वह अपने घरेलू धन्धे करते हैं। माननीय उपमंत्री जी ने वहां का दौरा भी किया था और उस वक्त मैंने उनसे अर्ज किया था कि वह इन चीजों को प्रोत्साहन दें। हमारे जिले का क्षेत्रफल ४,५०० वर्ग मील के करीब है और वहां डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स का आफिस एक किनारे ऋषीकेश के पास है, वह नरेन्द्रनगर से हटाकर टेहरी में होना चाहिए जो एक सेण्ट्रल स्थान है, क्योंकि डी० आई० ओ० एस० से जनता का काफी सम्पर्क होता है और जिले के हर कोने के लोग उनके पास आया करते हैं और दूर-दूर से आने में उनको दिक्कत होती है और बहुत खर्च पड़ता है। नरेन्द्रनगर हमारे रिमोटेस्ट कार्नर से इतनी दूर पड़ता है जैसे किसी को लखनऊ से हरिद्वार तक पैदल जाना पड़े, यहां पर टैक्सी मोटर गाड़ियों का प्रबन्ध हो जाता है, लेकिन वहां यातायात के साधन भी नहीं हैं और लोगों को बहुत दूर चल कर नरेन्द्रनगर आना होता है। हमारे जिले का जो एजूकेशन का डिस्ट्रिक्ट आफिस है उसको तुरन्त ही टेहरी हटा दें। जब माननीय उपमंत्री जी ने वहां का दौरा किया था तब भी मैंने उनसे इस सिलसिले में कहा कि वह इस बात की कोशिश करें और जोर दें।

हमारे यहां एक इंटर कालेज है। उसमें फिजिक्स और केमेस्ट्री भी पढ़ायी जाती है। लेकिन जब से हमारी स्टेट उत्तर प्रदेश में मर्ज हुई है तब से फिजिक्स और केमेस्ट्री के टीचर्स अगर किसी को ट्रांस्फर कर दिया जाय, तो वहां जाते नहीं हैं, अगर जाते भी हैं तो दिसम्बर से पहले ज्यादातर कोई नहीं जा पाता। तो मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह जल्दी-जल्दी हमारे जिले से साइंस टीचर्स का ट्रांस्फर न किया करें, क्योंकि मैं जानता हूं कि वहां पर दिक्कतें हैं। परिस्थितियां इतनी खराब हैं कि लोग बाहर से जाना पसन्द नहीं करते। इसलिए हमारे जिले से जो लोग भी पढ़ कर निकल रहे हैं उन्हीं लोगों को अगर वहां पर रखा जाय तो ज्यादा बेहतर होगा। वे ज्यादा वक्त वहां के डेवलपमेंट में दे सकते हैं।

जो वहां पर बेसिक स्कूल्स हैं, चूंकि डिस्ट्रिक्ट दोर्ड हमारे जिले में नहीं है और वे सब स्कूल सरकार के ही हाथ में है, इन बेसिक स्कूल्स, जूनियर हाई स्कूल्स और हायर सेकेण्डरी स्कूल्स के टीचर्स का ऐबजार्प्शन यू० पी० सर्विसेज में नहीं हुआ है। और इस डर के मारे कि अगर कल डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बनता है तो हमारी सर्विसेज वहां पर ट्रांसफर हो जायंगी। मैं मानता हूं कि अगर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बन जाय तो उनकी सर्विसेज वहां पर ट्रांसफर हो जायगी, लेकिन उनको ग्रेचुटी या पेंशन गवर्नमेंट को दनी ही पड़ेगी, क्योंकि वह स्टेट के स्कूल्स हैं और टेहरी स्टेट के परमानेन्ट कर्मचारी हैं। उनका ऐबजार्प्शन जिस हालत में वह इस वक्त है उसी हालत में उनका ऐबजार्प्शन हो जाना चाहिए।

सुमन हायर सेंकेडरी स्कूल, चम्बा, जो टेहरी से बारह मील दूर है। वहां साइंस का सामान है सिर्फ एक टीचर की मांग की थी। लेकिन मालूम पड़ता है कि अब तक कोई टीचर वहां नहीं पहुंचा है। उत्तर काशी में भी साइंस का सामान मौजूद है। लेकिन वहां जो टीचर था उसने इस तरह का प्रोपेगेण्डा किया है कि वहां साईंस चल ही नहीं सकती। वहां का साइंस टीचर हटाया गया था, उसके स्थान पर अब तक कोई टीचर नहीं मिला है। इस प्रकार ऐसे स्थान मौजूद हैं जहां साइंस का सामान मौजूद है, लेकिन टीचर नहीं हैं। ऐसे स्थानों पर माननीय शिक्षा मंत्री जी साइंस टीचर्स जल्दी से भेजें।

इसके अलावा मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि यह विभाग अनवील्डी हो गया है। इसको कुछ डिसेंट्रलाइज कर देना चाहिये। जैसे कि एस० डी० आई० एस० है, वह बेसिक स्कूलों के टीचर्स के पे बिल्स वगैरह का काम एस० डी० आई० सर्किल को दे देना चाहिए, क्योंकि डिप्टी इंस्पेक्टर्स और डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर्स का कमांड नहीं हो सकता है आवागमन के साधनों की दिक्कत होने से। वह टीचर्स जो गांवों में रहते हैं अक्सर वह अपने गांवों को बगैर छुट्टी भाग जाया करते हैं। जब तक इनक्वायरी होती है तब तक वह टीचर्स वहां पर आ जाते हैं। मेरा सुझाव यह है कि एस० डी० आई० सर्किल को ही सब काम छुट्टी आदि का दे देना चाहिए, जिससे वे अच्छी तरह से उनकी देखभाल किया करें।

गर्ल एजूकेशन के सिलसिले में हमारे जिले में सिर्फ एक हाई स्कूल है और उसके अलावा कोई और हायर एजूकेशन उपलब्ध नहीं है। मैं मानता हूं कि जिनके पास पैसा है वह अपनी लड़कियों को यूनिवर्सिटी या इंटरमीडियेट शिक्षा देने के लिए बाहर भेज सकते हैं, लेकिन अधिकांश लोग ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए हमारे यहां जो इंटरमीडियेट कालेज हैं उसी में को–एजूकेशन कर देना चाहिए और वहां पर एक गर्ल्स होस्टल बनवा देना चाहिए, ताकि वहां पर कम से कम इंटरमीडियेट तक की शिक्षा लड़कियां पा सकें। मैं शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि गर्ल्स के लिये शिक्षा कम से कम इंटरमीडियेट तक उपलब्ध करा दें।

श्रीमती शकुन्तला देवी (जिला सहारनपुर)––माननीय अधिष्ठाता महोदय, शिक्षा का जो अनुदान प्रस्तुत है उसके समर्थन में मैं खड़ी हुई हूं। मुझे यह कहना है कि प्राइमरी स्कूल से लेकर जूनियर हाई स्कूल के लिये बजट में जो ३५ लाख रुपया रखा गया है और हायर सेकण्डरी स्कूल के टीचर्स तथा उनके दूसरे कर्मचारियों के लिये २१ लाख रुपया रखा गया है

[श्रीमती शकुन्तला देवी]

उसके लिये मंत्री जी धन्यवाद के पात्र हैं। हमारी सरकार ने जनता की भलाई के लिये बहुत से शिक्षा के केन्द्र खोले हैं। जैसे प्राइमरी स्कूल, उच्चतर माध्यमिक पाठशालाएं, सैनिक शिक्षण संस्थाएं आदि, आदि नाना प्रकार की संस्थाएं खोली गई हैं जिनमें जनता शिक्षा ग्रहण कर रही है। मुझे थोड़ा यह बताना है कि शिक्षा कैसी होनी चाहिये। शिक्षा सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा राष्ट्र अपना जीवनक्रम पुरस्कृत करता है और अग्रसर होता है। शिक्षा पद्धति वही सफल होती है जिसमें मनुष्य के मस्तिष्क और आत्मा का विकास हो तथा उसका व्यक्तित्व विकसित हो, नागरिकता की भावना जागृत हो, वही शिक्षा उचित है और आवश्यक भी।

हमारी जो शिक्षा संस्थायें चल रही हैं उनमें जितने भी अध्यापकगण हैं उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिये काफी सहयोग दिया, हमारे बच्चों को प्रोत्साहित किया। इसलिये उनके अन्दर उत्साह बढ़ाना जरूरी है। उनकी वेतन वृद्धि अनिवार्य है। जहां शिक्षा संस्थाओं में सुधार हुए और जनता की भलाई के कार्य हुए हैं उसके साथ-साथ कुछ कमियां रह जाना जरूरी है। यद्यपि हमारी सरकार शिक्षा संस्थाओं के लिये काफी प्रयत्न कर रही है और शिक्षा की ओर उसका ध्यान आकर्षित भी है अधिक, लेकिन फिर भी कुछ कमियां हैं जिनकी ओर मैं ध्यान दिलाना चाहती हूं। शिक्षा पद्धति की ही कमियां हैं, क्योंकि उनको शिक्षा ऐसी दी जाती हैं, जिससे वे अपनी रोजगारों को ठीक प्रकार से नहीं चला पाते। जैसे कुछ अध्यापकों में यह कमी है कि वे स्वयं अपने विद्यार्थियों की शिक्षा में बाधक बन जाते हैं, उनको प्रोमोशन देकर पास कर देते हैं। नतीजा यह होता है दूसरे विद्यालयों में उनका दाखिला मुश्किल हो जाता है और उनकी जड़ कमजोर रहती है। इसके लिये यह आवश्यक है कि योग्य टीचर रखे जायं। हमारे यहां के अध्यापकों में द्वेष की भावना बढ़ती जा रही और जब उन्हें उन्नति करनी होती है प्रबन्धक कमेटी से मिल जाते हैं और अपने काम को अच्छे ढंग से नहीं करते। जिसके कारण दूसरे अध्यापकों में द्वेष होना स्वाभाविक है। इसलिये मेरा कहना है कि देश के निर्माण के लिये अगर कार्य करना है तो शिक्षा संस्थाओं के जितने भी कर्मचारी हैं वह योग्य होने चाहिये और तभी हमारा देश अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकेगा।

श्री रामायण राय (जिला देवरिया)---श्रीमन्, जो कटौती का प्रस्ताव सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया गया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। प्रारम्भ से ही शिक्षा के सम्बन्ध में जो वादविवाद चल रहा था उसे मैं बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहा था। एक-आध वक्ताओं ने शिक्षा की नीति के सम्बन्ध में भी अपने विचार व्यक्त करने की चेष्टा की। उनमें से एक सज्जन ने, जिनका नाम मैं उद्धृत नहीं कर रहा हूं और वे सदन में बैठे हुए हैं, ऐसा विचार रक्खा है जिस विचार को मैं अपने देश की शिक्षा नीति के लिये भयावह समझता हूं। इसलिए मैं उस विचार का खंडन कर रहा हूं।

उन्होंने कहा कि हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिये जिसमें कि हम अपने बच्चों में नये समाजवादी मूल्यों को प्रतिष्ठित कर सकें। उन्हें ऐसी शिक्षा दे सकें, जिनका परिणाम यह हो कि राज्य की इच्छा पूर्ति में वह सहायक हो सकें। उनके इस कथन को सुनते ही मुझे स्टालिन के कथन की याद आ गई। उन्होंने कहा था कि शिक्षा वास्तव में राज्य के हाथ में हथियार का काम देती है। जिस देश के स्टालिन महोदय रहने वाले थे उस देश में शिक्षा की प्रणाली केवल इस प्रकार की है और वहां सारी शिक्षा इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये दी जाती है कि ऐसे नागरिकों का निर्माण हो सके जो कि राज्य में जो कुछ हो रहा है वे उसका समर्थन करें, जो कुछ राज्य की तरफ से सही या गलत काम किया जाता है उसके खिलाफ जबान न हिलायें। अपने देश के शिक्षकों के दो, दो शिष्ट मंडल रूस और चीन गये थे। उन शिष्ट मंडलों ने जो रिपोर्ट पेश की, उन रिपोर्टस् को सुनने के बाद कम से कम मेरा जैसा व्यक्ति कांप उठा। मैंने सोचा कि ऐसा भी कोई देश होगा जहां शिक्षा के क्षेत्र में भी रेजीमेंटेशन हो। ठीक वही

विचार एक नये रूप में आज हमारे सामने रक्खा गया है। मैं उन सज्जन को यह स्मरण दिलाना चाहता हूं कि हमारा देश ऐसा देश नहीं है। हमारे देश का आदर्श रहा है कि हम शिक्षा को ज्ञान प्राप्ति का एक साधन मानते रहे हैं। हम शिक्षा की उपयोगिता को भी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये स्वीकार करते हैं, लेकिन साथ ही साथ हम उसे ऊंचे से ऊंचे ज्ञान प्राप्ति का साधन भी मानते हैं। इसलिये शिक्षा का जो संकुचित अर्थ सदन में रक्खा गया है, मैं उसका घोर विरोध करता हूं।

इसके बाद, श्रीमन्, शिक्षा जगत् में जो विभिन्न समस्याएं हैं उन समस्याओं के सम्बन्ध में मैं कुछ सुझाव आपके द्वारा मंत्री महोदय के सामने रखना चाहता हूं और श्रीमन्, मेरा वह सुझाव यह है कि बोर्ड आफ इंटरमीडियेट नाम न रखकर उसका नाम "बोर्ड आफ एजूकेशन" रक्खा जाय। बोर्ड आफ इंटरमीडियेट केवल माध्यमिक शिक्षा के ही ऊपर नियन्त्रण करता है और वह उसी की नीति तथा व्यवस्था के सम्बन्ध में विचार करता है। मेरा अपना विचार यह है कि एक शिक्षा बोर्ड उसकी जगह पर बन जाना चाहिये जो व्यापक होगा, जिसमें प्राइमरी शिक्षा से लेकर ऊंची से ऊंची शिक्षा के सम्बन्ध में विचार होगा और उसकी समस्याओं पर सामंजस्यपूर्ण तरीके से विचार रक्खा जायगा।

अभी सदन में मुदालियर कमीशन की भी बात कही गई, राधाकृष्णन कमीशन की बात कही गई, जाकिर हुसैन साहब की रिपोर्ट की भी चर्चा की गई। मैं स्मरण दिलाना चाहूंगा माननीय सदस्यों को कि राधाकृष्णन कमीशन की रिपोर्ट केवल उच्च शिक्षा के सम्बन्ध में थी। जहां तक मुदालियर कमीशन की रिपोर्ट का ताल्लुक है वह केवल माध्यमिक शिक्षा को लेकर चलती है और मैं भूलता नहीं कि आचार्य नरेन्द्र देव जी के नेतृत्व में जो कमीशन बैठा था उस कमीशन ने भी केवल माध्यमिक शिक्षा के ऊपर ही विचार किया। उसने शिक्षा के समग्र रूप पर विचार नहीं किया और न उसके लिये कोई नीति निश्चित की। मेरा अपना सुझाव तो यह है कि एक कमीशन बनना चाहिये जो कमीशन पूरी शिक्षा की नीति पर बैठे और विचार करे कि हमारी राष्ट्रीय शिक्षा की नीति क्या हो, उस बात का वह कमीशन फैसला करे। तीसरा सुझाव मेरा यह है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की जगह पर एजूकेशन ग्रांट्स कमीशन होना चाहिये--ऐसा ग्रांट्स कमीशन जो कि प्राइमरी से लेकर यूनिवर्सिटी तक, जितने शिक्षा के स्तर हैं सभी के लिए उनकी ग्रांट्स के ऊपर विचार करेगा और जो शिक्षा की नीति है, जो कुछ उपलब्ध धन है उसको विभिन्न स्तरों में कैसे वितरित किया जाय, इस पर वह विचार किया करेगा।

इसके बाद एक बहुत बड़ी समस्या शिक्षा जगत् में है। विश्वविद्यालय में बड़ी भीड़ लगती है। मैंने ही इस सदन में इस राज्य के एक ऐसे विश्वविद्यालय में जहां कि देश के सभी भागों से विद्यार्थी आते हैं, वहां जब हड़ताल हुई थी, उसके सम्बन्ध में एक कामरोको प्रस्ताव उपस्थित किया था। काफी अर्से तक मैं विद्यार्थी जीवन में भी इन समस्याओं के बीच में काम करता रहा हूं। मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि हाइयर एजूकेशन में यूनिवर्सिटी एजूकेशन में भीड़ हटे, कम लोग हायर एजूकेशन में अपना नाम लिखाने जायं, तो आप कृपा करके पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जो नोटीफिकेशन, विज्ञापन, नौकरी के लिए निकलता है उसमें से शिक्षा के खाने को निकाल दिया जाय और केवल मेरिट के ऊपर एग्जामिनेशन हो। जो उसमें पास हो जायं उनको लिया जाना चाहिये। केवल मेरी यह राय नहीं है, इस देश के बड़े-बड़े शिक्षा विशारदों की एक कमेटी जो केन्द्रीय सरकार ने बनायी थी, उसकी भी यही सिफारिश है। मैं अगर भूलता नहीं हूं तो सी० पी० रामास्वामी अय्यर से मेरी इस सम्बन्ध में बातचीत हुई थी, क्योंकि उनके दिमाग में भी यह समस्या मौजूद थी।

एक और सुझाव है कि जो थर्ड डिवीजन है इसका बड़ा ही भयानक इतिहास है। विद्यार्थी थर्ड डिवीजन में पास तो कर दिये जाते हैं, लेकिन नौकरियों में उनको स्थान नहीं

[श्री रामायण राय]

मिलता है। कोई विज्ञापन, मेरी चुनौती है सरकार से, ऐसा नहीं निकलता है जिसमें थर्ड डिवीजन वाले के लिए स्थान हो। इसलिए अगर थर्ड डिवीजन में पास होने के बाद नौकरी नहीं मिलती हो तो थर्ड डिवीजन को खत्म कर दिया जाना चाहिये।

जहां तक शिक्षा के क्षेत्र में परीक्षा प्रणाली का सम्बन्ध है, वह कितनी दूषित है उसके सम्बन्ध में श्रीमन्, मैं चाहूंगा कि मुझे दो मिनट का समय और दे दिया जाय, क्योंकि मैं आवश्यक सझाव रख रहा हूं---अगर मंत्री जी को एतराज न हो तो।

श्री अधिष्ठाता---दो मिनट तो आपके बाकी हैं।

श्री रामायण राय---इसके अलावा मैं चाहता था। तो पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि बहुत से ऐसे विद्यार्थी जो सेकेंड क्लास पास थे, उन्होंने परीक्षा में फर्स्ट क्लास पास लोगों से ज्यादा नम्बर पाये। तो यह परीक्षा प्रणाली दूषित है, इसके लिए कोई हाई पावर कमेटी निश्चित होनी चाहिये कि वह परीक्षा की नयी प्रणाली का प्रचलन कर सके। कुछ देशों में ऐसा है कि सामाजिक सेवा, टीचर्स की रिपोर्ट, बाज ऐसी शर्तें होती हैं जिनके आधार पर स्नातकों को डिग्रियां दी जाती हैं। अपने प्रदेश में नियम कुछ नहीं है। अतएव अपनी परीक्षा प्रणाली जो दूषित है, वह समाप्त कर देनी चाहिये।

श्रीमन्, एक चर्चा इस सदन में बार-बार हुई और मैंने खास कर की थी कि अभी जो लखनऊ और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ला फैकल्टी का डिवीजन किया गया है, इसको समाप्त किया जाना चाहिए। स्टैट्यूट ला और जनरल ला, दोनों एक ही कानून में बंधे हैं। इसलिए यह डिवीजन समाप्त होना चाहिये।

अन्त में मैं आपके सामने एक चर्चा करना चाहता हूं जिसके सम्बन्ध में मुझे ताज्जुब हुआ कि अभी तक एक शब्द भी नहीं कहा गया, वह संस्कृत पाठशालाओं में और अन्य भाषाओं के जो अध्यापक हैं उनके सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा गया। मैंने एक समाचार पढ़ा था कि य० पी० की सरकार उनके सम्बन्ध में कुछ विचार कर रही है। मैं समझता हूं कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिये अध्यापकों के वेतन के सिलसिले में।

अन्त में मैं श्रीमन्, विद्यार्थियों के अनुशासन का जो प्रश्न उठाया गया है उसके सम्बन्ध में नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि अनुशासन के सम्बन्ध में मुदालियर कमीशन ने जो रिपोर्ट दी है---मुदालियर कमीशन की बात जाने दीजिये, अभी हाल में राज्यपाल महोदय ने लखनऊ विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों के सामने जो भाषण दिया है श्रीमन्, आपकी सेवा में उसे पढ़कर रखना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता---पढ़ने का समय नहीं है।

श्री रामायण राय---श्रीमन्, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यूनीवर्सिटीज में राजनीतिक दलों को राजनीति का अखाड़ा नहीं बनाना चाहिये।

श्री अधिष्ठाता---आपका समय समाप्त हो गया।

श्री रामायण राय---यही कारण अनुशासन हीनता का है, श्रीमन्, मेरी बात भी समाप्त हो गई।

श्रीमती सज्जनदेवी महनोत (जिला वाराणसी)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज शिक्षा पर अनुदान चल रहा है और यह सही बात है कि हमारी सरकार ने जबसे शासन सूत्र अपने हाथ में लिया है तब से प्रांत में शिक्षा की प्रगति हुई है, इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता है। प्रांत में स्कूल बढ़ाये गये हैं, कालेजेज बढ़ाये गये हैं, इनकी

प्रगति हुई है। तो अध्यक्ष महोदय, कमी और बेशी तो जिसको काम करना होता है, होती ही रहती है और जिनको बिगाड़ना होता है वह टीका कर सकते हैं। हमें तो काम बनाना है, उन्नति करनी है तो हमें यह बातें सुननी ही होंगी कि यह कमी है वह कमी है।

माननीय मंत्री जी का ध्यान मैं मनोवैज्ञानिक केन्द्रों की ओर दिलाना चाहती हूं जहां प्रांत के बच्चों की बुद्धि का अनुसंधान किया जाता है, छानबीन की जाती है, उनके रुझान को देखा जाता है और उनकी रुचि को देखा जाता है कि वह किस लाइन में पढ़ने की ओर है। बाद में अधिकारीगण रिपोर्ट देते हैं कि उनकी रुचि किस ओर है और जिन बच्चों की बुद्धि विकसित नहीं है उनके लिये लिखते हैं कि इन बच्चों की बुद्धि विकसित नहीं हुई है और उनके लिये विशेष शिक्षा का प्रबन्ध होना चाहिये। उन बच्चों के माता-पिता उनको मांटेसरी स्कूलों में ले जाते हैं और वहां के अधिकारीगणों का कहना होता है कि हम उन पर विशेष ध्यान नहीं दे सकते हैं और बात भी सही है। मैं अनुरोध करूंगी कि अनुभव के तौर पर जिन बच्चों की बुद्धि विकसित नहीं हुई है, उनके लिये एक ऐसा विद्यालय खोला जाय, जहां उनकी बुद्धि विकसित हो और वह देश के अच्छे नागरिक बन सकें।

मैं मंत्री जी का ध्यान बालक और बालिकाओं की शिक्षा की तरफ दिलाना चाहती हूं। उन्होंने इस अनुदान में इतना फर्क रखा है कि में कुछ कह नहीं सकती। बालकों के लिये ९,६९,७४,८०० रुपये का अनुदान रखा है और बालिकाओं के लिये ६९,६९,४०० रुपये का रखा है। क्या मैं यह समझूं कि मंत्री जी समझते हैं कि प्रांत में लड़कियों की संख्या कम है? प्रांत में आज महिलाओं को समान अधिकार दे दिये गये हैं तो क्या वह उनको समान योग्यता नहीं देना चाहते हैं? उन्होंने प्रांत भर में बच्चों की शिक्षा तो अनिवार्य कर दी है, लेकिन लड़कियों की शिक्षा की तरफ बहुत कम ध्यान दिया है। जब तक माताएं योग्य नहीं होंगी तब तक बच्चे कैसे योग्य हो सकते हैं। मैं उनका ध्यान इस ओर दिलाना चाहती हूं कि जब तक मातायें योग्य नहीं बनेंगी तो बच्चे कहां से योग्य बनेंगे। समाज कहां से ऊपर उठेगा। मातायें अगर योग्य हो जायंगी तो आवश्यकता नहीं होगी हमें अनिवार्य शिक्षा करने की, आवश्यकता नहीं होगी हमें चौथी, पांचवीं कक्षा पढ़ाने की, मातायें स्वयं अपने बच्चों को उस योग्य बना कर स्कूल में दाखिल करेंगी।

अब मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान मौजूदा शिक्षा पद्धति की ओर ले जाना चाहती हूं। आज बी० ए० और एम० ए० की परीक्षा केवल नौकरी के योग्य ही बनाती है। हमें इस पद्धति को बदलना पड़ेगा। या तो शुरू से ही टेक्निकल धंधा रखना पड़ेगा या यूनिवर्सिटी में ऐसे धंधे रखने पड़ेंगे, जिससे हमारे बच्चे स्वावलम्बी बन सकें, या फिर हमारे इस गरीब प्रांत के लिये बेसिक शिक्षा पद्धति को अपनाना होगा, क्योंकि जिस शिक्षा पद्धति को हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी पसन्द करते थे मैं समझती हूं कि आज उसे अपनाना उचित होगा। अनुभव के तौर पर हमें शुरू करना है।

(इस समय ३ बजकर ३७ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

इसके बाद मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान महिलाओं की ओर ले जाना चाहती हूं कि आज हमारे प्रांत में कोई ऐसी स्वतंत्र संस्था नहीं है जहां पर केवल बालिकाएं ही पढ़ाई जा सकें। इस प्रकार की वनस्थली जैसी संस्था राजस्थान में है, अजमेर में है, वार्धा में है, लेकिन हमारे इतने बड़े उत्तर प्रदेश में कोई नहीं है। यह तो हम सभी जानते हैं कि बालक और बालिकाओं की पढ़ाई में अन्तर होता है और यह जानते हुये भी हम बालिकाओं की पढ़ाई के लिये इतना कम दे रहे हैं। मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगी कि वे हमारे प्रांत के विश्वविद्यालयों में से एक विश्वविद्यालय केवल बालिकाओं के लिये बना करके देखें तो सही कि हमारी बालिकाओं का स्तर ऊंचा होता जा रहा है या नहीं। मैं समझती हूं इसमें उन्नति होगी और प्रांत का भला होगा और उन बालिकाओं की भी उन्नति होगी।

[श्रीमती सज्जन देवी महनोत]

इसके अलावा हमारे प्रान्त में प्लानिंग में उन्नति हुई, शिक्षा में उन्नति हुई लेकिन हमारे चरित्र गिरते जा रहे हैं। अनुशासन-हीनता बढ़ती जा रही है, हमारा शिष्टाचार मिटता जा रहा है। इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि हमारे बच्चे देश के सच्चे नागरिक बन कर हमारे विद्यालयों से निकल सकें। मैं फिर मंत्री जी को बधाई देती हूं।

श्री उपाध्यक्ष---माननीय गौरीशंकर राय, आप कोई प्रस्ताव रखना चाहते हैं?

श्री गौरीशंकर राय---आपकी आज्ञा से मैं सदन के समक्ष यह प्रस्ताव उपस्थित करना चाहता हूं कि आज सदन का समय एक घंटा और बढ़ा दिया जाय क्योंकि शिक्षा में सब लोगों की अधिक दिलचस्पी है।

श्री उपाध्यक्ष---इस संबंध में आपने और दलों से भी कोई बातचीत की है?

श्री गौरीशंकर राय---इस संबंध में तो पहले जब टाइम एलाट हुआ था उस समय सदन में घोषणा हुई थी कि समय बढ़ा लिया जायगा।

श्री कमलापति त्रिपाठी---ऐसा कोई निश्चय तो नहीं हुआ था माननीय, और आज एक घंटा तो प्रातःकाल और मिल ही गया है शनिवार होने के कारण क्वेश्चन आवर का। अब और समय बढ़ाने की आवश्यकता तो मुझे प्रतीत होती नहीं और पहले निश्चित भी नहीं हुआ था।

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद (जिला सीतापुर)---उस समय में तो माननीय मंत्री जी ही १२, सवा १२ तक बोलते रहे थे।

श्री उपाध्यक्ष---तो मैं चाहता हूं कि दोनों पक्षों में समझौता हो जाय और आध घंटे का समय बढ़ालें। (कुछ रुक कर) तो यह तय रहा कि आज सदन ५ बजे के बाद आधा घंटा और बैठेगा।

श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को मानता हूं कि सन् ४६ से जब से इस प्रदेश की सरकार कांग्रेस सरकार के हाथ में आयी तब से शिक्षा का प्रसार निरन्तर हो रहा है। सन् १९५२-५३ में एक ऐसा स्टेज अवश्य आया था जब प्रारम्भिक शिक्षा के विद्यार्थियों की संख्या कुछ घट गयी थी और वह स्थिति तीन वर्ष तक कायम रही। फिर ५५-५६ से संख्या बढ़नी शुरू हुई लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि और स्तरों में भी विद्यार्थियों की संख्या घटी है। और स्तरों पर संख्या बराबर बढ़ती रही है।

श्री उपाध्यक्ष---मैं देख रहा हूं कि सदन में कुछ अशांति है। जरा शांति कायम रखें।

श्री जयराम वर्मा---इसके लिये मैं, जिन किताबों से यह आंकड़े दिये गये कि प्रारंभिक क्षेत्र में संख्या घटती गयी और यह परिणाम निकाला गया कि शिक्षा का प्रसार नहीं हुआ, उसी किताब से दूसरे आंकड़ों की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जूनियर हाई स्कूलों में जहां १९४५-४६ में विद्यार्थियों की संख्या २,३१,०८१ थी, वहां ५०-५१ में बढ़ करके ३,४८,१३७ हुई। ५२-५३ में ३,६९,८६१, ५३-५४ में ४,०५,०२९, ५४-५५ में ४,१४,९२७ तथा ५५-५६ में ४,२७,०२५ संख्यायें रहीं। इसी तरह से उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में छात्रों की संख्या लगातार बढ़ी है। उसी किताब को गौर से देखने से पता चलता है कि डिग्री कालेजों में और विश्वविद्यालयों में भी संख्या बढ़ती गयी है। इससे यह कहना कि ५२-५३ से शिक्षा का प्रसार नहीं हुआ या वह घटा है, ठीक नहीं है।

१९५२-५३ में छात्रों की संख्या घटी इसका विशेष कारण था। जब स्कूलों की संख्या में वृद्धि हुई तो उस समय ऐसे विद्यार्थी जिनके घर की स्थिति ऐसी थी कि वे पढ़ सकते थे, तेजी से स्कूलों में गये लेकिन वह संख्या थोड़े दिनों तक कायम रह सकी थी। जब तक कि नीचे से उस उम्र के लड़के, जिस उम्र के लड़के स्कूलों में जाते हैं, बढ़ कर नहीं आये उसका असर पड़ा और ५२-५३ में लड़कों की संख्या कम हुई। फिर ५५-५६ तक जो दो, तीन वर्ष का मौका मिला, जिस समय ऐसे विद्यार्थियों की उम्र स्कूलों में जाने की हो गयी तो उनकी संख्या बढ़ने लगी और ५५-५६ में संख्या बढ़ गई। चूंकि प्रारम्भिक कक्षाओं में और अब कक्षा ६ में भी फीस माफ हो गयी है इसलिये हम समझते हैं कि ५६-५७ के बाद संख्या पहले की संख्या से कहीं अधिक होगी और वह प्रसार फिर तेजी से शुरू हो जायगा। इस के साथ-साथ मैं इस बात पर हर्ष प्रकट करना चाहता हूं कि हमारे माननीय मंत्री ने इस बात का सदन को आश्वासन दिया है कि शिक्षा में वह हर समय सुधार करने को तैयार हैं। इसमें वह कोई कोरकसर नहीं उठा रखेंगे और गुरुओं को अपना पुराना गौरव वह फिर देने को तैयार हैं। इससे बड़ा संतोष है और मैं समझता हूं कि जो आश्वासन उन्होंने सदन में दिया है उसको वह पूरा करेंगे और गुरुओं का स्थान फिर वही हो जायगा जैसा कि पहले था।

इस बात का भी हमें संतोष है कि शिक्षा को विकसित करने के लिये वह हर तरह का सुझाव सुनने को तैयार हैं और सुझावों पर विचार करके उनके अनुसार कार्य करने को तैयार हैं। इससे मुझको भी थोड़ी सी हिम्मत होती है। मैं भी थोड़े से सुझाव उनके सामने उनके विचार के लिये रखना चाहता हूं।

जैसा कि शिक्षा मंत्री जी ने अपने पहले भाषण में कहा था कि हमारे प्रदेश में महात्मा जी द्वारा चलाई गई बुनियादी शिक्षा तो उसी रूप में प्रतिष्ठित नहीं की गई लेकिन उस से थोड़े परिवर्तित रूप में इस प्रदेश ने बुनियादी शिक्षा को स्वीकार किया और लागू किया, भेद इतना ही था, जैसा कि उन्होंने बतलाया कि जहां महात्मा जी चाहते थे कि शिल्प के माध्यम द्वारा, कला के माध्यम द्वारा शिक्षा चलाई जाय, उस सिद्धांत को हमारे इस प्रदेश ने नहीं माना बल्कि उसमें थोड़ा सा परिवर्तन यह किया कि शिल्प के माध्यम से नहीं वरन् शिल्प के साथ शिक्षा चलायेंगे और उनका कुछ खयाल ऐसा था कि काम के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है, हां, काम के साथ ज्ञान प्राप्त करने में आसानी होगी, इसलिये ऐसी नीति स्वीकार की गई। लेकिन मुझको दुख है कि जिस परिवर्तन के साथ शिक्षा में वह सुधार किया गया था वह सचमुच कार्यान्वित नहीं हुआ और इसका बहुत बड़ा एक कारण यह है कि जो उस शिक्षा को चलाने वाले थे और हैं, मैं समझता हूं कि उनको उस तरह की शिक्षा में पूरा विश्वास नहीं है। उनकी आस्था उस प्रकार की शिक्षा में नहीं है और उसका परिणाम यह हो रहा है कि वह बुनियादी शिक्षा जो हमारे प्रदेश में चलाई गई वह ठीक प्रकार से नहीं चल रही है। अगर मैं यह कहूं कि उसकी छीछालेदर की जा रही है तो अत्युक्ति न होगी। उसका बुरा प्रभाव दूसरों पर पड़ रहा है कि बुनियादी शिक्षा कोई अच्छी शिक्षा नहीं है। तो वह शिक्षा जिस रूप में मंजूर की गई थी उस रूप में उसे चलाने का प्रयत्न करना चाहिये, लेकिन उसको न करके कुछ वर्ष पहले हमारे यहां जब शिक्षा का पुनः संगठन किया गया तो जूनियर हाई स्कूलों में उस समय वही शिक्षा प्रचलित की गई और कुछ परिवर्तन किया गया। उस समय सभी दलों को उत्साह था। सभी ने उसका स्वागत किया लेकिन उस समय जो अध्यापक रखे गये उसके लिये उनको उस दृष्टि से चुना नहीं गया। उनको सचमुच उस पद्धति में विश्वास नहीं है। अध्यापकों में रूरल बायस नहीं है और जो उनकी निगरानी करने वाले हैं उनको भी उस पद्धति पर विश्वास नहीं है। इसका नतीजा यह हुआ कि जो उत्साह उस समय हुआ था वह समाप्त हो रहा है और कुछ लोग तो यहां तक कहने लगे हैं कि इसकी कोई

[श्री जयराम वर्मा]
आवश्यकता नहीं है। इसको वापस ले लिया जाय और इसका कारण यही है कि वह ठीक ढंग से चलाई नहीं जाती। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि यह बुनियादी शिक्षा के लिये बड़ा अभिशाप होगा कि यदि वह इसको इसी गलत ढंग से चलने देंगे। उसे वापस लेने से बहुत बड़ी खराबी होने वाली है। इसलिये मेरी उनसे प्रार्थना है कि इसको ठीक ढंग से चलाया जाय।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—श्रीमान् उपाध्यक्ष जी, मुझे यह सौभाग्य आज प्राप्त है कि मैं एक अध्यापक की हैसियत से विधान सभा में एक सदस्य की हैसियत से अपना विचार रख सकूं। केवल पिछले अध्यापन कार्य के अनुभव के आधार पर मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि शिक्षा के सम्बन्ध में, जो यह मतभेद है और जिसके सम्बन्ध में यह कटौती का प्रस्ताव आया है, उस शिक्षा को सैद्धान्तिक रूप से देखें तो हम सभी मानने के लिये तैयार हो जायेंगे कि आज जो हमारे देश में शिक्षा प्रचलित है वह विदेशी शिक्षा के आधार पर आधारित है और यह शिक्षा हमें किसी सिद्धान्त की ओर ले जाने वाली नहीं है और न यह हमारे किसी लक्ष्य की पूर्ति करती है। यह सर्वमान्य बात है, जिसको हर एक सदस्य, चाहे वह इधर बैठता हो, या उधर बैठता हो, मानेगा। यदि माननीय सदस्य उन बातों पर ध्यान देंगे कि जिनके आधार पर हम जल्दी ही सुधार कर सकते हैं तो जो सुधार कर सकने के लायक हैं उनको हम कर सकते हैं और उनको हम व्यावहारिक रूप में ले आ सकते हैं।

मैं आपके द्वारा सदन के सदस्यों का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि हम प्राइमरी शिक्षा को आगे बढ़ाना चाहते हैं लेकिन मालूम नहीं खर्चे की व्यवस्था के कारण हम आगे क्यों नहीं बढ़ पाते हैं। विश्वविद्यालयों की शिक्षा के लिये मालूम होता है कि केन्द्रीय सरकार और प्रान्तीय सरकार में एक होड़ लगी हुई है कि किस तरह से अधिक से अधिक व्यय उनके लिये किया जाय और कैसे उसके लक्ष्य को पूरा किया जाय। किन्तु बीच की शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा जो आपके द्वारा सारे राज्य में फैली हुई है न तो उसका लक्ष्य तय हो पाता है और न उसके बारे में व्यय होने की बात तय हो पाती है। मैं इस विषय पर बाद को आऊंगा लेकिन पहले प्राइमरी शिक्षा के विषय में निवेदन करना चाहता हूं। यह प्राइमरी शिक्षा जितनी ज्यादा बढ़े बल्कि अनिवार्य हो जाय और १४ साल के जितने विद्यार्थी हों वह सब शिक्षित हो जायं तो यह देश के लिये अच्छा है। उनके लिये इस प्रकार की शिक्षा का होना उनका सर्वमान्य मौलिक अधिकार है जिसको हमें पूरा करना है। उसकी तरफ हमारा देश कितना आगे बढ़ा है? यह बतलाया गया कि हम प्राइमरी शिक्षा को बढ़ाने में आगे नहीं बढ़े हैं बल्कि पीछे हटे हैं।

इसी प्रकार से अध्यापकों के वेतन की शिकायत आज की नहीं है। यह शिकायत बहुत सालों से दोहरायी गयी है और यह पुराना कोढ़ है। क्या इस कोढ़ को दूर करने के लिये यह सरकार यत्न कर रही है? मुझे इसमें कोई ऐसी चीज नहीं दिखाई देती है जो आशाजनक हो। यह कहावत बन चुकी है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मुलाजिमों को ४ महीने और ५ महीने तक वेतन नहीं मिलता है। मैं नहीं समझ पाता हूं कि जब स्थानीय निकायों के द्वारा उनका वेतन दिया जाना दोषपूर्ण है तो क्यों नहीं इस प्रथा को हटा दिया जाता? सरकार यह कहती है कि हम उनका वेतन देने के लिये तैयार हैं तो फिर उनको वेतन क्यों नहीं समय पर दिया जाता? अगर स्थानीय निकायों की दशा अच्छी नहीं है तो सरकार को अपने हाथ में इन्हें लेना चाहिये। अगर एक अल्प वेतन भोगी को ४, ३ या २ ही महीने तक वेतन नहीं मिलता है तो क्या यह उनके लिये दुखजनक बात नहीं होती है? माननीय मन्त्री जी इस बात को अवश्य महसूस करते होंगे। लेकिन मालूम होता है वह असहाय हैं और उनकी सरकार इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कर सकती है।

मैं आप के सामने माध्यमिक शिक्षा के सम्बन्ध में जो समस्या है उसको भी रखना चाहता हूं। जब से यह सरकार बनी वे अध्यापक यह आशा लगाये हुये थे कि उनके लिये

कुछ सोचा जायगा और उनका भी उद्धार होगा। मेरे सहयोगी अध्यापकों को जब यह मालूम हुआ कि उनका एक सहयोगी इस सदन में आया है और उसको बोलने का अवसर मिला है तो आज वे आशा भरी निगाह से हमारी तरफ देख रहे हैं। मैं उन असहाय अध्यापक और विद्यार्थियों की असुविधा और कष्ट को आप के सामने रखना चाहता हूं जो आज अनेक दिक्कतों के नीचे पड़े कराह रहे हैं। उन विद्यार्थियों की बात मैं आप के सामने रखूं, जो विद्यार्थी मध्यम वर्ग से आते हैं, निर्धन वर्ग से आते हैं, क्या वे उस खर्चीली पढ़ाई को संभाल सकते हैं, क्या अपनी खर्चीली पढ़ाई के किताबों के बोझ को वहन कर सकते हैं? क्या हमारे ऐसे निर्धन देश में ऐसी खर्चीली किताबों से शिक्षा देकर उद्धार हो सकता है? जो गार्जियन अपने विद्यार्थियों की पढ़ाई का खर्चा देते-देते इतना गरीब हो जाता है कि दूसरे खर्चों को बर्दाश्त नहीं कर पाता और दूसरी ओर वह विद्यार्थी भी जब निकम्मा हो कर निकलता है तब वह इस सरकार को निकम्मी और असफल करने में संकोच नहीं करता। इस माध्यमिक शिक्षा के सुधार के लिये बड़ी-बड़ी कोशिशें की गयीं। पिछली बार भी यह आश्वासन दिया गया कि बहुत जल्दी सुधार करेंगे। उस सुधार के लिये आपने एक कमेटी बनायी। उस कमेटी ने बहुत सोच-समझ कर एक बिल पेश किया और सरकार ने उसको अपने अन्तिम चरण में पेश किया जब पांच वर्ष का समय समाप्त होने जा रहा था। जब यह इंटरमीडियेट बिल लाया गया था तो साधारण रूप से यह समझा जाता था कि इसमें सरकार की कोई चाल अवश्य है। केवल चुनाव के लियेबिल को सामने रख दिया गया, जिससे लोगों को कुछ आशायें हो जायं किन्तु वह लैप्स हो गया। चुनाव के बाद उसको ले आना चाहिये था लेकिन नहीं लाया गया। मैं इस समय उसकी अच्छाइयों और बुराइयों को बताने के लिये तैयार नहीं हूं लेकिन ऐसी चीज जरूर उसमें थी जिससे अध्यापकों की तकलीफों का निराकरण होता था। उससे कुछ ऐसा लगता था मैनेजिंग कमेटियों का झगड़ा मिट जायगा। मैनेजिंग कमेटी में टीचर्स का भी प्रतिनिधित्व होगा। यह भी आश्वासन दिया गया था कि इंटरमीडियेट और हाईस्कूल बोर्ड में भी सुधार होगा। यह बोर्ड जो सी० वाई० चिन्तामणि के जमाने में बना था, बड़ी आशायें लेकर बनाया गया था लेकिन २१ से ५७ तक ३६ साल के बाद वह अपनी उसी जगह पर कायम है।

श्री उपाध्यक्ष--आप के समय में अब एक ही मिनट रह गया है। एक मिनट लाल बत्ती को जले हो गया। आपने उसे देखा नहीं।

श्री मोतीलाल अवस्थी--जिस प्रकार और माननीय सदस्यों को २-४ मिनट मिले हैं उसी प्रकार रियायत के लिये मैं भी प्रार्थना करता हूं। क्योंकि हम लोगों को इस प्रकार बोलने का बहुत ही कम मौका मिला करता है।

मैं यह कह रहा था कि माध्यमिक एजूकेशन बिल जिसके लिये बहुत ही आवाज बुलन्द की गयी थी, वह गढ़े में पड़ा हुआ है। क्या सरकार उसे उस गढ़े से निकाल कर उस पर फिर से विचार करने की कृपा करेगी। कितने ही सरकारी मंत्री जी हैं, कितने ही सरकारी कर्मचारी हैं जो बिल के संबंध में ६ साल से सोच रहे हैं, सो जाते हैं और फिर सोचते हैं और फिर सो जाते हैं।

इतने खर्चे के बाद भी जो लड़के निकलते हैं वे कितने निकम्मे निकलते हैं जिसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। न तो वे किसी रोजगार को ही कर सकते हैं और न वे शरीर और मस्तिष्क से ही ठीक होते हैं। शरीर का हाल यह कि आंखों पर चश्मा लगा हुआ होता है और मस्तिष्क का हाल यह है कि वह इतना कमजोर हो गया है जो हाई स्कूल और इंटरमीजियेट की परीक्षाओं के नतीजे को देखने से ज्ञात होता है। इससे इस बोर्ड की कार-गुजारी भी मालूम होती है कि इंटरमीजियेट में ४० प्रतिशत और हाईस्कूल में ४२ प्रतिशत बच्चे पास होते हैं। इससे ज्ञात होता है कि बोर्ड कैसा कार्य कर रहा है।

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

इसके अतिरिक्त आपने अंग्रेजी को अनिवार्य कर दिया है जो छोटे-छोटे बच्चों को बचपन से ही पढ़नी पड़ती है। मिश्र जी ने बेसिक शिक्षा की बात कही लेकिन मैं बतलाना चाहता हूं कि अंग्रेजों के वक्त में जब कि हम गुलाम थे तब भी अंग्रेजी इतनी ज्यादा नहीं थी जितनी कि आज स्वतंत्र होने के बाद यहां के विद्यार्थियों के ऊपर लाद दी गयी है। आज ९० प्रतिशत विद्यार्थियों को अंग्रेजी पढ़ने के लिये बाध्य किया जाता है। आखिर अंग्रेजी की तरफ इतनी रुझान क्यों है? मैं विद्यार्थियों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि उन विद्यार्थियों के ऊपर जरा दया कीजिये। जब तक आप उनके ऊपर से विदेशी भाषा अंग्रेजी का बोझ नहीं हटायेंगे तब तक वे नहीं महसूस करेंगे कि स्वराज्य क्या है? इसलिये उनकी बुद्धि के विकास के लिये, उनके स्वस्थ शरीर के लिये, उनके कल्चरल अपलिफ्ट के लिये आप कम से कम इस काम को जरूर कीजिये कि उनको इतनी कम उम्र से ही अंग्रेजी न पढ़नी पड़े।

पाठ्य पुस्तकों के सेलेक्शन का जो क्रम है वह भी इतना खराब है कि मैं कुछ कह नहीं सकता। चाहे गोविन्द सहाय जी जितनी भी उसूल की बात कहें लेकिन वे हमारी बात सुनने वाले नहीं हैं। वे स्वयं चाहें कहें तो वे सुन भी लें क्योंकि वे उस पक्ष में बैठे हुए हैं। तो मेरी प्रार्थना यही है कि पाठ्य पुस्तकों को जल्दी-जल्दी बदलने का जो क्रम है कम से कम उससे छुटकारा दिला दें तो बहुत अच्छा हो। सरकार को चाहिये कि वह कानून में इस तरह की व्यवस्था कर दे कि विद्यार्थियों को १४ साल की उम्र से पहले अंग्रेजी नहीं पढ़ायी जायगी। अगर वे ऐसा नहीं करते तो वह विद्यार्थियों के साथ बड़ा अन्याय कर रहे हैं। अगर विद्यार्थियों को दर्जा ५, ६, ७ से ही अंग्रेजी पढ़ायी जाय जो एक विदेशी भाषा है, तो यह घोर अन्याय होगा.....

श्री उपाध्यक्ष---माननीय सदस्य का समय समाप्त हो गया।

श्री यशपाल सिंह (जिला सहारनपुर)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, समय बहुत जल्दी जा रहा है इसलिये मैं दो-चार शब्दों में आप के सामने अपने विचार रखना चाहता हूं। पिछले सालों में जब से हमने इरादा किया था कि हम बेसिक शिक्षा का प्रसार करेंगे, तब से आज तक हम कितनी उन्नति कर सके हैं इस बेसिक शिक्षा के कारण, यह गवर्नमेंट के ही अल्फाज में आप के सामने अर्ज कर दूं। सन् १९५१-५२ में २४,५६,८८६ लड़के बेसिक शिक्षा पाते थे और सन् १९५५-५६ में २२,५३,२३१ लड़के बेसिक शिक्षा पा रहे हैं। यानी तीन-चार साल के अन्दर घटते-घटते दो, तीन लाख लड़के घट गये। इस शिक्षा से न तो हमारा मानसिक विकास हुआ, न कैरेक्टर बिल्डिंग हुआ न मांडी बिल्डिंगन। समाज के अन्दर चोरी कम हुई, न डकैतियां कम हुईं। जो कुछ हुआ शिक्षा से वह यह हुआ है कि रुपया जाता रहा और बरबाद होता रहा। अगर हम वाकई गांधी जी के उसूलों पर भारतीय संस्कृति से इस शिक्षा को चलाते तो जो करोड़ों रुपया खराब हुआ है, वह करोड़ों रुपया बचता और हमारा समाज उच्च होता और इस देश में सभ्य नागरिक पैदा होते। शिक्षा का विषय ऐसा नहीं है जो इनकार किया जा सके। मैं अपने माननीय मंत्री जी से, उपाध्यक्ष जी के द्वारा, यह अर्ज करना चाहता हूं कि माननीय शिक्षा मंत्री जी से हमें यह आशा है कि आप कर सकते हैं। आप एक ऐसी शिक्षा और एक ऐसे समाज का निर्माण कर सकते हैं जिसमें हमारे राष्ट्र के बच्चे स्वतंत्र रूप से एक सैनिक की तरह और एक उच्च राष्ट्र के नागरिक की तरह खड़े हो सकते हैं, हमें आपसे यह आशा है। माननीय शिक्षा मंत्री की तपस्या और साधना से हमें यह आशा है कि वे शिक्षा के क्षेत्र में क्रान्ति ला सकते हैं लेकिन "one thing at a time" एक टाइम में दो काम नहीं हो सकते। आपके पास इस प्रकार के साधन हैं कि आप दूसरे काम को छोड़ कर शिक्षा की उन्नति कर सकते हैं। गृह मंत्री का कार्य कोई इतना महान् नहीं है जितना कि शिक्षा का कार्य महान् है। वह सेकेंडरी चीज है उसको छोड़ कर आप इस प्रदेश को आगे ले जा सकते हैं। कोई बहुत दूर जाने की बात मैं नहीं कहता। हमारे

नजदीक का ही एक देश चीन है। वहां आजादी के बाद आज तक कभी सुनने में नहीं आया कि वहां ब्लैक मार्केटिंग होती है, वहां करप्शन होता है। वहां यह सुनने में नहीं आता कि कोई अभक्ष्य पदार्थ को खाता है। इस बात को कह कर आप पिंड नहीं छुड़ा सकते कि इसके लिये सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून है। यह कह कर पिंड नहीं छटेगा कि इसकी जिम्मेदार केन्द्रीय सरकार है। नाबालिग लड़कों को बनस्पति के लिये रोक सकते हैं, असेम्बली हाल के अन्दर रोक सकते हैं। हम स्वयं अपना सुधार कर सकते हैं। जो बच्चे कोकोजम खाते हैं, डाल्डा खाते हैं और जो मास्टर और लेजिस्लेटर्स डाल्डा और कोकोजम का सामान खाते हैं उन से यह आशा करना कि अच्छा कानून बने, नेशन का निर्माण हो या वह देश का निर्माण कर सकते हैं, यह सरासर नामुमकिन है। बापू जी ने कहा था जिस तरह जाली रुपया बनाने वाले को सजा होती है उसी तरह जाली घी बनाने वाले को सजा होनी चाहिये। मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से उपाध्यक्ष महोदय, आप के द्वारा कहूंगा और निवेदन करूंगा कि अरब का मुल्क हमारे पास में है वहां के करोड़ों आदमियों में भी आप को एक आदमी चोर या ईश्वर विहीन नहीं मिलेगा, उनके यहां की शिक्षा ऐसी है, उनका कानून ऐसा है कि तीन चार आदमियों को सख्त सजा दी गई और हाथ काट डाले गये इसलिये अब वहां कोई चोरी नहीं करता। वहां पर कोई खुदकशी नहीं करता।

हमारे बच्चे कालिजों से जो पैदा होते हैं और स्कूलों में पढ़ते हैं वह धोबी, दर्जी और नाई के गुलाम पैदा होते हैं। वह अपनी इन आदतों से देश का निर्माण नहीं कर सकते। हमारा सोने का देश है, उसे ईश्वर ने आजाद कर दिया और यहां की जनता को स्वतंत्रता मिली। अब हमारा कर्त्तव्य है कि हम अपने यहां अपने बच्चों का चरित्र निर्माण करें लेकिन हमारे यहां चरित्र का निर्माण हो कैसे। चारों तरफ तो सिनेमा का अश्लील वातावरण है और वहां के प्रेम के अश्लील गाने हैं। जिधर जाओ वहीं जहर बरसता है और सारा वातावरण ही दूषित हो गया है। इस अश्लील वातावरण से हमारे बच्चों का चरित्र खराब होता जाता है। मैं कहूंगा कि हमारी उस तपोभूमि में, माननीय मुख्य मंत्री की तपोभूमि में, माननीय शिक्षा मंत्री जी की तपोभूमि में, बनारस में सब से ज्यादा रिक्शा खींचने वाले और वेश्यायें हैं। मैं चाहता हूं कि हमारी उस पवित्र तपोभूमि से यह कलंक और बुराइयां दूर होनी चाहिये और हमारे राष्ट्र में एक आदर्श जीवन का निर्माण होना चाहिये, हमारी ऐसी विद्या हो जिससे मनुष्य का कल्याण हो। "साविद्या या विमुक्तये" हमें अपने माननीय शिक्षा मंत्री जी से आशा है कि वह इस प्रकार की शिक्षा का यहां प्रबन्ध करेंगे। वह इस प्रदेश के बच्चों के चरित्र को ऊंचा उठा सकते हैं, यहां की संस्कृति को और भविष्य को वह उज्ज्वल बना सकते हैं, वे गृह मंत्रित्व का लोभ संवरण कर के शिक्षा ही के काम को अपने हाथ में लें।

हमारे यहां पहले धार्मिक शिक्षा होती थी, रूहानी तालीम होती थी, मजहबी तालीम होती थी और उसका असर विद्यार्थियों के चरित्र पर पड़ता था, लेकिन अब वह तालीम हमारे यहां नहीं है उसका नतीजा यह है कि लड़कों में वह आत्मविश्वास, वह चरित्रबल नहीं रह जाता जिससे वह अच्छे राष्ट्र के निर्माण के योग्य बन सकें। हालत यह है कि एक वाकया हुआ एक लड़का था मेरा रिश्तेदार ही था, सुनकर आंखों में आंसू आ जाते हैं, वह बिलकुल नौजवान लड़का था, उम्र उसकी २५-२६, साल की रही होगी, उसने अपने यहां परीक्षा में टाप किया था, पढ़ने में तेज था बीसियों जगह से शादी की आफर आई। परन्तु वह इनकार करता रहा। लेकिन एक दिन लेबोरेटरी में वह गया और वहां किसी जहरीली चीज का इंजेक्शन लगा लिया और लिख कर रख दिया कि 'Failure in love is failure in life' और वह जहर ले कर हमेशा के लिये नींद में सो गया। इस तरह का वातावरण आज की शिक्षा में, आज के विद्यार्थियों में पैदा हो गया है। हमने या आपने कभी यह नहीं सुना कि फला गुरुकुल या विद्यापीठ का स्नातक जहर खा कर प्रेम में मर गया। या देवबन्द के दारुलउलूम का कोई विद्यार्थी जहर खा कर मर गया, वहां पर चाहे संस्कृत की तालीम होती हो या अरबी की लेकिन वहां की तालीम इस तरह की है कि ऐसी धार्मिक वृत्तियां वहां पैदा की जाती हैं, ऐसी मजहबी तालीम दी जाती है कि वही

[श्री यशपाल सिंह]

पर ब्रह्म परमेश्वर सब का राजिक है। हमारा ऐसा देश है जहां पर हमेशा अच्छे गुरु, अच्छे आचार्य पैदा होते रहे हैं जिनसे संसार को विद्या और रोशनी मिलती रही है—

'एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः
स्वंस्वम् चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्व मानवा :"

हमें माननीय मंत्री जी से आशा है कि वह इस प्रदेश की शिक्षा को उसी स्तर का बनायेंगे जिससे देश के नवयुवकों का चरित्र ऊपर उठे, उनमें आत्म बल आये और ऐसी शिक्षा को वह यहां न चलने दें जो गुलाम बनाती है। इकबाल ने कहा था कि:

"तुम्हारी तहजीब अपने खंजर से आप ही खुदकुशी करेगी,
जो शाखे नाजुक पे आशियाना बनेगा नापायेदार होगा।"

हमारी शिक्षा की कोई ऐसी पद्धति होनी चाहिये कि जिससे हमारे बच्चों का बाडी, कैरेक्टर बिल्डिंग, हो और योग्य नागरिकों का निर्माण हो। हम इस तरह की शिक्षा दें जिससे हमारा अखलाक ऊपर उठे। हममें आप में कोई विरोध नहीं है, मैं कोई विरोधी की भाषा में नहीं कहना चाहता, हम सब मिल कर देश को आगे ले जायं लेकिन हमारी दिक्कत यह है कि दुनियां के अन्दर वह चीज बहुत कठिन है कि मीठी भी हो और लाभदायक भी हो 'हितं मनोहारि च दुर्लभं वचः'। फिर भी आप से हमें आशाएं हैं। आप इस काम को कर सकते हैं आपने हमारे सामने आदर्श रखे हैं। चल कर आप देखिये देवबन्द में दारुल उलूम के अन्दर १५ सौ तुलबा शिक्षा पाते हैं। उनसे कोई खर्चा नहीं लिया जाता। चाहे वह अमीर का लड़का हो या मजदूर का बेटा हो एक ही चटाई पर बैठते हैं। भ्रातृ भाव से रहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—आप का समय समाप्त हो गया।

*श्री बेचनराम गुप्त (जिला वाराणसी)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक शिष्य के नाते बोल रहा हूं और गुरु जनों की बातों का जवाब देना मैं अपनी धृष्टता समझता हूं। यदि कोई धृष्टता होगी तो मुझे आशा है कि गुरु जन मुझे क्षमा करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—इस सदन में भी आप का कोई गुरु है?

श्री बेचनराम गुप्त—जी हां, हैं। तभी तो मैं कह रहा हूं।

आचार्य दीपांकर (जिला मेरठ)—प्वाइंट आफ आर्डर। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता था कि गुरु शिष्य की प्रणाली सदन में कब से चली है?

श्री उपाध्यक्ष—वह तो इस बात का जिक्र कर रहे थे कि वह कभी गुरु थे और वह पहले के शिष्य थे। सदन में कोई ऐसी कार्यवाही नहीं होती।

श्री बेचनराम गुप्त—मैं शिक्षा मंत्री जी का भाषण सुन रहा था, बड़े गौर से। वह करीब एक घंटे के बोले। मुझे आश्चर्य हुआ कि संस्कृत की शिक्षा के बारे में उन्होंने सरकार की कोई नीति प्रकट नहीं की। मैंने जो पुस्तक प्रसारित हुई है उसको देखा तो उससे कुछ सरकार की नीति मालूम होती है कि केवल १ हजार ३४ संस्कृत पाठशालाएं इस प्रदेश में हैं। और १० पाठशालाएं केवल गवर्नमेंट चलाती है। ४५८ पाठशालाओं को सरकारी सहायता मिलती है और बाकी पाठशालाओं को सहायता नहीं मिलती। यह बात सच है कि काशी में एक विश्वविद्यालय संस्कृत के लिये कायम हो रहा है। परन्तु इस विश्वविद्यालय के साथ साथ यह भी बहुत जरूरी है कि विश्वविद्यालय को फीड करने के लिये अधिक से अधिक संस्कृत पाठशालाएं इस प्रदेश में कायम हों और जो सरकार की नीति दिखलायी पड़ रही है उससे जरा दुख हो रहा है। आज संस्कृत पाठशालाओं की हालत बहुत खराब है। उनके पढ़ाने के लिये कोई इमारत नहीं है। पेड़ के नीचे शिक्षक बैठ कर विद्यार्थियों को शिक्षा देता है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जहां तक इस पुस्तक के देखने से पता चला तो मालूम यह हुआ कि उनका पाठ्यक्रम वही है जो माध्यमिक विद्यालयों का पाठ्यक्रम है और जो सहायता सरकार की तरफ से मिलती है वह ६०० रुपये और ५०० रुपये से अधिक नहीं मिलती। जो थोड़ी सी आदर्श संस्कृत पाठशालायें हैं उनको शायद वह एक हजार रुपये देते हैं।

कुछ दिन हुए कि अखिल भारतीय संस्कृत परिषद् की बैठक काशी में हुई थी और उसमें महामहिम राष्ट्रपति भी पधारे थे। उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि इस देश में राजे महाराजे नहीं रहे, जमींदार नहीं रहे, सेठ साहूकार भी अब खत्म हो रहे हैं। तो प्रदेश की सरकारों का कर्तव्य है कि इन पाठशालाओं की आर्थिक सहायता करें। उस बात से मेरे हृदय पर बहुत असर पड़ा और इस वास्ते मैंने उसको दोहराना इस सदन में उचित समझा कि माननीय मंत्री जी को इस बात की याद दिला दूं कि इन पाठशालाओं की आर्थिक सहायता यदि नहीं होगी तो विश्वविद्यालय कायम करने से कोई अच्छा परिणाम नहीं होगा। श्रीमन्, मैं एक छोटी सी रियासत का रहने वाला हूं जो कि अब इस प्रदेश में विलीन हो गयी है। मगर उस रियासत में बहुत सी अच्छी बातें थीं। एक बात वहां पर बहुत अच्छी थी कि वहां पर विद्यार्थियों से हाई स्कूल तक की शिक्षा का शुल्क नहीं लिया जाता था। क्या ही अच्छा होता यदि इस प्रदेश की सरकार इस बात का अनुकरण किये होती कि अपने प्रदेश में हाई स्कूल तक की शिक्षा वह निःशुल्क रखे होती।

उस समय हम लोगों ने एक आन्दोलन किया था उसके फलस्वरूप वहां के निवासियों से हाई स्कूल तक की फीस नहीं ली जाती है। मगर हमने देखा कि पंजाब एक छोटा सा प्रदेश है जहां कि ऐन्ट्रेंस तक की शिक्षा निःशुल्क है। कश्मीर भी हमारे प्रदेश से छोटा है जहां कि युनिवर्सिटी तक की शिक्षा निःशुल्क होती है। सब प्रांतों में से एक, दो को छोड़कर हमारे यहां लिट्रेसी बहुत कम है। श्रीमन्, आसाम में लिट्रेसी २२.८, बम्बई में ३०.३, मद्रास में २३.८, पंजाब में १९.८, वेस्ट बंगाल में २६.७, ट्रावनकोर कोचीन में ५८.३ और यू०पी० में १३.७। तो इस बात को देखते हुये यह बहुत जरूरी मालूम होता है कि शिक्षा कम से कम हाई स्कूल तक निःशुल्क कर दी जाय। उस जमाने में बनारस स्टेट के जिले में एक नार्मल स्कूल था और विलय के बाद भी वह स्कूल एक साल तक चलता रहा। साल भर बाद वह नार्मल स्कूल बन्द कर दिया गया और यह जनता से कहा गया कि आपका प्रतिनिधित्व बनारस के नार्मल स्कूल में हुआ करेगा। श्रीमन्, हम देखते हैं कि जब से वह स्कूल खत्म हो गया है तब से अध्यापकों में अनट्रेंड टीचरों की काफी संख्या बढ़ गयी है। अभी जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को आदेश गये कि अन्ट्रेंड टीचर्स को हटा दिया जाय उससे बड़ी परेशानी हो गई है और सैकड़ों टीचर हटा दिये गये हैं। अगर वह नार्मल स्कूल वहां पर कायम रहता तो शायद यह स्थिति पैदा न होती। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में यह लिखा गया कि सबसे पहले नार्मल स्कूल ज्ञानपुर में कायम होगा। खेद की बात है कि अभी तक कायम नहीं हुआ। कुछ चर्चा जरूर थी पर मालूम होता है वह कहीं दूसरी जगह ले जाया गया।

श्रीमन्, इस प्रांत में कुछ समय हुआ दो डिग्री कालेज बने। एक नैनीताल में और दूसरा ज्ञानपुर में और जनता ने उसमें काफी सहयोग दिया। पर हम देखते हैं कि दोनों कालिजों को सरकार एक आंख से नहीं देखती है। नैनीताल के कालेज में काफी तरक्की है और ज्ञानपुर के कालेज में अवनति है, यद्यपि कि वहां इस समय ४०० से कम विद्यार्थी नहीं हैं और नैनीताल में शायद इसके आधे ही होंगे। वहां साइंस का भी क्लास खोल दिया गया। यहां पर लेबोरेटरी मौजूद है, अध्यापक मौजूद हैं फिर भी साइंस का क्लास नहीं खोला जाता है और बहुत कहने सुनने पर यह कहा गया कि हम मैथेमेटिक्स का क्लास खोले देते हैं। तो श्रीमन्, आजकल के जमाने में साइंस की बड़ी कदर है, वहां के लोग मैथेमेटिक्स लेकर क्या करेंगे।

[श्री बांचनराम गुप्त]

एक दूसरी बात थी जिसकी तरफ मैं मंत्री जी का विशेषकर ध्यान दिलाना चाता हूं कि एक जूनियर गर्ल्स स्कूल वहां पर है और जिसके लिये वहां की सरकार ने कुछ रुपया भी इस सरकार को दिया था और इसके पहले जो शिक्षा मंत्री थे वहां पर गये थे, उन्होंने कहा था कि इसको हम हायर सेकेंड्री स्कूल के रूप में परिवर्तित कर देंगे। उसकी बड़ी आवश्यकता है। सारी स्टेट में चकिया, ज्ञानपुर, रामनगर, कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहां कोई हायर सेकेंड्री स्कूल हो। इस वास्ते मैं मंत्री जी से कहूंगा कि ज्ञानपुर में लड़कियों के लिये एक हायर सेकेंड्री स्कूल की विशेष आवश्यकता है।

श्रीमन्, मैंने देखा कि प्राइमरी स्कूलों की इमारतें इस प्रांत में बड़ी खराब दशा में हैं। थोड़े से स्कूल तो जरूर अच्छी हालत में हैं। कानपुर से सरूपाबाद में जा रहा था तो रास्ते में कुछ पक्की इमारतें दिखाई पड़ीं। मालूम हुआ कि कानपुर के पदमपत सिंहानिया ने इन स्कूलों को बनवाया है। मैं चाहता हूं कि इसी प्रकार प्रांत भर में प्राइमरी स्कूलों की इमारतें हो जायं। महात्मा गांधी ने कहा था कि पहली बात बच्चों को स्वच्छता सीखनी चाहिये ताकि उनको शारीरिक विकास के लिये अवसर मिले। इन स्कूलों को अगर आप देखेंगे तो टूटे-फूटे मिलेंगे, टाट बड़े गन्दे रहते हैं। सिवा इसके कि कोई शारीरिक या मानसिक विकास हो वे अवनति की ओर जाते हैं। हमारे प्रांत में लिट्रेसी बहुत कम है। लेकिन जो कुछ रुपया रखा गया है वह बहुत कम है। फिर भी मैं माननीय सदस्य जिन्होंने कटमोशन मूव किया है उनसे निवेदन करूंगा कि वे उसे वापस ले लें। जो रकम रक्खी गई है उसे हम लोग खुद समझते हैं कि बहुत कम है।

श्री डूंगरसिंह (जिला हमीरपुर)—श्रीमन्, मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी को जिन्होंने कि अध्यापक वर्ग के लिये आदर सूचक शब्द कहे हैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं। अगर हम बजट की भिन्न-भिन्न धनराशियों पर दृष्टि डालें तो पता चलता है कि शिक्षा के लिये जो धनराशि स्वीकृत की गई है वह सबसे अधिक है। इससे सिद्ध होता है कि सरकार शिक्षा के लिये कितना महत्व देती है। सन् ४७ में पुलिस के लिये ४ करोड़ रुपये की अनुदान रक्खा गया था और शिक्षा के लिए तीन करोड़। शिक्षा का अनुदान आज ५ गुना बढ़ गया है लेकिन पुलिस का अनुदान उतना नहीं बढ़ा है। यह भी एक सराहनीय चीज है और यह मालूम होता है कि सरकार सही कदम उठा रही है अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिये। सन् १९४७ में और आज, शिक्षा पर जो अनुदान दिया गया है दोनों का मैंने परसेंटेज निकाला। पूरे खर्चे को देखते हुये तो यही सिद्ध हुआ कि आज जो अनुदान दिया गया है वह अधिक परसेंटेज में है जिससे यह सिद्ध होता है कि सरकार सही रास्ते पर जा रही है। इसके अतिरिक्त माननीय शिक्षा मंत्री तथा शिक्षा विभाग की तरफ से जो आंकड़े हमको मिले हैं उनसे भी सिद्ध होता है कि पिछले दस वर्षों में शिक्षा ने बहुत ही प्रगति की है। यह बहुत ही सराहनीय बात है। इससे यह सिद्ध होता है कि सरकार समाज कल्याणकारी राज्य की तरफ बढ़ती जा रही है। लेकिन मैं देखता हूं कि शिक्षा में अभी बहुत से सुधार करने हैं।

मैंने लाइब्रेरी में भिन्न-भिन्न राज्यों के बजटों को देखा और देखकर मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि उड़ीसा राज्य को छोड़ कर और जितने राज्य हैं वे शिक्षा पर अधिक खर्च करते हैं। उत्तर प्रदेश में उड़ीसा को छोड़ कर शिक्षा पर बहुत कम खर्च किया जाता है। इसके साथ-साथ मैंने पुलिस और शिक्षा के खरचे का मिलान किया भिन्न-भिन्न राज्य के बजटों में तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि सिवा पश्चिमी बंगाल और पंजाब के पुलिस पर उत्तर प्रदेश सरकार अधिक खर्च करती है बनिस्बत अन्य राज्यों के। यह उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिये जो हमेशा भारतवर्ष का पथ-प्रदर्शक रहा है कोई शोभा की बात नहीं है। हमारे यहां शिक्षकों का इतना आदर होते हुये शिक्षा के लिये इतनी कम रकम रखना कोई सही कदम नहीं है। कश्मीर में शिक्षा फ्री है। वर्मा जो हमसे बाद में आजाद हुआ है वहां पर भी शिक्षा फ्री है, पंजाब में हाई स्कूल तक शिक्षा फ्री कर दी गयी है, तो उत्तर प्रदेश इन रियासतों से, इन राज्यों से पीछे रह जाय, इसमें मुझे दुख है।

मैंने एक चीज और मार्क की है कि उत्तर प्रदेश में बहुत से प्रयोग होते हैं जिनको कि पूरे राज्य में एकदम लागू कर दिया जाता है और उसका नतीजा कभी-कभी ऐसा होता है जसा कि रेल के फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, इंटर क्लास और थर्ड क्लास के डिब्बों का हुआ। सन् १९४८ में माध्यमिक शिक्षा का पुनर्संगठन हुआ तो उसमें ४ ग्रुप्स में शिक्षा बांट दी गयी और बहुत से सब्जेक्ट हैं जो कम कर दिये गये, आप्शनल हो गये--जैसे मैथेमेटिक्स आप्शनल हो गया, बहुत से विषय कम्पलसरी बना दिये गये और आप्शनल और सब्सीडियरी भी बना दिये गये। इस तरह से बड़ी परेशानी हुई और बाद में शिक्षा विभाग इस नतीजे पर आया कि यह सब खत्म कर दिये जायं और केवल एक ही विषय रह जाय और एक सी ही किताबें हों और फिर से मैथेमेटिक्स लागू कर दिया गया। ऐसे कारनामों से जनता पर बुरा असर पड़ता है और लोग आखिर में यही कहने लगते हैं कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों को ब्रेन वेव्स आया करती हैं। तो इस तरह से जो कदम उठाये जायं वह सोच समझ कर उठाये जाने चाहिये जिससे बाद में पछताना न पड़े और यदि उनको प्रयोग ही करना है तो वह बहुत ही लिमिटेड एरिया में होना चाहिये, जिससे पूरे सूबे के बच्चों के साथ खिलवाड़ न हो।

एक चीज मैं और देख रहा हूं कि ज्ञानात्मक और क्रियात्मक शिक्षा का समन्वय हुआ है यानी शिक्षा को कला से केंद्रित किया गया है। आजकल जूनियर हाई स्कूल्स में दो तरह की शिक्षा चल रही है, एक कृषि केंद्रित और दूसरी शिल्प केंद्रित। कृषि केंद्रित जो शिक्षा है उससे मुझे पूर्ण रूप से संतुष्टि नहीं है। वहां पर यह देखने में आता है कि छोटे से, जरा-जरा से बच्चे आते हैं और उनको फावड़ेबाजी ज्यादा सिखायी जाती है और वह इतने छोटे-छोटे बच्चे होते हैं कि इतनी सख्ती में काम को नहीं कर पाते हैं और गार्जियन्स आते हैं और कहते हैं कि इससे तो हमारा बच्चा घर पर ही रहे तो ज्यादा अच्छा होता। इस तरह की चीजें ठीक नहीं हैं। गवर्नमेंट आफ इंडिया ने असेसमेंट कमेटी नियुक्त की थी, उसकी भी यही रिपोर्ट है कि फिजिकल लेबर बच्चों के सर पर अन्ड्यू नहीं होनी चाहिये। इस कृषि केंद्रित या शिल्प केंद्रित शिक्षा में बहुत लाइट वर्क दिया जाना चाहिये जिससे विद्यार्थी कला के माध्यम के द्वारा ज्ञान प्राप्त कर सके।

मैं कुछ थोड़े से शब्द माध्यमिक शिक्षा की बाबत कहना चाहता हूं। इसकी बाबत मेरी ऐसी राय है कि सरकार माध्यमिक शिक्षा के साथ न्याय नहीं कर रही है और खास कर एडेड इंस्टीट्यूशन की शिक्षा के बारे में यानी पहले १९४७ में करीब ९९ लाख माध्यमिक शिक्षा के लिये खर्च किया जाता था और आज किया जाता है २,८८ लाख यानी माध्यमिक शिक्षा का बजट तीन गुना बढ़ा है। इसमें से एक करोड़ रुपया तो सरकारी स्कूलों पर खर्च कर दिया जाता है और केवल दो करोड़ रुपया अनुदान में हाइयर सेकेंड्री स्कूल्स के लिये दिया जाता है।

श्री उपाध्यक्ष--आपका समय समाप्त हो गया।

(श्री प्रताप सिंह के खड़े होने पर)

श्री प्रताप सिंह, आपको मैं केवल ५ मिनट का समय दूंगा।

श्री प्रताप सिंह (जिला नैनीताल)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं ५ मिनट में भाषण न देकर सुझाव ही पेश करना चाहूंगा।

बहुत सी बातें यहां पर कही गयीं, लेकिन सर्वप्रथम मैं शिक्षा मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि इंटरमीडिएट एजूकेशन का जो विधेयक इस हाउस में आया और वह प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया गया, किसकी अनुमति से वह वापस लिया गया और उसका क्या हुआ?

[श्री प्रताप सिंह]

दूसरे, इंटरमीडियेट बोर्ड जो आज है उसमें अध्यापकों का प्रतिनिधित्व जरूर होना चाहिये, लेकिन जिन अध्यापकों का शिक्षा से सही मानों में संबंध होता है उनका प्रतिनिधित्व ही एजूकेशन बोर्ड में हो। सबसे बड़ी चीज जो आज कही गई वह यह है कि पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या कम है, उसके कारणों पर प्रकाश नहीं डाला गया है। सबसे बड़ा कारण यही है कि विद्यार्थियों पर किताबों का बोझा ज्यादा बढ़ा दिया गया है, वह कम होना चाहिये और इतना ही होना चाहिये जिसकी बेसिक एजूकेशन में जरूरत है। समय नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपकी आज्ञा से उसको पढ़ना चाहूंगा कि बेसिक शिक्षा क्या है। वह इस प्रकार है :—

"Basic education, as conceived and explained by Mahatma Gandhi, is essentially an education for life and, what is more, an education through life. It aims at creating eventually a social order free from exploitation and violence. That is why productive, creative and socially useful work in which all boys and girls may participate, irrespective of any distinction of caste or creed or class, is placed at the very centre of Basic education."

मेरा मतलब यह है कि किताबों का बोझ कम होना चाहिये।

अंत में मैं यह कहना चाहूंगा कि आज हमारी शिक्षा एक प्लांड तरीके से होनी चाहिये कि किस कालेज की कहां आवश्यकता है कहां नहीं है। सब से पहले मैं सदन को पीलीभीत की ओर ले जाना चाहूंगा जहां पर चार इंटर कालेजेज हैं लेकिन एक भी डिग्री कालेज नहीं है जिसके कारण वहां के लड़के लड़कियों को पढ़ने की बड़ी दिक्कत है इसलिये वहां एक डिग्री कालेज होना चाहिये।

दूसरे, मैं आभारी हूं कि सदन के १९५६ के सेशन में सभी लोगों ने कुमायूं में विश्वविद्यालय स्थापित करने के आधारभूत सिद्धांत को माना है। मुझे मंत्री जी की योग्यता पर पूरा भरोसा है और पहले यह बिल इधर से यानी विरोधी दल से आया था अब की से उधर से यानी सरकार से आयेगा और इसको माननीय राधाकृष्णन के शब्दों में रीजनल यूनिवर्सिटी कहा गया है। रुद्रपुर यूनिवर्सिटी के बारे में मैं कहूंगा कि वह यूनिवर्सिटी न होकर कुमायूं यूनिवर्सिटी का एग्रीकल्चरल कालेज हो और उसका रुपया कुमायूं में लगाया जाय जिससे एग्रीकल्चर कालेज भी बन सकता है और वहां यूनिवर्सिटी बनने से तमाम विद्यार्थियों को लाभ होगा, जो गरीब लड़के लखनऊ इलाहाबाद नहीं आ सकते हैं।

तीसरे मैं विश्वविद्यालय के बारे में इतना कहना चाहूंगा कि अधिकारीगण और सरकार इस नीति को छोड़े कि जो पाइप का पे करे वही उसकी आवाज को सुने। यूनिवर्सिटी की आटोनोमी के बारे में मैं पुस्तकालय में पढ़ रहा था कि स्वीडन और डेनमार्क में यह प्रश्न इस प्रकार है :—

"Though the Government gives financial aid it does not interfere in management. Many schools should surrender Government aid rather than to submit to formal examination by Government".

अपने देश की परिस्थिति को देखते हुये जहां तक शिक्षा का संबंध है, विश्वविद्यालय का प्रबंध है, सरकार हस्तक्षेप न करे—अनुशासन के मामले में कर सकती है। मैं इन शब्दों के साथ मै कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—(शिक्षा उपमंत्री से) आपकी बोलने की इच्छा है इसकी खबर मुझे बहुत देर में मिली, इसलिये आप १५ मिनट में अपना भाषण समाप्त कर लें तो बड़ी कृपा होगी।

*शिक्षा उपमंत्री (श्री कैलाश प्रकाश)––उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो मेरी कोई विशेष बोलने की इच्छा नहीं थी किन्तु मेरे कुछ साथियों ने कहा कि आज तो अध्यापकों का ही दिन है, इसलिये मुझे भी कुछ इच्छा हुई कि मैं भी कुछ बातें कह दूं। यहां बहुत कुछ चर्चा हुई और शिक्षा के हर पहलू पर, हर वर्ग पर कुछ न कुछ बात कही गई।

श्रीमन्, प्राथमिक शिक्षा के विषय में बार-बार यह बात कही गई कि इस प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा १९५१–५२ के बाद कम हुई और इसके आंकड़े भी दिये गये हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसके बाद हमारे प्रदेश में स्कूलों की संख्या में कमी हुई और विद्यार्थियों की संख्या में भी कमी हुई। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसी पुस्तक में जिससे आंकड़े दिये गये हैं, माननीय सदस्य १९४६–४७ के आंकड़ों पर भी जरा दृष्टिपात करें। जिस समय स्वतंत्रता प्राप्त हुई उसके पश्चात् उस समय के हमारे शिक्षा मंत्री जी और आज जो मुख्य मंत्री हैं उन्होंने प्राथमिक शिक्षा के प्रसार की एक बहुत वृहद् योजना बनायी। प्रति वर्ष हमारे प्रदेश में स्कूल खुलते जाते थे और यही कारण है कि जिस वर्ष में निम्नतम आंकड़े छात्रों के दिये गये हैं वे भी उनसे सौ फीसदी अधिक हैं जो सन् १९४६–४७ में थे। इन प्राथमिक पाठशालाओं की संख्या बढ़ती चली गयी। संभवतः माननीय सदस्यों को यह भी ज्ञात है कि उस समय जो प्राथमिक शिक्षकों को वेतन दिया जाता था वह फिक्स्ड था, २५–३५ रुपये। उनका कोई वेतन-क्रम नहीं था। वह सिलसिला चलता रहा। इसके बाद यह बात महसूस हुई कि प्राथमिक स्कूल के शिक्षकों को वेतन-क्रम मिलना चाहिये। उनकी ओर से मांग भी आयी और उसको स्वीकार किया गया। फलस्वरूप उन्हीं विद्यालयों पर व्यय बढ़ता चला गया। जैसा आप स्वयं जानते हैं प्राथमिक शिक्षा का समस्त भार, उसके प्रशासन का भार डिस्ट्रिक्ट और म्युनिसिपल बोर्डों के ऊपर है। शासन की ओर से उनको अनुदान दिया जाता है और शासन का जो पाठ्य-क्रम निर्धारित है उसके अनुसार उनको वे चलाते हैं। वेतन-क्रम निर्धारित करने के कारण ये जिला बोर्ड सारे भार को वहन नहीं कर पाये। शासन की ओर से इस बात पर जोर दिया गया कि जो वेतन-क्रम निश्चित किया गया है वह शिक्षकों को मिलना चाहिये, उनकी असुविधाओं को दूर करना चाहिये और उनके लिये ऐसे हालात पैदा करने चाहिये जिससे वे अपने काम को कर सकें। उनके सामने और कोई चारा नहीं था सिवाय इसके कि उन पाठशालाओं को बन्द कर देते। वहां अधिक विद्यार्थी नहीं आते थे। यह एक कारण हुआ किन्तु मैं इसको कोई अच्छा नहीं समझता।

हमने अपने संविधान में इस बात का निश्चय किया है कि १४ वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देंगे। यहां मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि अभी जो पूना में योजना कमीशन का शिक्षा का एक परामर्शदात्री पैनेल हुआ था उन्होंने भी इस बात को महसूस किया है कि केवल उत्तर प्रदेश के लिये ही नहीं बल्कि समस्त देश के लिये दूसरी योजना के अन्त तक, यानी सन् ६० तक वे संविधान के इस लक्ष्य की पूर्ति नहीं कर पायेंगे और एक तृतीय प्लान के लिये जाना पड़ेगा। यह स्थिति है। लेकिन कुछ कठिनाइयां हैं जो मैं माननीय सदस्यों के सामने उपस्थित करना चाहूंगा। एक ओर यह बात सही है कि प्राथमिक पाठशालाओं की संख्या बढ़ायें और जैसा शिक्षा मंत्री की ओर से निवेदन किया जा चुका है ५ हजार प्राथमिक पाठशालायें द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हम बढ़ाने जा रहे हैं। किन्तु प्रश्न यह है कि जो पाठशालायें आज हैं उनमें जो शिक्षक नियुक्त हैं क्या उनके पास पूरा-पूरा कार्य है? क्या उन पाठशालाओं में उतने बच्चे जाते हैं जितने जा सकते हैं?

मैं माननीय सदस्या चन्द्रावती का भी इस ओर ध्यान आकर्षित करूंगा क्यों कि उन्होंने बालिकाओं की शिक्षा के विषय में कुछ चर्चा की है। एक प्रश्न इस विषय में

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कैलाशप्रकाश]

यह उपस्थित होता है कि बालिकाओं और बालकों की प्राथमिक शिक्षा के लिये हम पृथक-पृथक पाठशालायें और विद्यालय स्थापित करें या एक ही विद्यालय में मिली-जुली शिक्षा हो यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है। एक ओर पृथक-पृथक पाठशालायें स्थापित करने में हमारी बहुत दिनों की परिपाटी, हमारी संस्कृति और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के आचार और व्यवहार, बालिकाओं को उन्हीं पाठशालाओं में भेजना, ग्रामीण क्षेत्रों में इस बात का प्रचार होना कि छोटी आयु में ही बालिकाओं का ब्याह हो जाना, यह प्रश्न हमारे सामने आकर उपस्थित होते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे अवसर मिला अभी केन्द्रीय शिक्षालयों के कुछ लोगों से बात करने का और प्लानिंग कमीशन के कुछ शिक्षा शास्त्रियों से बातें करने का। वे भी अपने देश की आर्थिक स्थिति को देखते हुये और इस बात को सामने रखते हुए कि प्राथमिक पाठशालाओं को स्थापित करने के लिये हमें इस तरीके की व्यवस्था पैदा करनी ही होगी कि एक फासले के अन्दर एक पाठशाला अवश्य स्थापित हो जाय। २ मील के अन्दर एक पाठशाला हो तभी हम उस लक्ष्य की पूर्ति कर सकेंगे कि बालक वहां आकर शिक्षा प्राप्त कर सकें। इसलिये वे भी इसी नतीजे पर पहुंचे कि यदि हमें अपने इस उद्देश्य को जो संविधान ने हमारे सामने रखा है पूरा करना है तो हमें मिली-जुली सम्मिलित शिक्षा को करना होगा और इन विद्यालयों में बालक और बालिकाओं को एक ही शिक्षा देनी होगी। मैंने यह इसलिये निवेदन किया कि मैं इस बात को महसूस करता हूं कि हमारे जितने विद्यालय हैं उनका पूरा-पूरा उपयोग नहीं हो रहा है और उस पूरे उपयोग के न होने के लिये हमें माननीय सदस्यों के सहयोग की आवश्यकता है।

एक माननीया सदस्या ने इस बात को कहा कि बालकों के लिये तो समस्त प्रदेश में अनिवार्य शिक्षा कर दी गई है लेकिन बालिकाओं के लिये अनिवार्य शिक्षा नहीं की गयी है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि समस्त प्रदेश में बालिकाओं के लिये भी शिक्षा अनिवार्य नहीं और बालकों के लिये भी शिक्षा अनिवार्य नहीं है। कुछ नगरपालिकायें हैं जिनमें बालकों के लिये शिक्षा अनिवार्य है और कुछ नगरपालिकाओं में जिनकी संख्या बहुत कम है बालिकाओं की शिक्षा अनिवार्य है। कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में बालकों के लिये शिक्षा अनिवार्य है। यहां भी एक प्रश्न उठता है कि यदि कानून की दृष्टि से हम शिक्षा को अनिवार्य कर दें और यदि कम्पल्सरी एजूकेशन को ग्रामीण क्षेत्रों में लागू कर दें तो क्या उसको ठीक तरीके से लागू किया जा सकेगा? मैं समझता हूं कि जब तक माननीय सदस्यों का पूरा सहयोग नहीं होगा उस समय तक उसको वहां लागू नहीं किया जा सकता।

मैं इस ओर भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि प्लानिंग कमीशन के पैनल ने इस बात को महसूस किया है कि अध्यापक और विद्यार्थियों की जो संख्या प्राथमिक पाठशालाओं में एवं और तीस रखी गयी है उसका भी भार यह देश वहन नहीं कर सकता और इसलिये उन्होंने इस बात को मुनासिब समझा कि १, ३० की संख्या को बढ़ा कर १, ४० तक ले आवें। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि प्राइमरी शिक्षा की यह कठिनाइयां सामने उपस्थित हैं। लेकिन जिस संख्या को बारबार दिखाकर यह साबित करने का प्रयत्न किया गया कि हम नीचे गिरते चले जा रहे हैं वह सही नहीं है। जैसा मैंने निवेदन किया कि हम ४६ से प्रसार करते हुये चले आये। अन्त में हमने यह महसूस किया कि अब एक समस्या है कि हमें इसका स्कोप बढ़ाना है और इसका सुधार भी करना है। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जैसा प्रारम्भिक भाषण में कहा है कि इन दोनों ही चीजों को हमें कंसालिडेट करना है। जो फैला लिया है उसको कंसालिडेट करें। दूसरी तरफ हम प्रसार भी करते चलें। शुरू में प्रसार की गति बहुत तेज रही। उसको कंसालिडेट करने की आवश्यकता हुई। कंसालिडेट करने में प्रसार में कुछ कमी आयी। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। उसके पश्चात् अब वह बढ़ता चला जा रहा है। हमें आशा है कि वह बढ़ेगा क्योंकि हमने कुछ

ऐसे कदम उठाये हैं। कुछ सहायतायें और भी दी गई हैं, अनुदान दिये जा रहे हैं जिससे इनकी संख्या कम न हो, वह बढ़ती चली जाय और हमें पूर्ण आशा है कि प्राथमिक विद्यालयों की संख्या प्रदेश में बढ़ेगी।

श्रीमन्, मैं यहां यह भी निवेदन कर देना चाहता हूं कि कुछ सुझाव आये कि इन पाठशालाओं में महिलाओं को स्थान मिलना चाहिये। बात सही है और हम इसके इच्छुक भी हैं। हम चाहते हैं कि महिला शिक्षकों को रख कर देखें कि हम वहां अपने बालक और बालिकाओं को एक साथ शिक्षा दे सकते हैं या नहीं और इसका प्रयत्न भी किया जायगा, लेकिन वास्तविक कठिनाई उनके मिलने की है। हमारी परिस्थिति भी कुछ इस तरह की है कि किसी महिला को ग्रामीण क्षेत्र में जाकर रहने और कार्य करने में असुविधा होती है। समाज कल्याण इत्यादि के द्वारा और हमारी कुछ और योजनाओं के द्वारा हम विशेष रूप से कुछ शिक्षा देना चाहते हैं और वहां महिला शिक्षकों के लिये रहने के लिये भी एक विशेष व्यवस्था करने का विचार है जिससे कि वह वहां सुविधा के साथ रह सकें और वहां उनको कार्य करने का मौका मिल सके।

एक बात बार-बार कही जाती है। मुझ को इस माननीय सदन के सदस्यों से और सदन के बाहर भी कई बार उस बात को सुनने का मौका मिला है कि छोटे-छोटे बच्चों पर पुस्तकों का बड़ा भार है। मैंने इस चीज को जानने की कोशिश की और यह ज्ञात हुआ कि कक्षा १, २ और तीन के लिये केवल एक पुस्तक निर्धारित है। उनके लिये केवल एक पुस्तक खरीदनी है जो कि सरकार की तरफ से प्रकाशित होती है और कक्षा ४ और ५ के लिये केवल दो पुस्तकें खरीदनी हैं। श्रीमन्, कक्षा १, २ और ३ के लिये एक पुस्तक और कक्षा ४, ५ के लिये दो पुस्तकें कोई बहुत बड़ा भार नहीं है और मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि यदि उनकी जानकारी में इस तरह की कोई बात हो और बच्चों को और अधिक पुस्तकें खरीदनी पड़ती हों जिनके लिये उन्हें एक ट्रंक अपने सर पर ले जाना पड़ता हो तो मैं चाहूंगा कि उसको वह मेरे पास भेजें और मैं देखने की कोशिश करूंगा कि मामला क्या है। जो शासकीय आदेश हैं उनको मैंने आपके सामने निवेदन किया।

श्रीमन्, बहुत बार यह भी चर्चा हुई कि यह जो बेसिक पुस्तकें छपाई जाती हैं उनमें बड़ी गलतियां होती हैं और उससे बड़ी असुविधा होती है। ऐसा भी सुना कि किसी पुस्तक में लखनऊ गंगा जी के किनारे है, ऐसा लिखा हुआ है। जब यह चीज मेरे कानों में आई तो मैंने देखने का प्रयत्न किया कि वह कौन सी पुस्तक है जिसमें लखनऊ गंगा जी के किनारे लिखा हुआ है। लेकिन दुःख है श्रीमन्, कि मुझे वह पुस्तक देखने को नहीं मिली। मैं माननीय सदस्यों का सहयोग चाहूंगा कि यदि कोई पुस्तक उनकी जानकारी में इस प्रकार की हो कि जिसमें इस तरह की कोई बात हो अथवा उसका कागज वह न हो जो कि शासन की ओर से निर्धारित किया गया है तो वह उसको लेकर शासन को भेजने की कृपा करें। हम उनके आभारी होंगे और उनमें सुधार करने में, यदि आवश्यक है तो सफल होंगे।

श्रीमन्, शिक्षकों के बारे में भी काफी कहा गया। यह मैं समझता हूं कि शिक्षा का सबसे बड़ा भार शिक्षकों के ऊपर है। माननीय शिक्षा मंत्री जी, जब से उन्होंने इस पद का भार सम्हाला है, उन्होंने इस बात का प्रयत्न किया है, उनकी यह चेष्टा रही है, उनकी यह अभिलाषा रही है कि किसी तरीके से शिक्षकों को अपने कार्य में पूरी-पूरी रुचि हो, शिक्षकों का मान हो, शिक्षकों को ठीक प्रकार से सुविधा मिल सके।

श्रीमन्, जूनियर शिक्षा के बारे में कुछ बातें कही गईं और विशेषकर उसमें यह कहा गया कि उसका पाठ्य-क्रम बहुत लम्बा चौड़ा है। इसके विषय में मुझे यह निवेदन करना है कि शिक्षा एक ऐसी चीज है कि जिसमें सदा प्रगति होती रहती है। कोई निश्चित स्थान पर खड़ा नहीं रहा जा सकता। जब यह मानव समाज बढ़ता चला जाता है, मानव संस्कृति बढ़ती चली जाती है और जब मानव समाज ऊंचे लक्ष्य की ओर चला जा रहा है तो शिक्षा भी

[श्री कैलाशप्रकाश]

स्थिर नहीं रह सकती है। शिक्षा संकुचित नहीं रह सकती है, शिक्षा का उद्देश्य भी परिवर्तित होता चला जाता है, क्योंकि शिक्षा मानवता के अनुरूप ढालनी चाहिये। इसलिये पाठ्य-क्रम में सदा परिवर्तन की आवश्यकता होगी। जो कभी सदियों पहले या २०, ५० साल पहले कोई पुस्तकें निर्धारित कर दी गयी थीं वह पुस्तकें आज काम की नहीं हो सकतीं। एक समय था जिस समय में शिक्षा का केवल मात्र उद्देश्य यह था कि विद्यार्थी लिखना पढ़ना सीख जाय और लिखने पढ़ने के बाद सरकारी नौकरी कर सके। उस समय यह बात लागू हो सकती थी। उस समय केवल मात्र उद्देश्य यही था किन्तु आज वह उद्देश्य नहीं है। आज विज्ञान का भी वह उद्देश्य नहीं है। प्रति दिन हम देखते हैं कि विज्ञान में उन्नति होती चली जाती है। हम देखते हैं कि विकास होता चला जाता है। अगर हमको संसार में रहना है और इस शृंखला में रहना है तो यहां पर संकुचित होकर रहना सम्भव नहीं है।

बहुत सी बातें माध्यमिक शिक्षा के विषय में कही गयीं। यह कहा गया कि एक बिल यहां पर पेश किया गया था क्योंकि चुनाव आने वाला था, चुनाव में लोगों को प्रभावित करने के लिये वह बिल लाया गया और फिर वह समाप्त कर गया दिया। श्रीमन्, मेरी समझ में यह तर्क नहीं आया। सब कोई इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि चुनाव होते समय यह सदन समाप्त होने वाला था और यह भी सब कोई अच्छी तरह से जानता है कि जब यह सदन समाप्त होने वाला था तो जितने विधेयक और प्रस्ताव यहां पर रखे हुये थे वे सब समाप्त होने वाले थे और वह सब समाप्त हो गये। तो इस प्रकार से हम झूठा लालच या आश्वासन कैसे जनता को दे सकते थे जब कि लोगों को यह मालूम हो कि यह बिल समाप्त होने वाला है और हम उसके विषय में बात करें। इसमें सन्देह नहीं है कि वह बिल आया और प्रवर समिति के सामने गया। प्रवर समिति की उसके विषय में रिपोर्ट हुई लेकिन उस विधेयक को सदन के सामने लाने का समय नहीं मिल सका किन्तु मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि जिन उद्देश्यों के साथ उस बिल को लाया गया था आज भी वह उद्देश्य शासन के समक्ष मौजूद है, आज भी हम उन उद्देश्यों की पूर्ति करना चाहते हैं और उस बिल को शीघ्र ही सदन के समक्ष उपस्थित करने वाले हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि उस बिल में जो कुछ सुविधायें शिक्षकों के लिये या कुछ नियन्त्रण प्रबन्धक समितियों के लिये उसमें रखे गये थे उनकी आज भी आवश्यकता है और शीघ्र वह बिल आने वाला है। इस लिए इस विधेयक के बारे में मन्त्री जी से कोई शिकायत हो तो वह रहने की आवश्यकता नहीं है।

इन्टरमिडियेट बोर्ड जो आज कल माध्यमिक शिक्षा का संचालन करता है, उसके विषय में बहुत सी बातें कही गयीं। अधिक समय नहीं है कि उसके विषय में निवेदन करूं किन्तु इतना निवेदन करना चाहता हूं कि इस बोर्ड में सभी वर्गों के शिक्षकों के प्रतिनिधि हैं फिर भी आज यह बात मौजूद है कि शिकायत हो। आज विद्यार्थियों की संख्या बढ़ती चली जाती है। इस बोर्ड का काम बढ़ता चला जाता है। साढ़े ६ करोड़ की जन-संख्या के इस प्रदेश के लिये माध्यमिक शिक्षा को देखने के लिये केवल एक बोर्ड है। उस बोर्ड का क्या रूप हो, किस तरीके से उसमें परिवर्तन किया जाय, यह बात काफी दिनों से विचारणीय है। आज भी वह बात विचारणीय है। इस विषय में माननीय सदस्यों के जो सुझाव होंगे, शिक्षा मंत्री जी जैसा शुरू में कह चुके हैं, वह उनका स्वागत करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने विशेष कृपा करके मुझे भी समय दिया आज तो आपने अध्यापकों को दिया है, मुझे भी दिया।

डाक्टर तारादेवी (जिला जौनपुर)—उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा मंत्री जी ने जो सुन्दर ढंग से अनुदान पेश किया है और शिक्षा पर जो हमारी सरकार ने दृष्टिकोण दिया है उसके लिये वे बधाई के पात्र हैं। हमारी सरकार ने जगह-जगह स्कूल खोले हैं। पहले कक्षा ३ तक की फीस माफ थी और अब कक्षा ६ तक हो रही है, यह सराहनीय है। मैं शिक्षा मंत्री जी का ध्यान ग्रामीण क्षेत्र की ओर आकर्षित करना चाहती हूं। देहात में

बालिकाओं के लिये स्कूल कम होने से वे पढ़ नहीं पाती हैं। कहीं-कहीं स्कूल हैं तो वे कम तादाद में हैं। जहां बालिका विद्यालय की मांग हो वहां मंत्री जी तत्काल स्कूल खुलवाने की कृपा करें। इन शब्दों के साथ मैं शिक्षा मंत्री जी को फिर धन्यवाद देती हूं और यह आशा करती हूं कि मेरे टूटे फूटे शब्दों को ध्यान में रखते हुये बालिका विद्यालय खुलवाने की कृपा करेंगे।

श्री देवीप्रसाद मिश्र—श्रीमन्, बेसिक शिक्षा की बड़ी तारीफ की गई है और महात्मा जी का नाम उससे जोड़ा गया है। मैं उसकी आलोचना क्या करूं। मेरे लिये उचित नहीं होगा। मैं इतनी ही प्रार्थना करूंगा कि मंत्रिगण और उनके साथी इन बेसिक स्कूलों में अपने बच्चों को कल से ही भेजना शुरू कर दें। मुझे मालूम है कि उनका कोई लड़का इन स्कूलों में नहीं पढ़ता है। यदि आपके लड़के वहां न पढ़ें तो समझ में नहीं आता कि यह शिक्षा उत्तम और सर्वोत्तम है। माननीय गोविन्द सहाय जी ने समाजवाद की शिक्षा का जिक्र किया। उन्होंने पुस्तकों में वाक्यों के रख देने से ही समझा है कि समाजवाद की शिक्षा पूरी हो जायगी। मैं समझता हूं कि यदि आप अपने लड़कों को गरीब जनता और दरिद्र अध्यापकों के लड़कों के साथ पढ़ने की आज्ञा दे दें तो समाजवाद की शिक्षा पूरी हो जायगी। एक हमारे भाई साहब को ताज्जुब हुआ कि भदोही का कालेज गिरता जा रहा है और नैनीताल का कालेज बनता जा रहा है। उनको मालूम नहीं है कि नैनीताल और भदोही में क्या अन्तर है। नैनीताल पहाड़ पर है जो देवताओं का स्थान है और भदोही जमीन पर जहां मृत्युलोक के आदमी रहते हैं।

दूसरी बात हमारे एक मंत्री जी ने कही और उसको सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि पहले दर्जे में एक पुस्तक पढ़ाई जाती है, दूसरे में दो। ५-६ विषय नीचे के दर्जों में पढ़ाये जाते हैं और ६-७ विषय ऊपर के दर्जों में पढ़ाये जाते हैं। ५-६ विषय पढ़ाये जाते हैं और पुस्तक एक पढ़ाई जाती है। ६-७ विषय पढ़ाये जाते हैं और पुस्तक २ पढ़ाई जाती हैं, इसका कुछ अर्थ समझ में नहीं आता। क्या आप पुरानी परिपाटी के इतने उपासक हो गये हैं कि किताबों द्वारा शिक्षा में विश्वास नहीं करते। पुस्तकें चाहें न भी हों लेकिन फिर भी लड़कों को खरीदनी पड़ती हैं। आप यदि दो देखना चाहते हों तो उनको मैं भेज भी सकता हूं। पुस्तकें हैं और अधिक हैं। एक नहीं, २ नहीं, ज्यादा हैं।

एक बात अध्यापकों की मान मर्यादा के बारे में कही गयी। बनारस में रहने के कारण एक शंका मुझे अवश्य होती है क्योंकि उसके लिये गुरू शब्द का बहुत प्रयोग किया गया। मुझे शंका जरूर है कि कहीं यह शब्द बनारस का न हो। गुरू की मान मर्यादा कैसे बढ़े इस बारे में मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। एक साहब ने सुझाव दिया कि जिला मैजिस्ट्रेट को आदेश दे दिये जायं कि उनको उच्च स्थान दिया जाया करे। मेरा सुझाव यह है कि उन अध्यापकों के पास अपने लड़कों को भेज दीजिये। मंत्री की हैसियत से उनके स्कूल में जाने की कृपा न कीजिये किन्तु लड़के के माता पिता की हैसियत से वहां जाइये और वहां जो गुरू हैं उन्हें वही मान दीजिये जो लड़के के माता पिता देते हैं। बस इससे हमारी मान मर्यादा बढ़ जायगी। इन सुझावों के साथ मैं समाप्त करता हूं।

*श्री कमलापति त्रिपाठी—माननीय, शिक्षा विभाग का यह अनुदान उपस्थित करते हुए मैंने इस बात की विनती की थी कि मुझे सुझाव दिये जायं और मेरा पथ-प्रदर्शन किया जाय क्योंकि गुरू यहां चाहे बनारस के हों या फैजाबाद के हों, कई इकट्ठे हो गये हैं और उनसे यदि कुछ प्रकाश मिल सकता है....

श्री उपाध्यक्ष—यह शब्द फैजाबाद में प्रचलित नहीं है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री कमलापति त्रिपाठी—अगर फैजाबाद में प्रचलित नहीं है तो अब हो जायगा क्योंकि अब बनारसी फैजाबाद भी पहुंच गये हैं।

मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि मैंने विनती की थी कि मुझे सुझाव दिये जायं। आरम्भ में ही मैंने यह भी कहा था कि मैं स्वयं कोई शिक्षा शास्त्री नहीं हूं, शिक्षा का विशेषज्ञ नहीं हूं। मेरा पथ-प्रदर्शन हो, जिसमें इस देश की जनता की सेवा हो सके और शिक्षा का प्रसार हम कर सकें, लाखों की संख्या में अपने बच्चों को साक्षर बना सकें और जो हमारे प्रौढ़ हैं उन्हें भी अक्षर के निकट ला सकें। मुझे थोड़ा दुख हुआ क्योंकि शिक्षा के सम्बन्ध में हमारे कुछ भाइयों ने जो विवाद किया उसमें व्यंग, उपहास और लांछन और यह नहीं हुआ, वह नहीं हुआ, कहीं-कहीं से यह बात आयी जिसका मुझे दुख है। क्योंकि यह विषय ऐसा नहीं था कि जिस पर हम कोई एक विवाद खड़ा करते। यह तो एक ऐसा प्रश्न है जिसका हमारे जीवन से सम्बन्ध है, जिसका हमारे भविष्य और हमारी सन्ततियों से सम्बन्ध है और जिसका हमारे सारे विकास और रचना के कार्यों से सम्बन्ध है। कहा है "विद्या विवादाय च धनम् मदाय, शक्तिः परेशाय परिपीर्णयाय, ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय"—इसके बाद वाली लाइन नहीं कहूंगा। विद्या कोई विवाद के लिये नहीं है, विद्या तो शिक्षा का क्षेत्र रहा है। उसमें कोई विवाद नहीं बल्कि सुझाव देने की बात थी। क्योंकि मान्यवर, मैंने आरम्भ में ही यह कहा था और उस समय पर्याप्त समय आपकी आज्ञा से मुझे मिल गया था कि पिछले १० वर्षों में जो शिक्षा की प्रगति इस प्रदेश में हुई है उसको सदन जानता है, यह वाक्य तो मैंने कहा था लेकिन मुझे खेद है कि जो बात मैंने नहीं कही थी उसको भी मेरे मुंह में डाल डाल कर कहलाया गया है केवल आलोचनाएं करने के लिये कि माननीय मंत्री जी ने यह कहा, माननीय मंत्री जी ने गर्व के साथ यह कहा। अभी हमारे राजा साहब जौनपुर नहीं हैं, उन्होंने कहा था कि माननीय मंत्री जी ने गर्व के साथ कहा कि हम प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों को ५२ रुपये वेतन देते हैं और पुलिस को आप क्या देते हैं? मैंने न तो गर्व के साथ कहा, न अभिमान के साथ कहा, प्रत्युत यह कहा था कि "उनका वेतन इतना कम है जिसे कहना अपने प्रदेश के लिये मैं सम्मान की बात नहीं समझता"। बस इतना ही मैंने कहा था। एक दूसरे भाई ने यह कहा था कि सरकार ने और माननीय मंत्री जी ने अभिमान के साथ यह दावा किया कि दूसरे प्रदेशों के मुकाबले में हमारे प्रदेश ने शिक्षा में बड़ी प्रगति की है, मैंने यह भी नहीं कहा था। मैं तो यह मान कर चला था और बड़ी सचाई और नम्रता के साथ निवेदन करना चाहता हूं, जब कि इस सदन के सामने खड़ा हुआ हूं, शिक्षा के सम्बन्ध में तो यह सोच कर कि हमारी शिक्षा की प्रगति बावजूद इसके कि १० वर्षों में इस प्रदेश ने शिक्षा में बहुत तेजी के साथ कदम बढ़ाया, पर हमारे लिये सन्तोषजनक नहीं है, क्योंकि हमको उससे कहीं ज्यादा जाना चाहिये, क्योंकि हमारा निर्माण उससे कहीं अधिक बढ़ा है। हम तो इस ओर और तीव्रता से बढ़े होते यदि हमें इतने साधन उपलब्ध हुए होते और हमें इतने सहायक मिले होते अध्यापकों के रूप में या और दूसरे प्रकार से तो हम और अधिक तीव्रता से प्रगति कर सकते।

श्रीमन्, सन् १९४६-४७ से लेकर सन् ५६ तक बहुत बड़ी तादाद है, १७ लाख बच्चे प्राइमरी स्कूलों में पढ़ रहे थे। सन् ४६ का जिक्र इसलिये मैं नहीं करता कि अंग्रेजी राज्य में क्या रहा और इस वक्त क्या है, उससे उसकी तुलना करूं बल्कि सन् ४६ को हमने एक बेस ईयर माना है, इसी से उसका जिक्र करता हूं। अंग्रेजी राज्य में शिक्षा क्या थी उसका जिक्र करना हमारे लिये कोई गर्व की बात नहीं है, उन्होंने तो शिक्षा चलायी ही नहीं। हमारे किसी भाई ने यह कहा कि सन् ४६-४७ में शिक्षा पर ३ करोड़ रुपया खर्च होता था और पुलिस पर साढ़े ४ करोड़ खर्च होता था। ठीक है, उनको शिक्षा से मतलब ही क्या था? मैं उनसे कोई तुलना करने के लिये नहीं खड़ा हुआ हूं। सन् ४६ का उल्लेख इसलिये करना पड़ता है कि उसे हमने बेस ईयर माना है। सन् ४६-४७ में जनता के हाथ में सत्ता आयी और इससे हम कुछ आगे बढ़े। उस वक्त स्कूलों की

तादाद २० हजार थी जो अब सन् ५७ में बढ़ कर ३२ हजार के करीब हो गई। अगर पहले १७ लाख विद्यार्थी पढ़ते थे तो अब उनकी संख्या २९ लाख के करीब है। इस प्रकार प्रति वर्ष उनकी संख्या इस प्रदेश में बढ़ती गई है, यह अच्छी बात है लेकिन हम इससे भी अधिक आशा करते हैं। अगर आज २७ लाख या २९ लाख पढ़ रहे हैं तो १ करोड़ का हिसाब लगायें तो अभी ऐसे होंगे जो और पढ़ने को हैं, अभी उस वर्ग के कितने ही बच्चे शिक्षा के लिये बाकी हैं जिनको अभी पढ़ाना है, उसकी कोई तुलना नहीं हो सकती, मैंने तो यह कहा था कि इतनी प्रगति हुई है लेकिन उससे हम अपने को अभी संतुष्ट नहीं मानते। आज हमारे यहां जो सरकार का पैसा खर्च होता है वह ६७ प्रतिशत प्राइमरी में है जो सार्वजनिक कोष से आता है और ३२ परसेंट सेकेन्डरी में और ४६ प्रतिशत यूनिवर्सिटी शिक्षा में, लेकिन बहुत से ऐसे प्रदेश भी हैं कि जिनका यह प्रतिशत हमसे ज्यादा है। आंध्र में वह प्रतिशत है ७७ फीसदी, आसाम में ८९ प्रतिशत, बम्बई में ६९ प्रतिशत और मध्य प्रदेश में ६३ प्रतिशत। रकम हमारी सब से ज्यादा है। भारत सरकार की जो यह पुस्तक है उसमें उन्होंने बताया है कि शिक्षा के ऊपर बम्बई सब से ज्यादा व्यय करता है और सारे देश में रकम के लिहाज से सबसे ज्यादा खर्च इस प्रदेश का है, लेकिन हमारे यहां की आबादी के हिसाब से जो परसेंटेज आता है उसमें हम बहुत पीछे चले जाते हैं। तो इस प्रकार से हम तुलना नहीं करते लेकिन इतना जरूर है कि सन ३७ की बात माननीय देवी प्रसाद जी ने कही कि इतना प्रतिशत उस समय था और अब केवल १४ प्रतिशत ही है।

सन् ३७ में जब जनता का राज्य हुआ उस जमाने में उस पुराने कानून के मुताबिक जो थोड़ी बहुत व्यवस्था यहां हुई उसमें शिक्षा के ऊपर जोर दिया गया, उस वक्त जहां १२ करोड़ का बजट था, उसमें जो नई-नई जनता की सरकार आई उसने दो करोड़ पांच लाख रुपया शिक्षा के लिये रखा, सन ३७ में वह १६ प्रतिशत हुआ, लेकिन सन ४६ में लड़ाई के बाद जब व्यवस्था बदली और निरंकुश विदेशी जो सत्ता थी उसको जाना पड़ा तब १४ प्रतिशत का हिसाब आया। तो हमें यह देखना है कि हमारी आशा इससे पूरी नहीं होती, हमें अभी उस दिशा में अभी प्रयास करना है और सोचना है, हमारे लिये यहां पर रुक जाने की या गर्व करने की बात नहीं है। जितने साधन हो सकते थे वह हमने जुटाये और काम को आगे बढ़ाया, बहुत सी दिक्कतें भी रहीं लेकिन उनके होते हुये भी जो कुछ हम कर सकते थे हमने किया, लेकिन जो कुछ किया उससे कहीं ज्यादा अभी हमें काम करना है। जो दस साल बीते उस दस साल के अर्से में कोई बड़ी भारी समस्यायें हल नहीं होतीं, शिक्षा के क्षेत्र में तो वह समस्यायें और भी अधिक हैं। हमारे पास ऐसे भी आंकड़े हैं कि जिन से पता चलता है कि सन् १९४६–४७ में यूनिवर्सिटी शिक्षा पर २६ लाख रुपया व्यय हुआ, वह सन् ५७ में ५२ लाख है, सेकण्डरी एजूकेशन पर सन् ४६–४७ में व्यय हुआ ९९ लाख रुपया, वह सन ५७ में अब २ करोड़ ८६ लाख हो गया, प्राइमरी शिक्षा पर सन् ४६ में एक करोड़ २१ लाख खर्च होता था, वह अब सन् ५७ में ४ करोड़ ५७ लाख हो गया। इस तरह आप देखेंगे कि व्यय की रकम भी बढ़ती गई और जो कुछ भी हम बढ़ सके साधनों के अनुरूप वह हम बढ़ते गये लेकिन अभी हमें बहुत करना बाकी है।

एक बात और, मान्यवर, कही गयी। देवीप्रसाद जी ने कहा कि हाई स्कूल पास अध्यापक जो हैं, जे० टी० सी० हैं वह प्राइमरी में नहीं हैं। उनको ६० रुपये देते हैं। प्राइमरी की बात कैसे कही? प्राइमरी की बात मैंने नहीं कही। गवर्नमेंट आफ इंडिया वालों का सुझाव यह है कि प्राइमरी में एंट्रेंस पास और ट्रेन्ड टीचर रखो और ५० रुपये तनख्वाह दो। हमने उनसे यह कहा कि इंट्रेंस पास और ट्रेन्ड टीचर्स को हम ६० रुपय देते हैं। आप हमारी सहायता करें बड़ी अच्छी बात है। लेकिन पचास रुपया तो हम उन अध्यापकों को देते हैं जो जूनियर हाई स्कूल पास करके जे० टी० सी० की ट्रेनिंग लेकर आते हैं और जो प्राइमरी में पढ़ाते हैं। वह मिनिमम क्वालीफिकेशन जो लगाते हैं वह टेंथ क्लास की लगाते हैं। इस दृष्टि से हमन कहा कि टेंथ क्लास पास और ट्रेन्ड अध्यापक को तो हम ६० रुपया देते हैं। इसलिए अगर इस योग्यता के अध्यापक रखते हैं तो उन्हें ६० रुपया देना चाहिए। वह पचास उनको देना चाहते हैं जिनको आपने ६० दे रखा है। हम उनस इस बात की चेष्टा

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

भी कर रहे हैं, तीन चौथायी तो नहीं, आधे की बात उनसे कही थी। हम उनसे लिखा-पढ़ी कर रहे हैं कि जो हमारी व्यवस्था है उसके ऊपर वह दें।

सरकारी स्कूलों के अध्यापकों और प्राइवेट स्कूलों के अध्यापकों की बात बहुत बार कही गयी। मैं आपसे सचमुच निवेदन करूंगा कि मैं स्वयं इस बात को नहीं समझ सका कि किस कारण यह भेद है वेतन में? क्यों है? सिवा इसके कि आपके पास धन की बड़ी भारी कमी है और इतना विस्तार हो गया है, करीब चार सौ, साढ़े चार सौ स्कूल थे, आज आपके यहां १४ सौ से ऊपर स्कूल हैं सेकेंडरी। सरकार, इंटरमीडियेट कालेज का एक ग्रेड है। इन इंटरमीडिएट कालेजों में एक मैंडेटरी ग्रेड रखा है उसमें फर्क है। कोई सिद्धान्त के ऊपर बहस ज्यादा मुनासिब नहीं है यद्यपि उसके कुछ कारण दिये जाते हैं, जिस प्रकार इनका सेलेक्शन होता है और जिस कारण उनका सेलेक्शन होता है। यह सब बातें कही जाती हैं लेकिन मैं उस विवाद में नहीं जाना चाहता। मैं समझता हूं कि एक ही काम कई व्यक्ति अगर कर रहे हैं तो उनके वेतनों में भेद यथासम्भव घटना चाहिए। आज सरकार ने तीन चौथाई वेतन वृद्धि अपने ऊपर ले ली है। देवी प्रसाद जी कह रहे थे कि वेतन वृद्धि तो ऐसे देते ही रहे हैं। जितना खर्चा होता है और घाटा होता है उसमें देते ही हो। वृद्धि जोड़ देगी तो कौन सी नयी बात करेगी? मैं निवेदन करूं कि अब तक चौथाई देते रहे, आधा देते रहे और उसका परिणाम जो होता है, कई सेकेंडरी स्कूलों से मेरा भी ताल्लुक है। जिस प्रकार अध्यापकों को वेतन वृद्धि मिलती है, जिस प्रकार उनको वेतन मिलता है वह सब मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं। मैं उसको दोहराना नहीं चाहता इसलिए भी कि दोहराने में अकारण मैं कोई लांछन मैं नहीं लगाना चाहता। हम जानते हैं कि कितनी कठिनाइयों में यह स्कूल चलते हैं। किस प्रकार धनाभाव है। जनता में भी इतनी शक्ति नहीं है कि उनको पैसा देकर चलाये। उन परिस्थितियों में जिन लोगों को चलाना पड़ता है उसमें कुछ केसेज हो सकते हैं, जो गड़बड़ घुटाला करते हों या जानबूझ कर बेईमानी करते हों, लेकिन बाकी जो चला रहे हैं सार्वजनिक हित की दृष्टि से चला रहे हैं। उनमें जो अध्यापक हैं उनकी वार्षिक वृद्धि का तीन चौथाई हम मीट कर रहे हैं। मेरा खयाल है कि कदचित् हम उनको समय से वेतन दिलाने में समर्थ हो सकेंगे। हमारा एक और विचार है। हमारे भाई कैलाश प्रकाश जी ने कहा कि एक बिल ले आने का इरादा है जिसमें हमारे अध्यापकों के स्थान, सेवा और आय, इन सब में थोड़ी सी स्थिरता आ जाय। आज सचमुच कोई स्थिरता है नहीं और काफी कठिनाई है। उसमें स्थिरता आ जाय इस बात की चेष्टा कर रहे हैं।

यूनिवर्सिटी एजूकेशन या और एजूकेशन के कुछ हस्तक्षेप के बारे में मैं नहीं जानता कि वह क्या संकेत है। मैं तो समझता यह हूं कि वह बड़े रुचि की बात नहीं थी कि उस प्रकार का संकेत हो। लेकिन मैं तो सरकार की ओर से यह आश्वासन देना चाहता हूं कि मैं उन व्यक्तियों में हूं जो यह विश्वास करते हैं कि यूनिवर्सिटीज की अटोनोमी की रक्षा की जाय। उन्हें इस प्रकार अवसर मिले कि वे अपने विकास के लिये कार्य कर सकें। अवश्य ही कुछ समस्यायें ऐसी हैं जिनमें उनसे हमारा घनिष्ट सम्बन्ध होना है और वह है आर्थिक। यूनिवर्सिटियां विकास करती चलती हैं, विकास करें पर उस विकास का सारा बोझ वह सरकार के ऊपर डालती हैं। तो खर्च करने वाला जो है वह जरा उससे भी पूछ लिया करे नहीं तो जैसे रईसों के घरों में लड़के खर्च करते रहें और बिल आता रहे पिता जी के यहां। तो तमाम खर्चा वहां से होता रहे और सारी अदायगी सरकार को करनी पड़े और उसका पता भी न हो कि कैसे खर्च हो रहा है, उचित ढंग से हो रहा है या नहीं, तो थोड़ा पता इसका हमको भी लगे, हमारा नियन्त्रण हो क्योंकि हमें इस बोझ को उठाना है और यथासम्भव यूनीवर्सिटीज की अटोनोमी हो। पर यूनीवर्सिटीज की ओटोनोमी के माने यह भी नहीं हैं कि उसमें राजनीति लाई जाय। यों तो राजनीतिक कार्यकर्ता बहुत रहे हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय जी बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी के जन्म भर वाइसचांसलर रहे, राजनीतिक कार्यकर्ता थे। हमारी लखनऊ यूनिवर्सिटी के आचार्य जी रहे, बनारस विश्वविद्यालय के भी रहे। क्या वे राजनीतिक कार्यकर्ता

नहीं थे ? हां राजनीति न लाइये। दलगत राजनीति को यूनिवर्सिटीज़ में न घुसाइये, यह उसका अर्थ है। फिर उसके लिये माननीय मुख्य मंत्री जी की अपील है कि जनाबवाला, पोलिटिकल ट्रूस कीजिये और लड़कों को उभारने या दल बनाने का काम न कीजिये। हम भी जानते हैं, रामायण राय जी भी जानते हैं कि किस प्रकार वहां राजनीतिक दलों का प्रवेश होता है,प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। फिर असेम्बली में कहें कि राजनीतिक दृष्टि से कन्ट्रोल करने की चेष्टा की जाती है। तो यह सोचने की बात है। कैसे यूनियन के एलेक्शन लड़े जाते हैं, हमको भी पता है आप को भी पता है और सब दल इधर उधर से आते हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। तो यह वस्तुतः बड़े सोचने का प्रश्न है कि यूनिवर्सिटियों में क्या इस तरह से राजनीति के अखाड़े बने ? और फिर कहा जाय कि स्तर गिर रहा है। दूसरी तरफ़ उनको बहका कर ले जाया जाता है तो स्तर गिरेगा नहीं तो क्या होगा ? इस वास्ते यह एक सोचने की बात है हम सब के लिये कि वे अखाड़ा न बनें। पर यूनीवर्सिटीज की स्वतंत्रता यथासम्भव रहे। आर्थिक मामले में हमारे यहां तो एक यूनीवर्सिटी ग्रान्ट्स कमेटी है, उसके द्वारा उन्हें अनुदान मिलते ह। यूनिवर्सिटियों की हम सदा सहायता करते गये हैं। लखनऊ और इलाहाबाद यूनीवर्सिटीज पर जो ऋण हुआ है उसे बराबर आप देते आये हैं। यूनिवर्सिटीज की जिम्मेदारी है। पर इनसे भी बहुत कुछ अधिक जिम्मेदारी प्राइमरी एजूकेशन की होती है। तो हम चाहते हैं यूनीवर्सिटीज से हमारा भी सम्बन्ध हो। आर्थिक मामलों में सरकार जो कुछ सहायता कर सकती हो वह सहायता उससे लें और यदि उसके ऊपर कोई बोझ लादना हो तो अवश्य ही जरा उससे पूछती रहें कि भाई यह बोझ तुम्हारे ऊपर लाद दें ?

अब दो ही बातें मैं निवेदन करना चाहता हूं। एक तो यह कि प्राइमरी एजूकेशन हो, या सेकेण्डरी ऐजूकेशन हो या कोई टेक्नीकल ऐजूकेशन हो, मैं इस आदरणीय सदन के प्रत्येक सदस्य से और विशेष कर के जो इसमें अध्यापक लोग हैं, भले ही देवीप्रसाद जी के हृदय को बड़ी प्रसन्नता हुई हो कैसा व्यंग किया, उपहास किया लेकिन जब शिक्षा के अनुदान पर बहस हो रही हो तो वे चाहे कुछ कहें लेकिन मैं सोचता हूं कि उनसे हमको पथ-प्रदर्शन मिले और विशेष कर इन लोगों से जो शिक्षा से सम्बन्धित हैं, जिनके दसियों वर्ष शिक्षा में बीत चुके हैं, जिन्हें काफी अनुभव है वे वस्तुतः बतलायें कि शिक्षा में क्या-क्या सुधार किये जायं।

शिक्षा में हमने प्रसार किया है। प्रसार आगे होता चला जायगा, रोक नहीं रहे हैं। प्रसार के लिये पूरा क्षेत्र खुला है लेकिन प्रसार के साथ जहां कहीं हमको लूपहोल कमी दिखाई देती हो, कुछ करने की आवश्यकता हो तो वे लोग जिनका जीवन शिक्षा के क्षेत्र में ही बीता है वे बतलायें, हमें रास्ता दिखलायें। इस माननीय सदन का प्रत्येक सदस्य इस विषय में विचार करे, सुझाव दे और बताये कि कहां-कहां इस बात की आवश्यकता प्रतीत हो रही है, ऊपर के स्टेज से लेकर नीचे के स्टेज तक जहां उसे सुधारने की आवयकता है। एक प्रार्थना मेरी यह है। इसमें न कोई पार्टी का प्रश्न है, न दुराव का प्रश्न है। सचमुच सब का सहयोग हम चाहते हैं और वे बतलायें कि किस ढंग से इसमें किया जाय, विशेषकर वे लोग जिनका सम्बन्ध शिक्षा से रहा है।

बेचनराम जी ने ज्ञानपुर आदि का जिक्र किया और देवी प्रसाद जी ने पहाड़ का जिक्र किया। यह भी क्या गंगा का किनारा है ? एक डिग्री कालेज है नैनीताल में। सारे कुमायूं के इलाके में बस यही एक डिग्री कालेज है। उसकी तरफ सरकार का ध्यान गया। प्रतापसिंह जी कुछ कुमायूं यूनिवर्सिटी का जिक्र कर रहे थे। यूनीवर्सिटी की बात तो वे ही सोचें, लेकिन एक कालेज जरूर है जो समस्त हिमगिरि के क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा है। वहां पढ़ने-लिखने की सुविधा हो रही है और उसकी तरफ सरकार का ध्यान गया। ज्ञानपुर की तरफ भी उसका ध्यान है। ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई उसकी उपेक्षा की जा रही हो। यद्यपि यह सही है कि वहां साइंस क्लासेज खुल गये और आपके यहां नहीं खुले। खासा पैसा डिग्री कालेज पर खर्च होता है। संस्कृत की शिक्षा के सम्बन्ध में मैं निवेदन

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

करूं कि मेरी स्वयं धारणा है कि मैं अनुशासन में हीनता नहीं चाहता। अपने युवकों और विद्यार्थियों में मैं नहीं मानता कि उनमें विशेष रूप से अनुशासनहीनता है। आप देखें कि घर में वे कैसा बढ़िया बर्ताव करते हैं, लेकिन जब एक साथ जुटते हैं तो कैसा बर्ताव करते हैं। तो राजनीतिक नेता ही उसके कारण हैं। बच्चों में अनुशासनहीनता मैं नहीं मानता। घरों में जिस प्रकार की शिक्षा उन्हें हम देते हैं, जिस प्रकार की शिक्षा स्कूल व कालेज में बैठ कर देते हैं और जिस प्रकार चारों तरफ का वातावरण और स्थिति होती है उसमें बच्चों का निर्माण होता है। इन परिस्थितियों को संभालने व सुधारने की आवश्यकता है। जैसी ये होंगी वैसे ही ये बालक बनेंगे; मैं उन्हें अनुशासनहीन नहीं मानता लेकिन यह मैं अवश्य समझता हूं कि हमारे यहां इस तरह की शिक्षा हो जो बच्चों के चरित्र निर्माण में सहायक हो।

साथ-साथ सैनिक शिक्षा भी आवश्यक है। उसका विस्तार हमारे प्रदेश में हो रहा है। ए० सी० सी०, पी० इ० सी०, एन० सी० सी० के जरिये उसके विस्तार की हम चेष्टा कर रहे हैं, ताकि एक साथ काम करने की और आत्म विश्वास की भावना बढ़ने की प्रेरणा मिले। मैं समझता हूं कि आप सब के सहयोग से और पथ-प्रदर्शन से जहां कहीं कमी होगी, त्रुटि होगी उसको हम दूर कर सकेंगे। इस प्रदेश की शिक्षा की प्रगति को तीव्र बनाने की हमारी हार्दिक इच्छा, आकांक्षा और भावना है। हमारा प्रदेश शिक्षित बन सके और वस्तुतः जनतंत्र का उदय यहां उस के आधार पर हो सके उसमें हम सब अपने सीमित साधनों के रहते हुये सफल हो सकेंगे। इन शब्दों के साथ मैं आपकी आज्ञा से यह मांग करता हूं कि थोड़ा सा ही रुपया है उस में से यह एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव वापस ले लिया जाय और और इस अनुदान को स्वीकार हो जाने दें।

श्री उपाध्यक्ष--मैं समझता हूं कि यह सदन दो तीन मिनट और चलेगा। एक तो ग्रान्ट मंजूर करानी है और उसके पश्चात् मुझे कुछ सूचनाएं भी देनी हैं।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १८ की धनराशि में एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव स्वीकार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १८--शिक्षा--लेखा शीर्षक ३६--वैज्ञानिक विभाग और ३७--शिक्षा के अन्तर्गत १५,१४,५८,००० रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९५७-५८ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

कतिपय समितियों तथा बोर्डों के निर्वाचन-कार्यक्रम के सम्बन्ध में सूचना

श्री उपाध्यक्ष--मुझे माननीय सदस्यों को यह सूचना देनी है कि वित्त समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, रुड़की विश्वविद्यालय समिति, राज्य मद्य-निषेध बोर्ड, बोर्ड आफ हाई स्कूल ऐण्ड इंटरमिडिएट एजूकेशन तथा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी के लिये अभ्यर्थियों की संख्या उनके स्थानों से अधिक है। आज ५ बजे तक का समय अतिरिक्त नामों की वापसी के लिए निर्धारित किया गया था। चूंकि अतिरिक्त नाम वापस नहीं लिए गये, अतएव वित्त समिति को छोड़ कर अन्य समितियों के लिए २७ अगस्त को ११ बजे से ४ बजे सांयकाल तक विधान वाचनालय में निर्वाचन होगा। यह सूचना आप को पत्र द्वारा भी दे दी गयी है।

मुख्य सचेतक तथा विरोधी दल के सचेतक ने मुझसे कहा है कि वित्त समिति का निर्वाचन अभी न किया जाय। यह प्रार्थना मैंने स्वीकार कर ली है। इसलिये वित्त समिति का निर्वाचन नहीं होगा और शेष समितियों का निर्वाचन २७ अगस्त को होगा।

स्थायी समितियों के निर्वाचन से नाम वापसी की तिथि में परिवर्तन

श्री उपाध्यक्ष--दूसरी सूचना यह है कि आप को याद होगा कि २५ स्थायी समितियों के लिये नाम वापसी का समय आज सायंकाल ४ बजे तक था, लेकिन बहुत से नाम वापस नहीं हुए। इसलिये मुझ से यह प्रार्थना की गयी है कि नामों की वापसी का समय २९ अगस्त, १९५७ को ४ बजे सायंकाल तक कर दिया जाय। मैंने वह प्रार्थना स्वीकार कर ली है, परन्तु पूर्व कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचन, यदि आवश्यक हुआ, तो ३१ अगस्त को ११ बजे से ४ बजे तक विधान वाचनालय में होगा।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ३३ मिनट पर सोमवार, २६ अगस्त, १९५७ के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया)।

लखनऊ;
२४ अगस्त, १९५७।

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

विधान परिषद

पी० एस० यू० पी० ए० पी० ११३ एल० ए०--१९५७--७९६।